

चिन्तामणि

[विचारात्मक निबन्ध]

पहला भाग

लेखक

रमचन्द्र शुक्ल

प्रकाशक

ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

[मूल्य ३५]

को पहले अपने ही दुःख का ज्ञान होता था, वहने पर असंलक्षण
अनुमान-द्वारा उसे और वालको का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष
प्रकार का दुःख होने लगता है जिसे दया या करुणा कहते हैं। इस
प्रकार जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचनेवाले भाव
अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होता है वह भय कहलाता है। वहाँ
छोटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका दुष्टि नहीं होती, भय कुछ
नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएँ तो भी वह
विचलित न होगा; क्योंकि वह यह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हा-
उठाने का परिणाम दुःख होगा।

मनोविकारों या भावों की अनुभूतियाँ परप्स्पर तथा सुख या दुःख
की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण
परप्स्पर तथा अपने सयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय-बोध की
विभिन्नता तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छाओं की विभिन्नता
अनुसार मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता है। हानि का
दुःख के कारण में हानि या दुःख पहुँचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने
पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुःख कहते
हैं; बल्कि उसके योग से संघटित क्रोध नामक जटिल भाव का
आवश्यकता होती है। जब हमारी इन्द्रियाँ दूर से आती हुई क्लेश
कारिणी वातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अन्तःकरण हमें भाव
आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुःख मात्र से नहीं
चल सकता; बल्कि भागने या वचने की प्रेरणा करनेवाले भय से चलता
है। इसी प्रकार अच्छी लगनेवाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसकी
सुखानुभूति होती है उसी तक प्रयत्नवान् प्राणी नहीं रह सकता; बलि-
वसकी प्राप्ति, रक्षा या सयोग की प्रेरणा करनेवाले लोभ या प्रेम-
वशीभूत होता है।

अपने मूल रूपों में सुख और दुःख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ बँध-
हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं। उन
भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेकरूपता का स्फुरण नहीं होता।

भाव या मनोविकार

विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे—दौँत निकालकर हँसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचानेवाली वस्तु से लगे रहेंगे; इसी प्रकार शुद्ध दुःख में हम बहुत करेंगे—हाथ-पैर पटकेंगे, रोएंगे, चिलाएंगे या दुःख पहुँचानेवाली वस्तु से हटेंगे। पर हम चाहे कितना ही उछल-कूदकर हँसें, कितना ही हाथ-पैर पटककर रोएं, इस हँसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुःख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती।

शारीर-धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण व्यञ्जना हो सकती है। उदाहरण के लिए कम्प लीजिए। कम्प शीत की सवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना-झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने ले लिया है। मुँह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यञ्जना किया करते हैं। इसी से साहित्य-सीमांसकों ने अनुभाव के अतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है।

क्रोधी चाहे किसी की ओर झपटे, या न झपटे, उसका यह कहना ही कि ‘मैं उसे पीस डालूँगा’ क्रोध की व्यञ्जना के लिए काफी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका यह कहना ही कि ‘कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती !’ उसके जोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीररस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूरण उक्तियो-द्वारा होती है वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण-क्षेत्र में उछलने-कूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं। पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेकरूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यञ्जित हो सकता है उतना अनुभाव

कहलानेवाले व्यापारों-द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना-फोड़ना, मारना-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं; पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है। 'किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना' तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के सम्बन्ध में समझिए।

समस्त मानव-जीवन के प्रवर्त्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के स्तर म पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए। लोक-रक्षा और लोक-रक्षन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म-शासन, राज-शासन, मत-शासन—सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक-कल्याण के व्यापक द्वेष की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं उसी प्रकार किसी सम्प्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमत विधान की सफलता के लिए भी।

सब प्रकार के शासन में—चाहे धर्म-शासन हो, चाहे राज-शासन या सम्प्रदाय शासन—मनुष्य-जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दण्ड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज-शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म-शासन और मत-शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्त्तन उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासकवर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ-सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं उसी प्रकार धर्म-प्रवर्त्तक और आचार्य अपने स्वरूप-वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासक-वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शान्ति के लिए भी डरते और ललचाते आए हैं। मत-प्रवर्त्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कँपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्त्तक ने उसे

भाव या मनोविकार

गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय के भर्म और रुद्रज्ञ धौरण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक से पापे लगाया है। भाव-क्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र है। उसे इस प्रकार बन्दा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए।

शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता है जो धर्म-क्षेत्र में भक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मङ्गल और लोक के मङ्गल का सङ्घम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस सङ्घम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर-सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामज्ज्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनन्द का मेल शेष प्रकृति के सुख-सौन्दर्य के साथ हो जायगा, जब उसकी रक्षा का भाव वृण-गुल्म, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जायगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा और वह जगत् का सच्चा प्रतिनिधि हो जायगा। काव्य-योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर यही पुकारती आ रही है—

विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ

खेलत फिरत तिन्है खेलन फिरन देव।—ठाकुर

उत्साह

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनन्द-वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप से दुखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान् भी होते हैं। उत्साह में हम आतेवाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमग में अवश्य प्रयत्नवान् होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनन्द का योग रहता है। साहसपूर्ण आनन्द की उमझ का नाम उत्साह है। कर्म-सौन्दर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं।

जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्करणापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य-भीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दया-वीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तकाकी परवा नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्करणा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप

उत्साह

बिना हाथ-पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयारैं रूहना-साहसरौं और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धौरता कुहाँ जायगी । ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अन्तर्गत तभी ले सकते हैं जब कि साहसी या धीर उस काम को आनन्द के साथ करता चला जायगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं । सारांश यह कि आनन्दपूर्ण प्रथल या उसकी उत्कण्ठा में ही उत्साह का दर्शन होता है; केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं । धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है ।

दान-वीर में अर्थ-त्याग का साहस अर्थात् उसके कारण होनेवाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अन्तर्वित रहती है । दानवीरता तभी कही जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन-निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी । इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या सम्भावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊँची समझी जायगी । पर इस अर्थ-त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनन्द के चिह्न न दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा ।

युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण-हानि तक की संभावना रहती है । अनुसन्धान के लिए तुषार-मणिडत अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुवदेश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बवरे जातियों के बीच अज्ञात घोर जङ्गलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं । इनमें जिस आनन्दपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साह ही है ।

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटनेवाला प्राणी नहीं है । मानसिक क्लेश की सम्भावना से भी बहुत-से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता । जिन बातों से समाज के बीच उपहास, गा निन्दा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याण-वाप कारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं । प्रत्यक्ष

हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े घड़े समझदार तक इसी लिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जायेंगे, लोगों में उनका वैसा आदर-मम्मान न रह जायगा। उसके लिए मान-ग्लानि का कष्ट सब शारीरक क्षेत्रों से बढ़कर होता है। जो लोग मान-अपमान का कुछ भी ध्यान न करक, निन्दा-स्तुति की कुछ भी परवा न करकं किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूण् तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं वे एक ओर तो उत्साही और बीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी वेहया।

फिसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निन्दा-स्तुति, मान-अपमान आदि की कुछ परवा न करने प्रचलित प्रथाओं का उद्दृढ़न करलेवाले बीर या उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली अती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं; उसकी ओर उनका ध्यान लेश मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्त्व समझते हैं उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनन्द की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निन्दा या अपमान का कुछ परवा नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस—भाव की दृष्टि से—कहीं अधिक मूल्यवान् है। जो फिसी प्राचीन प्रथा की—चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो—उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़नेवालों की निन्दा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं।

समाज-सुधार के बत्त मान आनंदोलना के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गम्भीर पुरुष पाए जाते हैं उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान् भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई छिछोरों और लम्पटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के बड़े लम्बे-चौड़े दास्तान हर दम सुनते सुनाते पाया है। ऐसे लोग वास्तव में काम-कथा के रूप में ऐसे

उत्साह

बृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। इस ढाँचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर बाधा पहुँचने ही की सम्भावाना रहती है। ‘सुधार’ के नार्स परं ‘साहित्य’ के क्षेत्र में भी ऐसे लोग गन्दगी फैलाते पाए जाते हैं।

उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुन्दर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पर-रक्षा, देश-रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमड़ देखी जाती है उसके सौन्दर्य को परपीड़न, छकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुँच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशसा संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएँ भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं।

अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा-बहुत आराम, विश्राम, सुभीते इत्यादि का त्याग सबसे करना पड़ता है; और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या दस-पाँच कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी किया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे ‘उत्साह’ की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जायें या थोड़ा हँस भी दें तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा। हमारा उत्साह तभी कहा जायगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते हो उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न-मुख इधर-उधर

आरे-जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य लक्षण हैं।

प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत वुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो वुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों वरावर साथ-साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चलवाती है उसी प्रकार वुद्धि से भी काम करती है। ऐसे उत्साहवाले वीर को कर्म-वीर कहना चाहिए या वुद्धि-वीर,—यह प्रश्न मुद्राराज्ञस-नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राज्ञस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं—शब्द की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति वुद्धि-व्यापार के अवसर पर होती है अथवा वुद्धि-द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है; अतः कर्म-वीर ही कहना ठीक है।

वुद्धि-वीर के हृष्टांत कभी-कभी हमारे पुराने हंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी परिणत से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनन्द के साथ सभा में आगे आता है उस समय उसके वुद्धि-साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे, वुद्धि-वीर समझा ही जाता है। इस ज्ञाने में वीरता का प्रसङ्ग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही समझी जायगी। ये वाग्वीर आज-कल बड़ी-बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्थियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपञ्चों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद से।

थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है—कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अन्त तक पूरी कर्म-शुद्धता पर से होता हुआ उसकी सफलता-रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनन्द की तरंगें उठती हैं वे ही सारे प्रयत्न को आनन्दमय कर देती हैं। युद्ध-वीर में

उत्साह

विजेतव्य जो आलम्बन कहा गया है उसका अभिप्राय ये ही है कि विजेतव्य कर्म-प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है। वह कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है। पर आनन्द और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय-विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दान-वीर, दया-वीर और धर्म-वीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दया-वश, श्रद्धा-वश या कीर्ति-लोभ-वश दिया जाता है। यदि श्रद्धा-वश दान दिया जा रहा है तो दान-पात्र वास्तव में श्रद्धा का और यदि दया-वश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलम्बन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया को प्रेरणा से जिस कठिन या दुर्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा वीररस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनन्द का मेल रहता है।

जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लौँघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं,—समुद्र लौँघने का विकट कर्म है। कर्म-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं।

किसी कर्म के सम्बन्ध में जहाँ आनन्दपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनन्द होता है उसका विधान तीन रूपों में दिखाई पड़ता है—

१. कर्म-भावना से उत्पन्न,
२. फल-भावना से उत्पन्न और
३. आगन्तुक, अर्थात् विषयान्तर से प्राप्त।

इनमें कर्म-भावना-प्रसूत आनन्द को ही सच्चे वीरों का आनन्द समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत अधिक रहा करता है। सज्जा वीर जिस समय मैदान में उत्तरता है उसी समय उसमें उत्तरा आनन्द भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अन्तर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर वह उसी झोक से लपकता है जिस झोक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म-प्रवत्ते के आनन्द की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है।

फल की भावना से उत्थन आनन्द भी साधक कर्मों की ओर हप और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म-विषयक आनन्द उसी फल की भावना की तीव्रता और मन्दता पर अवलम्बित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब-जब फल की भावना मन्द पड़ती है—उसकी आशा कुछ धुँधली पड़ जाती है, तब-तब आनन्द की उमड़ गिर जाती है और उसी के साथ गद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। पर कर्म-भावना-प्रधान उत्साह वराधर एकरस रहता है। फलासक उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है; पर कर्मासक उत्साही केवल कर्मानुष्टान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म-भावना-प्रधान उत्साह ही सज्जा उत्साह है। फल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है।

उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ साथ लगा न मालूम हो तो हमारे हाथ-पाँव कभी न उठें और उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इससे कर्म-शृङ्खला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनन्द की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाय कि असुक स्थान पर जाने से हमें किसी

प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यन्त प्रिय हो जायगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुँचानेवाला कर्म-पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जायगा वह अभावमय और आनन्दशून्य होने के कारण निर्जीव-सा होगा।

कर्म-रुचि-शून्य प्रयत्न में कभी-कभी इतनी उत्तापिता और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊँचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दीं और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण-राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अङ्ग सचेष्ट हो गए तो उसे एक-एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी, एक-एक सीढ़ी उतरने में उसे आनन्द मिलता जायगा, एक-एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्णराशि तक पहुँचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न-काल को भी फल-प्राप्ति-काल के अन्तर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जायगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुँच जायें। उसे एक-एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हारकर बैठ जाय या लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर पड़े।

फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, चिन में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े

और फल बहुत-सा मिल जाय। श्रीकृष्ण ने कर्म-मार्ग से फलासक्ति की प्रवलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से प्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे पढ़े कि गरमी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे; चार आने रोज़ का अनुष्ठान करके व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन-धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या-क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है जिस आनन्द से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनन्द कर्म करते समय तक घरावर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है।

कर्म के मार्ग पर आनन्द-पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अन्तिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करनेवाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी; क्योंकि एक तो कर्म-काल में उसका जीवन बीता वह संतोष या आनन्द में बीता, उसके उपरान्त फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना-बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न-क्रम के अनुसार उसके एक-एक अङ्ग की योजना होती है। बुद्धि-द्वारा पूर्ण सूप से निश्चित की हुई व्यापार-परम्परा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी वृक्षमार है। वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औपध ला-लाकर रोगी को देता जाता है और इधर-उधर दौड़-धूप करता जाता है तब तक उसके चित्त में जो सन्तोष रहता है—प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनन्द का उन्मेष होता रहता है—वह उसे कदापि न प्राप्त होता, यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश सन्तोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुःख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के

न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मगलानि के उस कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच-सोचकर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया ।

कर्म में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मण्य है । धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं । अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्म-वीर का सच्चा सुख है । उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाय; बल्कि उसी समय से थोड़ा-थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है ।

कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनन्द के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत-से कामों की और हर्ष के साथ अप्रसर करती है । इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं । यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है । उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं । इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख-प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनन्द, फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर, उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है । यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमे बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही हैं, अन्य कार्यों में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा देते हैं ।

यह बात उत्साह ही में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी वरावर पाई जाती है । यदि हम किसी बात पर क्रद्ध वैठे हैं और इसी बीच मे कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सौधी तरह भी पूछता है तो भी

हम उस पर मुँमला ढाठते हैं। इस मुँमलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, न उद्देश्य। यह कंवल क्रोध की स्थिति के व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस मुँमलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध ही में रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन वातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह देते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम घृत-से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वात का विचार करके सलाम-मादक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले धर्दियों से उनका मिजाज पूछ लिया फरते हैं।

श्रद्धा-भक्ति

किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण वा शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का सम्भार है। यदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान्, बड़ा परोपकारी, वा बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनन्द का एक विषय हो जायगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएँगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनन्द-पद्धति में व्याधात पहुँचने के कारण उसकी निन्दा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को बान्धत है। यही विश्व-कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है।

प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं—कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुन्दर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के

लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त। प्रेम में धनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखनेवाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखनेवाले सैकड़ों, हजारों, लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव ढढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनसे मनुष्य-समाज की स्थिति है। कर्ता संबद्धकर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्म की ज्ञानता प्राप्त करने के लिए वार-वार कर्ता ही की ओर आँख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत ज्ञेय में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति-केंद्र हो जाता है। अजस्र समाज में किसी ऐसे व्योतिष्ठान-शक्ति-केंद्र का उदय होता है उस समाज में भिन्न-भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएँ मेव-खण्डों के समान उठकर तथा एक ओर और एक साथ अप्रसर होने के कारण परत्पर मिलकर, इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मङ्गल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुःख और क्लेश वह जाते हैं।

हमारे अन्तःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का सहृदय उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का सहृदय उसके फैलाए हुए कर्म-तन्तु के उपादान से होता है। प्रिय का चिन्तन हम आँख मूँदे हुए, संसार का भुलाकर, करते हैं; पर श्रद्धेय का चिन्तन हम आँख खोले हुए, संसार का कुछ अंश सामने रखकर, करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई

और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनन्दान्वर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्दर जैसा और हमारे चित्र में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद्-भाव उत्पन्न हुआ तो वह श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य वा चित्र-रूप मध्यस्थ-द्वारा प्राप्त हुआ है।

६८ प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और ज्ञात होता है; पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी-कभी केवल एक साथ रहते-रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें; उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के सम्पूर्ण जीवन-क्रम के सतत साज्जात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ देखना चाहता है। ससार में बहुत से लोग उठते-बैठते, चलते-फिरते हैं; पर सबका उठना-बैठना, चलना-फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक विराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह कि श्रद्धा में हृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है और प्रेति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों-द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति।

किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं; पर उसके रूप की प्रशसा किसी दूसरे से सुनकर घट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। यह बात है कि प्रेम एक मात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है; पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागती है। रूप की भावना का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यक्तिगत

हुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे थीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई; क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनन्द या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर 'वाह वाह' करते जायेंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीझनेवाले या कद्रामे ही कहलाएँगे; पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जायगा। श्रद्धा-भाजन पर श्रद्धावान् अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिये के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है।

श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई वार नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर—चाहे हम व्यष्टि-रूप में उसके अन्तर्गत न भी हों—जान-दूसरकर उसने कोई शुभ प्रभाव ढाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं, बल्कि सारे मनुष्य-समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या धृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बाँट दिया है, दो-चार मानवीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जायेंगे उतना ही वह समाज जाग्रत समझा जायगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और दस-पाँच आदमी प्रेय रखें,—इसकी हमे परवा क्या इच्छा ही नहीं होती;

क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं।

जब तक समष्टि-रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अन्तःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है। पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जानेवाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं—उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अङ्ग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जानेवाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने सम्बन्धी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारा पाष-सड़ है, हम भूठ-भूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करते हैं। पर उसी सज्जन को दस-पाँच और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हे हम जानते तक नहीं और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाय, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पञ्च-बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से सम्बद्ध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से सम्बद्ध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है।

श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार। अतः जिनकी स्वार्थ बद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हे अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है उनकी

इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थीयों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अन्तःकरण इतना संकुचित और मलीन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते।

स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है—

१. प्रतिभा-सम्बन्धिनी,
२. शील-सम्बन्धिनी और
३. माधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी।

१ प्रतिभा से मेरा अभिग्राय अन्तःकरण की उस उद्घाविका किया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना जीवों में नड़-नड़ आते या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह ग्रहण और धारणा-शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा इधर-उधर से प्राप्त ज्ञान (विद्वत्ता) सञ्चित किया जाता है। कला-सम्बन्धिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी-बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए, इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न नम-भने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाढ़ीपन है—हमारे रुचि-संस्कार की त्रुटि है। उसका उपाय यही है कि समाज कला-सम्बन्धिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन-समूह में हो जाय। पर इतना होने पर भी कला-सम्बन्धिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी-बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहङ्कार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे।

२ पर शील-सम्बन्धिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन-समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म ही से मनुष्य-समाज की स्थिति है; अतः उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मत-भेद आदि नहीं। सदा-चारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी

स्वार्थ-त्याग करते देख हमारे मुँह से 'धन्य-धन्य' भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे, समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने चोर्य नहीं। ~~अ~~ किसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा-द्वारा हम यह आनन्दपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टान्त धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे जब कभी अवसर आए तब वह कर्म-रूपी दूसरे सोपान पर हो जाय।

अब रह गई साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिती श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन-सम्पन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्ध रचने की अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिक्षा-द्वारा उसके भाव उभ्रत हैं, वह सहृदय है तो वह अपनी इस सम्पन्नता का उपयोग मनोहर उच्चभाव-पूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है; यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण, भाव-शून्य गद्य को रीतिका, शिखरिणी आदि नाना छन्दों में परिणत करेगा या अपनी भवी और कुरुचिपूर्ण भाव-नाओं को छन्दोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखनेवाले भी बहुत मिल जायेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन-सम्पन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं।

देशी कारीगरी, चित्रकारी, सज्जीत आदि में नियम-पालन के अभ्यास-द्वारा प्राप्त इस साधन-सम्पन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव-हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होते लगा था। ~~उन्ह~~ से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमे बहुत सा काम गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा, ऐसे महोद बेल-बूटों की भिन्न-भिन्न पटरियाँ दीवारों में

जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आँख को पास ले जाकर सदाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव हटिये और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने-वालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय (या अपव्य) का पूरा परिचय मिलता है; पर विचार और सहदेयता-पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। सुझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं है, दस-पाँच हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज़ है।

चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधाकृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक-एक पत्ती अलग-अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक-एक वूटी बड़ी सावधानी और मिहनत के साथ बनाई गई है। देखनेवाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधाकृष्ण को एक साथ देख रहा है, वहिंकि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियाँ गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जायगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात् साधन-सम्पन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात् कला के विचार से नहीं जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है।

✓ सङ्गीत के पेच-पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलाकृति पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुँह फैलाता है और 'आ आ' करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है—दिन-दिन भर चूपचाप बैठे रहनेवाले बड़े-बड़े आल-सियों का आसन डिग जाता है। जो सङ्गीत नाद की मधुर गतिन्द्रारा मन में माधुर्य का सञ्चार करने के लिए या वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वरग्राम की लम्बी-चौड़ी क़वायद हो गया। श्रद्धालुओं के अन्तःकरण की मार्मिकता इतनी स्तम्भ हो गई कि एक खर-श्वान के गले से भी इस लम्बी कवायद को ठीक उतरते देख उनके

S. M. T. S.

अद्वा-भक्ति

मुँह से 'वाह वाह' 'ओहो हो' निकालने लगा। ~~काव्य पर शब्दों का अलंकार~~
 आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया।
 बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अज्ञ थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहदयता से सम्बन्ध रखनेवाले थे उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएँ मूर्ति मान् रूप धारण करके सामने आतीं तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फीलपाव ! इनकी दशा सोने और रक्तों से जड़ी गुठजी धार की तलवार की-सी हो गई।

किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जन-साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्र० राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे-मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर ४० मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाढ़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस सम्पन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी सङ्कट से अपनी या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की सम्भावना की कल्पना किए शुद्ध साधन-सम्पन्नता ही पर होती है। केरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन-सम्पन्नता ही के सम्बन्ध में होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वत्ता। किसी विषय की बहुत-सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका सञ्चय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान् की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भण्डारी और उपयोग-कर्ता दोनों हो—अर्थात् वह उत्तम चिन्तक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस सञ्चित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान् में यह प्रतिभा नहीं है—यह शक्ति नहीं है तो वह अपनी सञ्चित जानकारी को कला-कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्त्वान्वेषकों

के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकतानुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वत्ता सामाजिक सम्बन्ध में आ जायगी।

भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाली श्रद्धा भिन्न-भिन्न मात्रा की हुत्रा करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लम्पटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। एक बात और है। यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय, मद्यप या सनकी है तो जो अत्यन्त काव्य-प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुरुण्ण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुरुण्णों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अन्तःकरण एक है। उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकतीं। इस प्रकार की मानसिक स्तव्धता को श्रद्धान्धता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धान्ध, समाज ने उतना अनथेकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जितना मदान्ध, क्रोधान्ध या ईर्ष्यान्ध; पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते-बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर और शील-सम्बन्धिनी चेतना को विलकुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में व्याज से सहायता पहुँच सकती है।

यदि किसी अपव्ययी और मद्यप कवि पर अत्यन्त श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा-बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है जो कविजी अपन सहवर्तीयों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा-पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुणेपन के कारण लोगों को पहुँची हुई पीड़ा के

दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इन्द्रकृत हत्या की बँटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता-सम्बन्धी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते।

अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन-सम्पत्ति—श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जन-साधारणा के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है; क्योंकि उसका सम्बन्ध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति-रक्ता से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन-सम्पत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है।

५८८ दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यन्त वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है—जीवन की कठिनता कम होती है। जिसपर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बन्द हो जाते हैं—उसे या तो काँटों पर या ढाई कोस नौ दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा सम्पादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखड़ियाँ—आज-कल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएँ सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर, चाईं और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ-साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए—इन्हे सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नच्छ रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डका पीटता दिखाई

देता है, कोई देश-हितैपिता का लम्बा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है।

मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है—मन से, वचन से और कर्म से। इनमें से मन तो देखने-देखाने की चीज़ नहीं। बाणी और कार्य-प्रणाली की नकल की जाती है, और बड़ी सकाराई से की जाती है। ऐहितोपदेश के गढ़े ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर अब लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहाँ-कहाँ केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन में काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरे की टूकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बरतन का मोल-भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं—इतना लो तो लें। इतने ही मेसौभाग्य-वश दूकानदारजी को ब्रह्मज्ञानियों के बाब्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा—“माया छोड़ो और इसे ले लो।” सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य-क्षेत्र ! यहाँ न माया छोड़ी जायगी तो कहाँ छोड़ी जायगी। थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रति-भाशाली लोग कुछ उप्रता और पागल-पन लिये होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यन्म में लगे रहते हैं। सुनते हीं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हँसी-खेल नहीं, भूल-चूक से कुछ समझदारी की बातें मुँह से निकल ही जाती हैं।

जैसे और सब विद्याओं की वैसी ही परश्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आज-कल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो आकप के अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आज-कल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार-ब्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि पर-श्रधा के सहारे कार्य में सुगमता आती है; अतः किसी कार्यसाधन के लिए जो लोग प्रयत्न-द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति-

कुशल, धूर्त या पाषण्डी कहे जाते हैं। पर ससार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हे अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनन्द मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर-श्रद्धा को मनो-रज्जन या मानसिक भोग-विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा के बल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर-श्रद्धाभिलाषियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गैंजेडी और चरणद्वाजा आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-कभी बड़े-बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि ये उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते; यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की सम्भावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है और ये यातो गुप्त रूप से उसमें विनाई की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्त्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आठम्बर धड़ा होता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि अद्वावान् अपनी श्रद्धाद्वारा श्रद्धेय में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। अद्वावान् श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। अद्वा न्याय-नुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रक्खे हुए श्रद्धेय के गुण, कम आदि के हिसाब से होती है। अद्वा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जब कि इस व्यापार-युग में ज्ञान विकता है, न्याय विकता है, धर्म विकता है—तब अद्वा ऐसे भाव क्यों न विकें? पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर,

नक़ली सही। एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जायें? अपनी भीक्ता या चापलूमी को हम 'श्रद्धा' कहकर गलियो और संवाद-पत्रों में क्यों न पुकारें? ~~ऐसे भठ्ठे श्रद्धाचानों से~~ घिरकर भूठे श्रद्धा-पात्र सच्चे श्रद्धा-पत्रों को क्यों न मात करे, जब कि आज-कल भूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं?

कला-कुराल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा-द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा-द्वारा हम भी समाज का मन्त्रल-साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझना है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लंश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा-द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म-भाव है—सात्त्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'महाराज! मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो'। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा लिये अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा चिन्त्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज-द्वारा प्राप्त है—इसका हक हमें कानून हासिल है पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ-साथ लगे फिरें और हर दम उसे बेरे रहें तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव

अश्रद्धा या वृणा प्रकट करने का नहीं; क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थ-वश प्रकट की तो किसी की उतनी हानि नहीं, पर यदि वृणा भूल से या द्वेष-वश प्रकट की तो व्यर्थ का सन्ताप और दुःख फैल सकता है।

ऊपर कहा जा चका है कि श्रद्धा के विषय तीन हैं—शील, प्रतिभा और साधन-सम्पत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रजन, और साधन-सम्पत्ति से शील-साधन और प्रतिभा-विकास दोनों की सम्भावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है—कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धा-वश जो दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंट है। सज्जा दान दो प्रकार का होता है—एक वह जो श्रद्धा-वश दिया जाता है, दूसरा वह जो दया-वश दिया जाता है। परिणतों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धा-वश दिया जाता है, अन्धों, लूलों और लैंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दया-वश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। जन-साधारण अपनी दया-द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का, कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए, निवारण कर सकते हैं; अतः श्रद्धा-द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी-थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं।

श्रद्धा-वश दान में उपर्योगिता का तत्त्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धा-वश दान पर बड़ा ज्ञां दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्रापात्र का विचार भी सूख किया गया है। विद्या-दान में इति-विद्वानों को, परोपकार में रब कर्म-वीरों को, मानव-ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्त्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हे जो कुछ हम श्रद्धा-वश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस-रूप में उसका संचार अंग अंग

में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थीयों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतीसार या सप्रहणीवाले को खिलाया हुआ अन्न भारतवर्ष में अद्वा का सम्बन्ध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है, इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो अद्वा का नाम ले लिया जाता है। पंडों-पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि 'महाराज इतनी ही अद्वा है' और पंडे-पुरोहित भी कहते हैं कि 'जितनी अद्वा हो उतना दो'; यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के सम्बन्ध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे वडे विद्वान्, वडे धार्मिक या वडे परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी-कभी बुद्धि की भी थोड़ी-बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को अद्वा होती है और किसी को अश्रद्धा, इसका कारण घृणा के अन्तर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है।

१२)

श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्यभाव की बुद्धि के साथ अद्वा-भाजन के सामीप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साज्जात्कार की वासना हो, तब दृढ़य में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनन्द का अनुभव होने लगे—जब उससे सम्बन्ध रखनेवाले अद्वा के विषयों के अतिरिक्त वातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति-रस का सञ्चार समझना चाहिए। जब श्रद्धेय का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हँसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन-क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अपित्त करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन-क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अपेण करते हैं और कभी याचना करते हैं। सारांश यह कि भक्ति-द्वारा हम भक्ति-भाजन से विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं—

उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति अद्भुत धारणा करके हम बहुत करेंगे समय-समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करनेवालों से भगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे; पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जायगी वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ-देख सकता है— वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक सुख आदि) से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन।

महात्माओं के ऊपर अद्भुत मात्र करके हम उन्हे जीवन-शक्ति-द्वारा उपार्जित कोई फल अपित कर सकते हैं; पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन ही के कुछ अंश को अपित कर देते हैं। किसी वीर-ब्रती महात्मा पर बहुत अद्भुत होकर हम आर्थिक सहायता-द्वारा उसके लिए कुछ सुवीकार कर सकते हैं, अपने बच्चों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं; पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएँगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएँगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएँगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएँगे; यहाँ तक कि जो कुछ हममें होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्त्व या प्रभाव को बढ़ाएँगे और उसके थोड़े-बहुत हम भी भागी होंगे। अद्भुत-द्वारा हम दूसरे के महत्त्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्त-द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे को भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनूमान् अन्य राम-भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए।

'॥ अद्भुत महत्त्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्त्व की ओर अप्सर होता है। अद्भुत अपने जीवन-क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है;

पर भक्त उसकी काट-छाँट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण-साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविन्दसिंह को यदि केवल दण्डवत् करनेवाले और गही पर भेंट चढ़ानेवाले अद्वालु ही मिलते, दिन-रात साथ रहनेवाले—अपने सारे जीवन को अपित करनेवाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-दमन से कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक-हितकारियाँ शक्ति को स्वीकार करने में किसी को प्रागा-पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक सहकार के जिए आवश्यक हैं कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण-विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिरड़ों का आविर्भाव नहीं हो सकता वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती।

भक्ति में किसी ऐसे सात्रिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का सङ्घोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य-लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिग देते हैं—अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिविम्ब ठीक-ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक क्षुद्रता का परिज्ञान अरुचिकर होगा वह सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर-दूर भागा फिरेगा। ‘हमीं हम’ वाले ‘तुम भी’ नहीं सह सकते, ‘तुम्हाँ-तुम’ की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त हूँड़ने निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात् दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम सुक्ष्म हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे और दूसरे पर अद्वा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए—अनेक रूपों में परिचय के लिए—उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस अद्वा में प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रिया-कलाप को अपने पूज्य प्रेम-पात्र के अर्धानि करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जन-साधारण के लिए

श्रद्धा-भक्ति

इस प्रकार के आश्रय-द्वारा महत्त्व की प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम-साध्य जान पड़ता है वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है।

~~व्यक्ति-सम्बन्ध-हीन सिद्धान्त-मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरञ्जनकारी तभी लगते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनन्त रूपों से दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य-जाति ने जब से होश संभाला, तब से वह इन अनन्त रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्त्विक शील को ओर आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धान्त-वाक्यों में कोई आकर्षणशक्ति या प्रवृत्तिकारिणी नहीं होती। 'सदा सत्य बोलो', 'दूसरे की भलाई करो', 'ज्ञाना करना सीखो'—ऐसे-ऐसे सिद्धान्त-वाक्य किसी को बार-बार वकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसा किसी वेहदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाय उससे चट कहना चाहिए—'बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल-भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं।' मानव जीवन के बीच हम इनके सौन्दर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हे दिखाने की प्रतिभा आ शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो।' गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करनेवाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली किया है, संकल्प-विकल्प दूसरी। अतः सिद्धान्त-पर्याँ के सम्बन्ध में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं—जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे परिको में तथा उनके चारों ओर पाई जायेगी। सत्पथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है—या वे ही सत्पथ के दीपक हैं। सत्त्वोन्मुख~~

प्राणियों के लिए ऐसे प्रथिकों के सामीप्य-लाभ की कामना करना स्वामाविक ही है।

— सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान हैं। बाय और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण-द्वारा हम अपने आराध्य को—उसके कर्म-क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म-क्षेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ, अवश्य आते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है—इनके बीच उनका (इष्ट का) रंग और खुल पड़ता है। यदि नाम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ-साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उन्योगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोगकर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एक-मात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्रायशिच्चत्तों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है।

पाप-का फल छिपानेवाला पाप छिपानेवाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत-से लोग होते हैं जो किसी का घट जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही—संसार में धर्म की मयादा स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पाढ़व

जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रँगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करनेवाली आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—

यहा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत !

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल उत्पन्न करना और संसार के समृद्ध रखना, लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जानेवाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो; पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक-सम्राट् की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतन्त्रता है।

अब भगवद्भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया ~~स~~^ससे स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या हैं। मनुष्य विश्व-विधान का एक क्षुद्र चेतन अश है। उसके धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से सम्बन्ध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि-स्थिति और सुख सन्तोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्यक्रोत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामर्ज्यस्य हूँड़ता है तो नहीं पाता है—कहीं उसे 'जीवो जीवस्य जीवनम्' का सिद्धान्त चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनसरण मनुष्य समाज में भी जान-बूझकर क्यों न किया जाय, यह नहीं सोचता कि मनुष्य-जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की और कोई भूमि

भावना से उसका हृदय गढ़गढ़ हो जाता है और उसका धर्म-पथ आनन्द से जगमगा उठता है। धर्म-क्षेत्र या व्यवहार-पथ में वह अपने मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनन्दमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं, उसके प्रेम, श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलम्ब मिल जाता है, उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का सञ्चार हो जाता है। उनके सामीप्य का आनन्द लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक रूप-सौन्दर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल-लीला के चिन्तन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म-बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर बन्दना करता है—यहाँ तक कि जब जी में आता है, प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात् आनन्द अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसा नाक से खाना और कान से सूचना हमारे यहाँ भक्ति-विधान के अन्तर्गत श्रवण, कृत्वन्, स्मरण, सेवा, अर्चन्, बन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये नौ वातें ली गई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है, जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान् श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है।

रामलीला, कृष्णलीला आदि सामीप्य-सिद्धि ही के विधान हैं। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्शिकता से इस प्रकार प्रकट की है—

मानुप हो तो वही 'रसखान'

वसौं सेंग गोकुल गाँव के घारन ।

जौ पसु हों तो कहा वस मेरो,

चरौं मिलि नन्द के धेनु मझारन ॥

पाहन हों तो वही गिरि को,
जो किए हरि छुत्र पुरंदर-धारन ।

जै खग हों तो बसेरो करौं,
मिलि कूल कलिदी कदंब के डारन ॥

रामलीला-द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्यदेव की आदशं मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर-दूर के गाँवों के लोग एक मैदान मे आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक ओर जटा-मुकुटधारी विजयी राम-लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से विधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं उस समय वे धर्म के सौन्दर्य पर लुध और अधर्म की बोरता पर क्षुध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्णलीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म-रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन-धारणा की अभिलाषा दूनी—चौगुनी हो जाती है। हिन्दू-जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बचाती चली आई है—इन्हीं की अद्भुत आकर्षण-शक्ति से वह इधर-उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आँसू वहाए छोड़ना हिन्दू-जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देनेवाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक-एक अङ्ग की मनोहरता दिखलानेवाले थे। मङ्गल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की बन की, सम्पद की, विषद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है।

संसार से तटस्थ रहकर शान्ति-सुख-पूर्वक लोक-व्यवहार सम्बन्धी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्त्व हिन्दू धर्म मे नहीं है जितना ससार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्त्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गये हैं। अपने जीवन द्वारा कर्म-सौन्दर्य संघटित करने वाले

ही अवतार कहे गये हैं। कर्म-सौन्दर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खिंचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं—खेलना, कूदना, हँसना, बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना—उन सबसे सौन्दर्य लाते हुए हम जिन्हे देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखानेवाले नहीं हैं, आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचते वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वह निस्सन्देह जड़ है।

सुनि सीतापति सील सुभाड ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल से नर खेहर खाउ ॥

जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की वहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दें, उनके लिए शुद्ध सत्त्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के सम्पूर्ण दमन की श्रेष्ठा रागों का परिष्कार व्यादा काम में आनेवाली बात है। निर्लिपि रहकर दूसरों का गला काटनेवालों से लिपि होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक-कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं।

जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र-धर्म है। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक रक्षा से है। ‘काई राजा होगा तो अपने घर का होगा’ इससे बढ़कर मूठ बात शायद ही कोई और मिले। मूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौन्दर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप-माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख-भोग के साथ परन्दुःख-कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म-पथ का अवलम्बन इत्यादि कर्म-सौन्दर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इसी से क्षात्र-

धर्म के सौन्दर्य में जो मधुर आकर्षण है, वह अधिक व्यापक, अधिक मर्म-स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुज्य की सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है।

सुसार मे मनुज्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती।— इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाषण्ड के अन्तर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक-रक्षा का मार्ग होगा—वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा।— जिसमे शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौन्दर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वाङ्गपूर्ण लोक-धर्म का मार्ग होगा। क्षात्र-धर्म-पालन की आवश्यकता ससार में सब-दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार-युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। समझाना-बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा मे यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है, तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुन्दर और अक्रोध कितना गहिरा होगा !

करुणा

जब वच्चे को सम्बन्धज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुःख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। वज्ञा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं और विना किसी विवेचन-क्रम के, स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा, वह 'अपने' अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य-कारण-सम्बन्ध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुःख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुःख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुःख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ भूठ-मूठ 'ऊँ ऊँ' करके रोने लगती है तब कोई कोई वच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उनके किसी भाई या वहिन को कोई मारने उठता है तब वे कुछ चौचल हो उठते हैं।

दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलटा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और आनन्द दोनों की श्रेणियों में रक्खी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैते आनन्द की श्रेणी में रक्खा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा; पर भीतर से जो जवाहरात निकले

उनको खूब सभालकर रखता। नूरजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर अफ़ग़ान को मरवाया पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखता।

ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यो ही समाज में प्रवेश करता है, उसके सुख और दुःख का बहुत सा अंश दूसरों की किया या अवस्था पर अवलम्बित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुःख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी। मैं समझता हूँ, नहीं। हम अज्ञात-कुल-शील मनुष्य के दुःख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बन्द नहीं रखते जब तक कि यह न मालूम हो जाय कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है; यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है हमारी दया दूर या कम हो जाय। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे कोध की तुष्टि का साधक हो जाता है।

सारांश यह कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुःख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। पर आनन्दित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृद् या सम्बन्धी हो अथवा अत्यन्त सज्जन, शीलवान् या चरित्रवान् होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यों ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनन्द का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनन्द होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखता गया है और

न उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुःख के परिज्ञान से जो दुःख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है।

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दुःख पर दया वरावर उत्पन्न होती है तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालुम होता है उसके उत्तने ही दुःख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। किसी भोली-भाली सुंदरी रमणी को, किसी सञ्चरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई-बन्धु को दुःख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवननिर्वाह की सुगमता और कार्य-विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए।

मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्त्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की मज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके सम्बन्ध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा। उसके सब कर्म निर्लिपि होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सब के उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापना और दुःख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य का साधन हो वे उत्तम हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुःख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्त्विक हैं तथा जिस अन्तःकरण-वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्त्विक है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है; पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्म-भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतीकार है। दूसरी बात यह कि नवांन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुःख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यन्त अधिक है।

दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी सीत्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के सम्भाव्य दुःख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुःख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अन्तर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो 'शील' शब्द से चित्त की कोमलता या मुरौवत ही का भाव समझा जाता है, जैसे 'उनकी आँखों में शील नहीं है,' 'शील तोड़ना अच्छा नहीं'। दूसरों का दुःख दूर करना और दूसरों को दुःख न पहुँचाना इन दोनों बातों का निर्वाह करनेवाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुःशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य भूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बढ़ो की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जँचती या वह उसके अनुकूल चलने में असर्थ है, इसलिए नहीं कि बढ़ो का अकारण जी दुखे।

मेरे विचार में तो 'सदा सत्य बोलना', 'बढ़ो का कहना मानना' आदि नियम के अन्तर्गत हैं, शील या सद्वाव के अन्तर्गत नहीं। भूठ बोलने से बहुधा बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अवस्था में भूठ बोला ही न जाय। पर मनोरञ्जन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा भूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। किसी-किसी अवस्था में तो धर्मग्रन्थों में भूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियमभङ्ग द्वारा अन्तःकरण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के भूठ बोलने से कोई निरपराध और निःसहाय व्यक्ति अनुचित दृण्ड से बच जाय तो ऐसा भूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग-वर्जित सदाचार दृम्भ या भूठी क्रवायद है। मनुष्य के अन्तःकरण

में सात्त्विकता की व्योति जगनेवाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में डसको बड़ी प्रधानता दी गई है और गोस्त्रामी तुलसी-दासजीने भी कहा है—

पर-उपकार सरिस न भलाई ।

पर-पीटा सम नहि अवमाई ॥

यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्त्विक शील ही होता है। अतः करुणा और सात्त्विकता का सम्बन्ध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करनेवाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनन्द आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर वैठते। किया में तत्पर करनेवाली प्राणियों की आदि अन्तः-रुण-वृत्ति मन या मनोवेग हैं। अतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्त्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के आचरण के प्रवत्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग-अलग दिखला देगी, यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुन कर कार्य में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाय तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अन्तःकरण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं, वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूँढ़ती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करनेवाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है।

प्रिय के वियोग से जो दुःख होता है उसमें कभी-कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुःख है। अतः प्रिय के वियोग में

इस विषय की भावना किस प्रकार होती है, यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है, वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुःख अस्त्वा होता है, पर प्रिय जनों के सुख का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञान-वादियों के निकट अज्ञान है, इसी से इस प्रकार के दुःख या करुणा को किसी किसी प्रान्तिक भाषा में 'मोह' भी कहते हैं। सारांश यह कि प्रिय के वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम-जानकी के बन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं—

बन को निकरि गए दोउ भाईं ।
सावन गरजै, भादौं वरसै, पवन घलै पुरवाईं ।
कौन बिरछु तर भीजत हैं राम लखन दोउ भाईं ॥

(—गीत—)

प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का व्यान जितना वह रखता है उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख-वैभव था; पर यशोदा इसी सोच में मरती रहीं कि—

प्रात समय उठि माखन रोटी को बिन माँगे दैहै ?
कै मेरे बालक कुँवर कान्ह को छिन छिन आगो लैहै ?
और उद्धव से कहती हैं—
सँदेसो देवकी सों कहियो ।
है तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥

उवटन, तेल और तातो जल देखन ही भजि जाते ।
 जोहू जोहू माँगत सोहू सोहू देती क्रम क्रम करिकै न्हाते ॥
 तुम तो टेब जानतिहि सैही, तऊ मोहि कहि आवै
 प्राम उठत मेरे लाल लड़ैतए माखन रोटी भावी ॥
 अब यह सूर मोहि निसि वासर बड़ो रहत जिय सोच ।
 अब मेरे अनकलदैते लालन हुएँ करत सँकोच ॥

वियोग की दशा मे गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं कभी-कभी धोर अनिष्ट की आशङ्का तक होती है, जैसे एक पति वियोगिनी की सन्देह करती है कि—

नदी किनारे धुआँ उठत है, मैं जानूँ कन्तु होय ।
 जिसके कारण मैं जली, वही न जलता होय ॥ ,

शुद्ध वियोग का दुःख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न ज्ञाभ या विपद् है जिसमें प्रिय के दुःख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती ।

जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अङ्ग का खण्डित हो जाना है। किसी प्रिय या सुहृद के चिरवियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार, तथा उसकी इच्छा-पूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा

को संतुष्ट करने की संभावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर
॥ और विकल होते हैं।

सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज-शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार से की जाती है; यदि ध्यान से देखा जाय तो कर्मज्ञेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देनेवाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करनेवाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है, इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, विशेष कर सच्चे, सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है; वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चचल और मुराडे-मुराडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज-रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज-शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते होंगे। यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पञ्चायत ही के कारण होती और यदि उसका उद्देश्य वही तक होता जहाँ तक समाज-शास्त्र के वक्ता बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे, मुसरेडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, अशक्त और अपाहज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं। पर इसका बिलकुल उलटा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना ही अधिक असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक सिपाही या पहलवान को पिटते देख नहीं। इससे स्पष्ट है कि परस्पर साहाय्य के जो व्यापक

उद्देश्य हैं उनका धारण करनेवाला मनुष्य का छोटा सा अन्तःकरण नहीं, विश्वात्मा है।

दूसरों के, विशेषतः अपने परिचितों के, थोड़े कलंश या शोक पा जो वेग-नहित दुःख होता है उसे महानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा सा हो गया है। अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई सज्जा भाव नहीं समझा जाता है। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिह्नियाँ लोग यों ही भेजा करते हैं। यह छव्य-शिष्टास मनुष्य के व्यवहार-ज्ञेय से सज्जाई के अंत को क्रमशः चर्ती जा रही है।

कहुणा अपना वीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती है अर्थात् जिस पर कहुणा की जारी है वह बदले में कहुणा करनेवाले पा भी कहुणा नहीं करता—जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है—बलि कृतज्ञ होता अथवा अद्वा या प्रीति करता है। वहुत-सी अपन्यासियाँ कथाओं में यह बात दिखलाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करनेवाले युवकों के प्रेम में फँस गई हैं। कोमल भावों की योजना में दक्ष वैंगला के उपन्यास-लेखक कहुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं।

मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान से देश और काल की परिसिति अत्यन्त सद्गुच्छ होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है। पर-सृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिसिति को लाँचता हुआ अपना देश-काल सम्बन्धी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी-कभी आवश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है; किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है; जब हम सुनते हैं कि कई स्थानों पर कई बार वह बड़े-बड़े अपरा कर चुका है, इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेंगा, तो हमें अपने

दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। अपर कहा जा चुका है कि सृष्टि और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक हैं अर्थात् प्रकारान्तर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वे कभी तो आप से आप विषयों को मन के सामने लाते हैं; कभी किसी विषय के सामने आने पर उससे सम्बन्ध (पूर्वापर वा कार्य कारणसम्बन्ध) रखनेवाले और बहुत से विषय उपस्थित करते हैं जो कभी तो सब के सब एक ही भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं, कभी भिन्न-भिन्न भावों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग या भावों को मन्द या दूर करनेवाली, सृष्टि, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अन्तःकरण-वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है।

मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता में, है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाषण्ड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्धनिर्वाह पर ज्ञार देते हैं। यदि मनोवेग न हो तो सृष्टि, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिलकुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और अशक्त करने पर विवश होता जाता है, इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। बन, नदी, पर्वत आदि को देख आनन्दित होने के लिए अब उसके हृदय में उननी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध या धृणा होती है पर मूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुँह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वाथ की क्षुर्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुःख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की

कुरसत नहीं। उस प्रकार मनुष्य हृदय को द्वाकर केवल के आवश्यकता और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पापण्डी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताह हो मुँह बना बनाकर कहने लगे हैं—“करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनन्द छोड़ो। बस हाथ-पैर हिलाओ, काम करो।”

यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और वात है और मनोवेग वे अनुसार व्यवहार करना और वात; पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले दो-चार बार उसे दया उत्पन्न होगी; पर जब बार-बार दया की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा। यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मारी जायगी।

बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसारी परिणामों का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता है—१ आवश्यकता, २ नियम और ३ न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बुड़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है जिससे हमारे काम में हज़ेर होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है पर मातहत लोग आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रूपया देकर लोग कोई कार्य करने पाएं तो जो व्यक्ति रूपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दीन अकिञ्चन को देख जिसके पास एक पैसा भी न होगा, दया तो करेगा पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उस कार्य को करने से रोकेगा।

राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी रानी शैव्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का ढुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था। पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि शैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का उतना महत्व न दिखाई पड़ता; करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुःख है; अपना दुःख नहीं। आत्मीय जनों का दुःख एक प्रकार से अपना ही दुःख है। इससे राजा हरिश्चन्द्र के नियम-पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं।

न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतीकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे १०००) उधार लिये तो न्याय यह है कि वह हमें १०००) लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दण्ड भिले। यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता गिरगिराता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दण्ड की अवस्था में अपने परिवार की ओर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात् जिसका रूपया चाहिए या जिसका अपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के १०००) अलग किए, या अपराध द्वारा जो ज्ञति-प्रस्तु हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सद्बृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शान्ति पृथक् रूप से कर सकता है, जैसे ऊपर लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया श्लणी को हजार पाँच सौ अपने पास से दे दे या दर्शाएँ व्यक्ति तथा उसके परिवार की ओर प्रकार से सहायता कर दे। उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है।

लज्जा और ग्लानि

हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही अधिक प्रतिबन्ध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। यहीं तक नहीं, जिन्हे इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके आगे भी कोई काम करते हुए यह सोचकर कुछ आगा-पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से बुचियों का लो सङ्कोच होता है—उनको स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है—उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ढँचा नहीं करते, मुँह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ-साफ कहते नहीं, और भी न जाने क्या-क्या नहीं करते। ‘हम बुरे न समझे जायें’ यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी, वह उतना ही लज्जाशील होगा। ‘कोई बुरा कहे चाहे भला’, इसकी परवा न करके जो काम किया करते हैं वे ही निर्लज्ज कहलाते हैं।

जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अङ्ग होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते, अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता—यह प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है? हमारी चेष्टाएँ मन्द

पढ़ जाती हैं, हमारे ऊपर घड़ो पानी पढ़ जाता है, हम गढ़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते। सारांश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष का हमारा अपना निश्चय नहीं; दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम विना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति-विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी-कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को देखी समझे यह आवश्यक नहीं, दूसरा हमें देखी या बुरा समझे यह भी आवश्यक नहीं; आवश्यक है हमारा यह समझना कि दूसरा हमें देखी या बुरा समझता है या समझता होगा। जो आचरण लोगों को बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग धृणा किया करते हैं यदि हम समझते हैं कि लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पढ़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम जनित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निन्दा करें, उपहास करें या छिः छिः करें। वे निन्दा करें या न करें, उपहास करें या न करें, धृणा प्रकट करें या न करें, पर हम समझते हैं कि मसाला उनके पास है वे उसका उपयोग करें करें, न करें। यह अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है, पर कभी-कभी इसका उलटा भी होता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है वह यदि दस आदमियों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम अपने हूबने के लिए चुल्ल भर पूनी हूँडने लगेंगे। बन से लौटने पर रामचन्द्रजी कैकेयी से मिले और “रामहि मिलत केर्कड़ हृदय बहुत सकुचानि।” पर जब खद्मण “कैकड़

और कोई उपाय न रहेगा। पर जिनके अन्तःकरण में अच्छे संस्कारों का वीज रुहता है ग्लानि उन्हीं को द्वेषी है।

संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचानेवाले तीन मनोविकार हैं—सात्त्विक वृत्तिवालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्तिवालों के लिए लज्जा और तामसी वृत्तिवालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती वे लोकलज्जा से, जिनमें लोकलज्जा का लेश नहीं रहता वे भय से, बहुत से फार्मों को करते हुए हिचकते हैं। प्रायः कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते। पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुःख का ही अनुभव है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म न करने पर भी अपनों इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुःख होता है; क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखते ही क्यों? सच पूछिए तो उन्हें उस दुःख की आशङ्का मात्र रहती है जो लोगों के धिकार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशङ्का रहती है, इस बात का डर रहता है कि कहीं लजिज्त न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अप्रसर हो चुके रहेंगे कि यह समझ सकें कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई होगी। उस समय उनका पैर आगे नहीं बढ़ेगा।

आशङ्का अनिश्चयात्मक वृत्ति है, इससे लज्जा की ही हो सकती है जिसका सम्बन्ध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशङ्का नहीं हो सकती। क्योंकि उसका सम्बन्ध अपने से कहीं बाहर की बुरी धारणा से तो होता नहीं, अपनी ही बुरी धारणा से होता है जिसमें अनिश्चय का भाव नहीं रह सकता। जिससे बुरी की जितनी ही अधिक सम्भावना होती है उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय किया जाता है। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि हो सकती है उनके लिए उतने पहले से प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से उनके लिए होती है जो केवल यही समझकर दुखी होते हैं कि 'लोग हमें बुरा समझते हैं'; यह समझकर नहीं कि 'हम बुरे हैं'। जो निपट

निर्लंब छोते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवा नहीं करते जब तक उससे किसी उप्र फल की आशङ्का नहीं होती, उनके कर्म प्रायः इतने बुरे, इतने असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझ-कर ही नहीं रह जाते, छि. छि: करके ही सन्तोष नहीं कर लेते; मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशङ्क ।

मनुष्य लोक-बद्ध प्राणी है इससे वह अपने को उनके कर्मों के गुण-दोष का भी भागी समझता है जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, जिनके साथ में वह देखा जाता है । पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी इस आदमियों के सामने सिर नीचा होता है । यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी लीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भही और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है । मैंने कुत्ते के कई शौकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शरमाते देखा है । जिसे लोग कुमार्ग जानते हैं उसके साथ यदि हम कभी देवमन्दिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर मुका लेते हैं या बगले झाँकते हैं । बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं उसका हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है, दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वच्छन्दता रहती है, उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बाँध नहीं सकते ।

किसी बुरे प्रसङ्ग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ जाता है तो हमें लज्जा होती है—चाहे ऐसा हमारी जानकारी में हुआ हो, चाहे अनजान में । यदि बिना हमें जताए हमारे पक्ष में कोई कुचक्र रचा जाय तो उसका वृत्तान्त फैलने पर हमें लज्जा क्या ग्लानि तक हो सकती है । लज्जा का होना तो ठीक है क्योंकि वह दूसरों की धारणा के कारण होती है; अपनी धारणा के कारण नहीं । पर ग्लानि कैसे होती है, 'हम बुरे या तुच्छ हैं' यह धारणा कहाँ से आती है, यही देखना है । अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ

नहीं छोड़ते । ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, एक की दस सुनाने को सदा तैयार रहते हैं । अपने को ऐसा ही कल्पित करके तुलसी-दासजी कहते हैं—

जानत हूँ निज पाप जलधि जिय,
जल-सीकर सम सुनत लर्णा ।
रज सम पर-अवगुन सुमेरु करि,
गुन गिरि सम रज ते निदर्ण ॥

अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्य-हीनता पर ही होती है । लोक-मर्यादा की दृष्टि से हमको इतनी सामर्थ्य का सम्पादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर सकें । समाज में रहकर मान-मर्यादा का भाव हम छोड़ नहीं सकते । अतः इस सामर्थ्य का अभाव हमें खटक सकता है, उसकी हमें ग्लानि हो सकती है । जो संसार-त्यागी या आत्म-त्यागी हैं उनका विगतमान होना तो बहुत ठीक है, पर लोक-व्यवहार की दृष्टि से अनिष्ट से वचने वचाने के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टों का हाथ थामे और धृष्टों का मुँह—उनकी बन्दना करके हम पार नहीं पा सकते । इधर हम हाथ जोड़ेंगे, उधर वे हाथ छोड़ेंगे । असामर्थ्य हमें क्षमा या सहनशीलता का श्रेय भी पूरा-पूरा नहीं प्राप्त करने देगा । ७

मान लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरुजी और दूसरी ओर से एक दरडधारी दुष्ट, दोनों आते दिखाई पड़े । ऐसी अवस्था में पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को दरडवत् करना चाहिए । पहले उस दुष्ट द्वारा होनेवाले अनिष्ट का निवारण कर्तव्य है, फिर उस आनन्द का अनुभव जो गुरुजी के चरणस्पर्श से होगा । यदि हम पहले गुरुजी को साष्टाङ्ग दरडवत् करने लगेंगे तो बहुत सम्भव है कि वह दुष्ट हमारे अङ्गों को फिर उठने लायक ही न रखे । यदि हममें सामर्थ्य नहीं है तो हमें बिना गुरुजी को प्रणाम

दरडवत् किए ही भागना पड़ेगा जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक ग्लानि रहे।

लज्जा का एक दृजका रूप सङ्कोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, फिर तो लज्जा ही लज्जा हाथ रह जाती है। सामान्य से सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है। लोग अपना रूपया माँगने में सङ्कोच करते हैं, साफ-साफ बात कहने में सङ्कोच करते हैं, उठने-बैठने में सङ्कोच करते हैं, लेटने में सङ्कोच करते हैं, खाने-पीने में सङ्कोच करते हैं, यहाँ तक कि एक सभूके सहायक मंत्री हैं जो कार्य-विवरण पढ़ने में सङ्कोच करते हैं। सारांश यह कि एक (वेव कूफी) करने से लोग सङ्कोच नहीं करते और सब बातों में करते हैं। इससे उतना हुई भी नहीं क्योंकि बिना वेव कूफ हुए वेव कूफी का बुरा लोग प्रायः नहीं मानते। इतनी क्रियाओं का प्रतिबन्धक होने के कारण सङ्कोच शील का एक प्रधान अंग, सदृचार का एक सहज साधक और शिष्टाचार का एकमात्र आधार है। जिसमें शील-सङ्कोच नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं। वाहरी प्रतिबन्धों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता—उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हे हमें न करना चाहिए। प्रतिबन्ध हमारे अन्तःकरण में होना चाहिए। यह आम्यन्तर प्रतिबन्ध हो प्रकार का हो सकता है—एक विवेचनात्मक जो प्रयत्नसाध्य होता है, दूसरा मनःप्रवृत्त्यात्मक जो स्वभावज होता है। बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्जा, संकोच आदि की अवस्था में प्राप्त होकर प्रवर्तक मन आपसे आप रुकता है—चेष्टाएँ आप से आप शिथिल पड़ती हैं। यही रुकावट सच्ची है। मन की जो वृत्तियाँ की बात का उत्तर देने से रोकती है, बार बार किसी से कुछ माँगने से रोकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार ढालने से रोकती है, उसके न रहने से भलमनसाहत भला कहाँ रहेगी? यदि सब की धड़क एकबारगी खुल जाय तो एक ओर छोटे मुँहों से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगें, चार दिन के मेहमान तरह-तरह की फरमाइशें करने लगें,

उँ गली का सहारा पानेवाले वाँह पकड़कर खीचने लगे; दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ बढ़ापन निकल जाय, गहरे-गहरे साथी वहरे हो जाय यी सूखा जवाब देने लगे, जो ज्ञान सहारा देने के लिए बढ़ते हैं वे ढके लने के लिए बढ़ने लगे फिर तो भलमनसाहत का भार उठानेवाले इतने कम रह जायें कि वे उसे लेकर चल ही न सकें।

संकोच इस वात के ध्यान या आशङ्का से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को अप्रिय या बेफंगा तो न लगेगा, उससे हमारी दुशीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी। इस वात का जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनका इस आदमियों का साथ नहीं निभ सकता और जिन्हें अत्यन्त अधिक यात्र रहता है उनके भी कामों में वाधा पड़ती है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस वात का ध्यान रखता है कि दूसरे को कोई वात खटके न, बुरी न लगे और दूसरा उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है तो यह स्थिति व्यवहार-वाधक है। ऐसी स्थिति में भी संकोच करनेवालों के काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे यह न समझना चाहिए कि जितने 'अपने स कोची स्वभाव' की शिकायत के वहाने अपनी तारीफ किया करते हैं वे सब अपनी भलमनसाहत से ही दुःख भोगा करते हैं। ऐसे लोगों में संकोच का तो नाम मात्र न समझना चाहिए। जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि 'हम वडे संकोची हैं' उनमें संकोच कहाँ? उन्हें यह कहते देर नहीं कि 'अमुक वडा निर्लज्ज है, वडा दुष्ट है।'

लज्जा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक की जाती है क्योंकि उससे कभी-कभी आवश्यकता से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है तथा व्यवहार तो व्यवहार शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन हो जाता है। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलानेवालों ने तो 'आहार और व्यवहार में' लज्जा का एकदम त्याग ही विधेय ठहराया है। पर मुझे तो यहाँ यह देखना है कि वात-वात में लज्जा करनेवालों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या

रहती है। कोई क्रिया या व्यापार किसी को बुरा, बेढ़जा या अप्रिय न लगे यह ध्यान तो निर्दिष्ट और स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट व्यापारों का ही अवरोध करता है क्योंकि जो-जो काम लोगों को बुरे, बेढ़े या अप्रिय लगा करते हैं उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में रहती है। पर जो यही अनिश्चित भावना रखकर संकुचित होते हैं कि कोई बात 'लोगों को न जाने कैसी लगे', उन्हे न जाने कितनी बातों में संकोच या लज्जा हुआ करती है। उन्हें बात बात में खटका होता है कि उनका बैठना न जाने कैसा मालूम होता हो, बोलना न जाने कैसा मालूम होता हो, हाथ-पैर हिलाना न जाने कैसा मालूम होता हो, ताकना न जाने कैसा मालूम होता हो, यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना— वे कैसे हैं चाहे वे कुछ भी न जानते हों—न जाने कैसा मालूम होता हो। न जाने कैसे लगने का डर उन्हे लोगों के लगाव से दूर-दूर रखता है। यह आशंका इतनी अव्यक्त होती है, कि साधारणतः इसका लज्जा से अलग अनुभव नहीं होता।

कुछ लोगों के मुँह से लज्जा या संकोच के मारे आदर-सत्कार के आवश्यक बचन मुँह से नहीं निकलते, बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में लज्जा मालूम होती है। ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं समझी जाती। बच्चों की अपनी तुच्छता, बुराई का बेफेपन की भावना बहुत कम होती है। वे अपनी क्रियाओं में स्वभावतः स्वच्छन्द होते हैं। पर विशेष स्थिति में पढ़कर वे इतने भीरु और लज्जालु हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने नहीं आते, लाख पूछने पर कोई बात मुँह से नहीं निकालते। ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की हो जाती है जो बात-बात पर, उठते-बैठते, हिलते-डोलते डॉटे, धिकारे या चिढ़ाए जाते हैं। लोग अकसर प्यार से बच्चों को किसी भद्रे, बेढ़े या बुरे आदमी का ध्यान कराकर उन्हे चिढ़ाते हैं कि 'तुम वही हो'। इस प्रकार उन्हें सहमने, संकोच करने, लज्जित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ जाता है।

अपनी त्रुटि, वेदंगेपन, धृष्टता इत्यादि का परिचय दूसरों को—विशेषतः पुरुषों को—न मिले, इसका ध्यान लियो में बहुत अधिक और स्वाभाविक होता है, इसी से उनमें लज्जा अधिक देखी जाती है। वे सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती आई हैं इससे 'हम धृष्ट चा अप्रिय न लगें', इसकी आशक्ता उनमें चिरस्थायिनी होकर लज्जा के रूप में हो गई है। बहुत-सी लियाँ ऐसी होती हैं—विशेषतः वडे घरों की—जिनकी कास-धधे के रूप में भी लोगों के सामने हाथ-पैर हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लज्जा-रोल होना ठीक ही है। लोग लज्जा को लियो का भ्रूपण कह-कहकर उनमें धृष्टता के दूपण से बचने का ध्यान और भी पक्का करते रहे। धीर-धीर उनके रूप-रङ्ग के समान उनकी लज्जा भी पुरुषों के आनन्द और विलास की एक सामग्री हुई। रस-कोविद लोग मुग्धा और मध्या की लज्जा का वर्णन कान में ढालकर रसियों को आनन्द से उन्मत्त करने लगे।।।

लोभ और प्रीति

किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, साक्षिय या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्ति या प्राप्ति सुख के अभाव या अभाव-कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुःखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अप्राप्ति के लिए होता है तब तो दुःख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्ति के सम्बन्ध में दुःख का अङ्ग निहित रहता है और अभाव के निश्चय या आशङ्का मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो। पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। हम बैठे-बैठे किसी वस्तु का आनन्द ले रहे हैं और उस आनन्द के अभाव से जो दुःख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है; तब हम उससे कुछ व्यथ होकर कहते हैं 'अभी रहने दो।' इसके पहले कोरे आनन्द के अभाव में इस इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाय।

विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्त्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है; पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह 'सचि' या 'प्रीति' का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दैड़ पड़ना लोभ है। किसी

विशेष वस्तु पर डंस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी ही अच्छी-अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है। किसी छोड़ा या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत मुन्द्र देखा और लुभा गए; उसके पीछे दूसरे को उससे भी मुन्द्र देखा तो उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा, तब तक हम स्पलोभी ही माने जायेंगे। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जायगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जायगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक चढ़ि वत्तु के प्रति होती है तो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है।

लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनन्द का अनुभव होना। अतः वह आनन्द स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वत्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनन्द मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा अर्थात् जब उस वस्तु का प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की, इच्छा प्रकट होगी तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अङ्ग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि 'वह उसे चाहता है।'

भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है पर चौबेजी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अत हम कह सकते हैं कि चौबेजी को मिट्टीन्न से अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएँ उत्पन्न करती है। इन्द्रियों के विषय-भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल

लोभ और प्रीति

का फूल और रमणी का सुन्दर मुख अच्छा लगता है, वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही और केसर की गन्ध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुवा अच्छा लगता है, मुलायम गदा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएँ तो आप आनन्द देती हैं इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा तो बहुत सीधी-साही और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है उसमें चाहे आनन्द देनेवाली स्वतः कोई बात न हो; पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रूपये के रूप, रस, गन्ध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं उस वेग से भौंरे कमल पर और कौए मांस पर भी न टूटते होंगे— यहाँ तक कि 'लोभी' शब्द से साधारणतः रूपये-पैसे का लोभी, धन का लोभी, समझा जाता है। एक धातुखण्ड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनन्द मनुष्य समझता है! पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्रायः नहीं रहता। धन-संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए थोड़ा सा भी धन अलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है।

स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है—

१ प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा।

२ दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा।

प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है—

१ इतने सम्पर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो।

२ इतने सम्पर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हो।

इनमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्रायः विरोधग्रस्त होती है इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें

बहुत अच्छी लगती है; लगा करे, दूसरों को इससे क्या ? पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा जिनमें से कुछ हाथ थामनेवाले और मुँह लटकानेवाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायेंगे। दूसरों के लोभ की निन्दा जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं वैसी और लोग नहीं। माँगने पर न पानेवाले और न देनेवाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है 'वह बड़ा लोभी है; देता नहीं' दूसरा कहता है 'वह बड़ा लोभी है; बराबर माँगा करता है।' रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा, कहते हैं—

रहीमन वे नर मरि चुके जे कहुँ माँगन जाहिं ।

उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत 'नाहिं' ॥

ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के सम्बन्ध में एक ओर तो प्राप्त करने और दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा विस्व-प्रतिविस्व रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के वित्त में हुई तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। साराशा यह कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक हीने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं।

प्राप्ति की प्रतिपेधात्मक इच्छा की सदोपता और निर्दोषता लोभ के विषय पर भी निभेर रहती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं—सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएँ सुलभ होती हैं, सब को भाता है, सब उसकी प्राप्ति की आकंक्षा करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन पर प्रायः मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब-जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों

का ध्यान जायगा और जिनका ध्यान जायगा भी उन्हे वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको 'जिसकी हाथ-हाथ होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है जहाँ एक दूसरे की गति-विधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नज़र और पूरी मुस्तैदी से होता है।

यदि मनुष्य-समाज में सब के लोभ के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते तो लोभ को बुरा कहनेवाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहनेवाले दस आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई डंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चाँदी, कोई ताँबा और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचता और दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है, उसकी भी एक सीमा हाँ जाती—कोई कितनी गायें रखता, कितने घोड़े वाँधता, कहाँ तक सोना चाँदी इकट्ठी करता। पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कराने का कृत्रिम गुण आरोपित किया जिसमें मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सब की टकटकी टके की ओर लग गई।

लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटकने-वाले लोभ की वृद्धि हुई। जब एक ही को चाहनेवाले बहुत से हो गए तब एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसन्द करते? लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गये। धीरे-धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, की जाती थीं वे भी रूपये-पैसे की दृष्टि से होने लगीं। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ढीकरों पर ठहरा दी गई हैं। पैसे से राजसम्भान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होनी है। जिनके पास कुछ रूपया है वहेंवहें विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में कास देकर अपने मुकद्दमे दाखिल कर सकते हैं और मँहगे

बर्कील-वैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं, अत्यन्त भीरु और काथर होकर वहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीरधर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टकाधर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्रमों में करादेने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से, ब्राह्मणधर्म और ज्ञात्रधर्म का लोप हो गया केवल वणिग्धर्म रह गया।

व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े-बड़े राज्य माल की विक्री के लिए लड़नेवाले सोदागर हो गए। जिस समय ज्ञात्रधर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी-कभी विजयकीर्ति की कामना से ढंके की चोट चढ़ाई करता था। अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पाँव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न-भिन्न राज्यों की परस्पर सम्बन्ध-समस्या इतनी जटिल हो गई है। कोई-कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मढ़ने की फिक्र में दिन-रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख-शांति न होगी। दूर वह अवश्य होगा। ज्ञात्रधर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी का बदला ढकेती से लिया जायगा।

सामान्य-विपयगत प्रतिपेधात्मक लोभ में भी लोभदृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएँ आती है, उसका ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की सब को चाह होती है अतः उसे बहुत चाहनेवाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों से से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका दोष कम और भिठाइयों में से यदि केवल गुलाबजामुन की अधिक चाह रहे तो और भी कम क्या कुछ भी न समझा जायगा। इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है वहाँ यदि कोई एक किसी को बहुत पसन्द आ जाय और वह उसे लेना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वसिष्ठ की गाय

बहुत पसंद आई और वे उसके बदले से बहुत सी गायें देने के लिए तैयार हो गए पर वसिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़कियां भी न वसिष्ठ लोभी कहलाए, न विश्वामित्र। इसी प्रकार एक नवाव साहव को बाबू हरिश्चन्द्र का एक अलवम बहुत पसंद आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनसे स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज देखते ही जिनके मुँह में पानी आ जाता है, वे बराबर खरी-खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष-विषय-गत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है।

यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छावाले लोभ की बात हुई जिसका प्रायः विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के सम्बन्ध में बहुत से लोग विना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई वाधा या कष्ट पहुँचता है उसी को पहले एक—प्रायः जिसे वाधा या कष्ट होता है—बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने-वाले हो जाते हैं। सारांश यह कि जो लोभ दूसरे की सुखशाति या स्वच्छंदता का वाधक होता है, अधिकतर वही नित्य समझा जाता है। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है? यदि हम किसी वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही सम्पर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आँखों में नहीं

खटक सकता। वर्गीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हैं, पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी द्राम लगता है या कुछ आदमियों का देखना विना बन्द किए देखा नहीं जा सकता, वहाँ दृष्टि-सम्पर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहाँ एक की उच्छ्वास दूसरे की इच्छा का वाधक न होकर साधक होती है वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखनेवाले बहुत-से लोग घड़े सङ्गव द्वे साथ रहते हैं। लुटंरे वा ढाकू इसी प्रकार दलवद्व होकर काम करते हैं।

किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश-प्रेम यदि वास्तव में अन्तःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अदि रिक्त और कुछ नहीं है। उस लोभ के लक्षणों से गृन्य देश-प्रेम कोई वकवाद या फैरान के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे प्रपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुलम, पेड़, पत्ती, वन, पर्वत, नदी, निर्भर सबसे प्रेम होगा; सबको वह चाहमर्य दृष्टि से देखेगा, सबको सुध करके वह विदेश में आँसू बहाएगा। जो वह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिह्निया का नाम है, जो यह भी नहीं जानते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणयसौरभ-पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं जानते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि दस बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की आसत आमदनी का परता बताकर देश-प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछता चाहिए कि, “भाइयो! विना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके सुख-दुःख के तुम कभी साथी न हुए चन्हे तुम सुखी देखा चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसां दूर वैठे-वैठे, पड़े-पड़े, या खड़े-खड़े, तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो।” प्रेम हिंसाव-किताब की बात नहीं

लोग देव हैं। हिसाब-किताब करनेवाले भाड़े पर भी भिल सकते हैं पर प्रेम भी दाता करनेवाले नहीं। हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो नहीं जा सकता है। हित-चिन्तन और हित-साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। यह है। वह मन के वेग पर निर्भर है, उसका सम्बन्ध लोभ या प्रेम से साधक है। जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे वह एक ब्रज की भूमि से प्रेम होगा वह इस प्रकार कहेगा—

हेह। नैनन सों रसखान जबै ब्रज के बन वाग तिडाग निहारौ।
केतिक ये कलधौत के धाम करील के कुंजन उपर वारौ॥

वह हाँ। रसखान तो किसी की “लकुटी अरु कामरिया” पर तीनो पुरो ह संभव ह का राजसिंहासन तक त्यागने को तैयार थे पर देशप्रेम की दुर्वाई म, यह देनेवालो में से कितने अपने किसी थके-माँदे भाई के फटे पुराने कपड़ों ज्ञाम और धूल-भरे पैरों पर रीफकर, या कम से कम न खीमकर, बिना देशप्रेम मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देगे ? मोटे आदमियो ! किसी द्वारा तुम जरा-सा दुबले हो जाते—अपने ब्रांडेश से ही सही—तो न जाने। गुल्मि कितनी ठटरियों पर मास चढ़ जाता।

वह हाँ। अब पूछिए कि जिनमें यह देश-प्रेम नहीं है उनमें यह किसी प्रकार एक है, जो दूर हो भी सकता है ? हाँ, हो सकता है—परिचय से, सान्निध्य से। जिस वह से प्रकार लोभ से सान्निध्य की इच्छा उत्पन्न होती है उसी प्रकार सान्निध्य वह से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम वरावर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम वरावर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश यह कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पढ़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है उसे छोड़ते हुए उसे दुःख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक पढ़ रहते हैं उनसे परच जाते हैं। यह ‘परचना’ परिचय से निकला जाता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के की बात

स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आँखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले माड़ियों के बीच से कैसे वह रहे हैं, टेसू के फूलों से बनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के मुँड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराड्यों के बीच में गोव माँक रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो-दो घातें करो; उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी-आव घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आँखों में समा जायगा, तुम उसके बीच प्रत्यङ्ग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अन्तकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा-भरा और फल फूला रहे, उसके धन-धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। यह तो वर्तमान प्रेमसूत्र हुआ। अतीत की ओर भी वृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जायें। इनके नामे भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हे प्रिय होंगे।

पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुन्दर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जङ्गल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। सेंयोग से उन दिनों पुरातत्त्व-विभाग का कैप पढ़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सबैरे देखने का विचार करके नीचे उत्तर रहे थे। वसन्त का समय था। महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुँह से निकला—“महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है”। इसपर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा—“यहा महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे।” मैं चुप हो गया; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भावहाल लगता है।

आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति-भेद से प्रिय वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है—प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा तथा। दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका। अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा मी दो प्रकार की होती है—

१ स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात् अपने अधिकार में रखने की इच्छा।

२ स्व-निरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात् केवल बने रहने देने की इच्छा।

स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से सम्बद्ध रहती है इससे वह कभी-कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत माठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे, तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी-कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि सरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि में औरों को कोई बाधा नहीं पहुँचाती है तो किसी एक का इसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता।

यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण, परस्पर मेल की उत्तनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि दस आदिमियों से सब की यही इच्छा है कि कोई मदिर बना रहे, गिरने-पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा ऐक्य-सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना 'पर-उपदेश कुशल' नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है जो निश्चयास्मिका वृत्ति से भिन्न हैं। मुझे तो यह कहना है कि इन-इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब

मेल से क्या क्या लोभ होते हैं, यह तो न जाने कितने झगड़ाल बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं।

लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन से यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बर्नी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोष का लेश टसी अवैस्था में आ सकता है जब कि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई वाधा या हानि पहुँचती हो। कोई सुन्दर कृपणासार मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सौन्दर्य पर मुख्य होकर उसकी रक्षा चाहनेवाला यदि वरावर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो वहुतों से उसकी अनवन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी क लोभ का विरोध नहीं और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों का एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रवत्तों की पहुँच वहुत परिमित होती है। अतः जो प्रेमज्ञेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमे उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो जितना ही दूर होगा, प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सब से अधिक वर की रक्षा का, किर पुर या ग्राम की रक्षा का और किर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। पर जिनकी दृष्टि वहुत व्यापक होती है, जिनके अन्तःकरण में परार्थ का छोड़ स्वार्थ के, लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपर्यय कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पढ़ने पर वर का लोभ क्या ग्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं। सब से ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोधशून्य होता है, यह भी देखिए। इनका अविरोध परिमित होता है—घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करनेवाले मिल सकते

लोभ और प्रीति

हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घरवालों से, एक पुरुष की रक्षा दूसरे पुरुषवालों से, और एक देश की रक्षा दूसरे देशवालों से करनी पड़ती है।

जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेदकर अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँची हुई होती है वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं—जिस स्थिति में भूमण्डल के समस्त प्राणी, कीट-पतङ्ग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे हैं। उनसे जो विरोध रखें वे सारे संसार के विरोधी हैं; वे लोक के करण्टक हैं।

कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनन्द देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा ये दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहे तो बहुत अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनन्द न मिल सकेगा, इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वह बीच में नष्ट हो जाय, तो हमें दुःख न होगा; क्योंकि जब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई, हमें वह सुख या आनन्द दे ही नहीं सकती, तब वह चाहे रहे, चाहे नष्ट हो। यहाँ तक कि यदि ले जानेवाले के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तो हम प्रसन्न होंगे। जहाँ वस्तु-रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बात न होगी। हम किसी दशा में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने क़ाज़ी के पास दो खियाँ एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आईं। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा। क़ाज़ी साहब ने परीक्षा के विचार स कहा—“अच्छा, तुम दोनों को बच्चा काटकर आधा-आधा बाँट दिया जायगा।” इतना सुनते ही दोनों में से एक खी घबराकर बोल उठी—“जाने दीजिए, बच्चा मुझे न चाहिए, उसी को दीजिए।” क़ाज़ी साहब समझ गए कि बच्चा उसी का है। वह खी बच्चे की माँ थी, अतः उसे उसका सच्चा लोभ था।

अङ्ग बतलाया गया है। भक्तवर तुलसीदास जी सन्तोषवृत्ति की वाच्चा
इस प्रकार करते हैं—

कन्हूँक हौं यहि रहनि रहैंगो ?...

यथालाभ सन्तोष सदा काहू सो कछु न चहैंगो ।

पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो उससे असन्तुष्ट रहना
गृहस्थ का धर्म है क्योंकि ऐसे असन्तोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा होती
है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असन्तोष का अभाव
आलस्य-सूचक होता है। पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में
होती है उसका निरसन ही ठीक है।

धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है
उसका प्रभाव अन्तःकरण की शैष वृत्तियों पर यह होता है कि वे
अनभ्यास से कुरिठत हो जाती हैं। जो लोभ मान-अपमान के भाव को,
करुणा और दया के भाव को, न्याय-अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि
अपने कष्ट-निवारण या सुखभोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता
कहाँ तक रहने देगा? जो अनाथ विधवा का सर्वस्व-हरण करने के
लिए कुर्कुती अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की
दुतकार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रुपया
गाढ़कर न आप खाते हैं न दूसरे को खाने देते हैं, जो अपने परिजनों
का कष्ट क्रन्दन सुनकर भी रुपये गिनने में लगे रहते हैं वे अधमरे
होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समझिए।
जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना बराबर है।

लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं
होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की
वासना का त्याग करते हैं, मान-अपमान में समान भाव रखते हैं। अब
और चाहिए क्या? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं वह यदि
उन्हे दस गालियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई
चिह्न प्रकट होता है और न मन में ग्लानि होती है। न उन्हे मक्खी
जूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुन्दर से सुन्दर

रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण स करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। उच्छ्वसे तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ कैलाने में वे लज्जित नहीं होते। क्रोध, दुया, धृणा, लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जायें? जिस बात से उन्हे कुछ मिलता नहीं जब कि उसके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती तब जिस बात से पास का कुछ जाता है, वह बात उन्हे कैसी लगती होगी, यह यों ही समझा जा सकता है। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम को नहीं—चाहे वह कष्ट-निवारण हो या सुखप्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भौजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते; लोभ के अकुश से अपनी संपूर्ण इन्द्रियों को वश में रखते हैं। लोभियो! तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रियेनिग्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवृक्त, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है। तुम धन्य हो! तुम्हे धिक्कार है!!

पक्के लोभी लक्ष्यभ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं। उनमें से एक क्रोध से आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया; वह लक्ष्यभ्रष्ट हो गया।

अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसङ्ग सामने आता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे 'लोभ' और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे 'प्रेम' कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय-भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है, इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है। पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही हैं, इसका पता हमारी भाषा

ही देती है। किसी रूपवान् या नृपती को देख उस पर “लुभा जाना” बराबर कहा जाता है। अँगरेजी के प्रेम-वाचक शब्द ‘लव’ (Love), रौसन के ‘लुफु’ (Lufu) और लैटिन के ‘लुवेट’ (Lubet) का सम्बन्ध संस्कृत के ‘लोभः’ शब्द या ‘लुभः’ धारु से मिथ्या लिया जाता है।

किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब यह देखना चाहिए। विलक्षणता वा मवसे वडा कारण है दोनों पक्षों से मनस्त्वन का विधान। जो लुभ होता है उसके भी हृदय होता है; जिस पर वह लुभ होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से कंवल वाला सम्पर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता; उसके हृदय का सम्पर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गृह, जटिल और व्यापक सम्बन्ध हो सकता है उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु-लोभ के आश्रय और आलम्बन, इन दो पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएँ रहती हैं। पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का चोग है, डससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है।

वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे। पर प्रेमी प्रिय की अन्तर्वृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। किसी वस्तु पर लुभ होकर कोई इस चिन्ता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाय कि वह उस पर लुभ है। पर किसी पर लुभ या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाय। उसे इस बात की चिन्ता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है, या नहीं—

वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति है॥

बारहि वार विलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिचानति है॥

ठाकुर या मन को परतीति है, जो वै सनेह न मानति है।

आबत हैं नित मेरे लिए, इतनो तो विसेप कै जानति है।

इस प्रवृत्ति के मूल मे कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो

१ तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सान्निध्य या सम्पर्क द्वारा तुष्टि होना चाहता है। वस्तु के सान्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सान्निध्य या सम्पर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसमे भी सान्निध्य या सम्पर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः लिंगते हुए मिल जाते हैं। इन अन्तर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलने के लिए न्योता देना है।

अपने प्रेम की सूचना देने के उपरान्त प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी ओर कुछ भावो की प्रतिष्ठा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है “अच्छा लगना”। वस्तु के सम्बन्ध मे तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफी होता है। लोभियो को इस फेर मे नहीं पड़ना पड़ता कि जो वस्तु उन्हे अच्छी लग रही है उसे वे भी अच्छे लगे पर प्रेमी यह चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार मै भी प्रिय को अच्छा लगूँ। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखना चाहता है। यह बराबर देखने में आता है कि जब कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है तब ऐसे स्थानो पर जाते समय जहाँ उसके दिखाई पड़ने की सम्भावना होती है, उसका ध्यान कपड़े-लत्तो की सफाई और सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा मे भी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, बीरता, निपुणता इत्यादि का भी प्रदर्शन होता है। प्रेमी को

जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत म्हिंचा है उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से और गहरे में जाकर प्रेम के आनन्द-लोक में मग्न हो जाता है।

एक दृमरे की ओर आकर्पित दो हृदयों के बोग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनन्द की सम्भावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुःख की भी। प्रिय के हृदय का आनन्द प्रेमी के हृदय का आनन्द हो जाता है। अतः एक ओर तो प्रिय के आनन्द का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनन्द का अनुभव करने लगता है, दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनन्द बहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएँ उलटा दुःख देने लगती हैं। होते-होते यहाँ तक होता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनन्द से अलग आनन्द रह ही नहीं जाता। प्रिय के आनन्द में ही वह अपना आनन्द हँड़ा करता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव-पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूरण महत्त्व है।

प्रेम का प्रभाव एकान्त भी होता है और लोक-जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकान्त प्रभाव उस अन्तमुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्मक्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से सासार में बन्द कर देता है। उसका उठना-चैठना, चलना-फिरना, मरना-जीना सब उसी धेरे के भीतर होता है। वह उस धेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्टसहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम-मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में; लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। सारांश यह कि इस प्रकार के प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न होता है। उसमें प्रियपक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही ऐकान्तिक

और लोक बाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य मे गोपियों के प्रेम को प्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भक्तिमार्ग मे प्रायः यही ऐकान्तिक और अनन्य प्रेम लिया गया है क्योंकि यह एक ऐसा रुग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आपसे आप, बिना किसी मानसिक प्रयत्न के, हो जाती है।

प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो अपना मधुर और अनुज्ञनकारी भूट प्रकाश जीवन-यात्रा के जाता पथों पर फैक्टा है। प्रभी जगत् के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के द्विष्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौन्दर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म-सौन्दर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौन्दर्य जगत् के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अन्तःप्रकृति मे जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है वह सृष्टि के बीच सौन्दर्य-विधान की प्रेरणा करनेवाली एक द्विष्य शक्ति के रूप में। मनुष्य का प्रेम-सौन्दर्य—वस्तु-सौन्दर्य, कर्म-सौन्दर्य, वाक्-सौन्दर्य, भाव-सौन्दर्य सब—देखना और दिखाना चाहता है। बीरता के पुराने जमाने से युवक योद्धा यह समझकर कि गढ़ी की ऊँची अद्वालिका के गवाहो से हमारी प्रेयसी झाँकती होगी, किस सौन्दर्य-भावना-पूर्ण उमड़ के साथ रणक्षेत्र में उतरता था। कर्म का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है। इससे आर्थ्य जाति के बीरकाल के काव्यों के शृङ्खार और बीर का अत्यन्त मनोहर समन्वय पाया जाता है। जिस प्रकार योरपीय साहित्य में वीरधर्म का एक युग रहा है उसी प्रकार हमारे हिन्दी-साहित्य में भी। उस काल की कविता का प्रसङ्ग अधिकतर 'युद्ध और प्रेम' (Love and war) ही पाया जाता है।

भारतीय प्रवन्ध-काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक-जीवन से सश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही। आदि-कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में न

दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्मचेत्र के बीच दिखाया है। उनके प्रेम जीवन-यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलानेवाला है; उससे अलग किर्म कोने में चौकड़ी या आहे भगवनेवाला नहीं। उमर्के प्रभाव से वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रमूलमय हो गए हैं; सम्पूर्ण कर्मचेत्र एक मधुर उयोति से जगमगा उठा है। कोमलागी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कन्धे के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुख्य निविड़ और निर्जन काननों में निःशक्त विचर रही हैं। खरदूपण की राजसी सेना कोलाहल करती वढ़ी आ रही है। राम कुछ मुसकिराफ़र एक बार प्रेमभरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं; फिर बीरदपे से राजसों की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुष चढ़ाते हैं। उस बीरदर्प में कितनी उमड़, कितना उत्साह, कितना माधुर्य रहा होगा। सीता-उरण होने पर राम का जो विदेश सामने आता है वह भी चारपाई पर करवटे बदलानेवाला नहीं है; समुद्र पार कराकर पृथ्वी का भार उत्तरवानेवाला है।

उस ऐकान्तिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रसी को एक वेरे में उसी प्रकार बन्द कर देता है जिस प्रकार कोई मर्ज मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक सज्जीवन रस के रूप में प्रेसी के सारे जीवन-पथ को रमणीय और सुन्दर कर देता है, उसके सारे कर्मचेत्र को अपनी उयोति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रञ्जनकारी प्रभाव विद्वान् की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक वरावर फैला दिखाई दे उसे हम भगवान् का अनुग्रह समझते हैं। भगवद्गीता के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जब कि प्रिय के सम्बन्ध से न जाने कितनी वस्तुएँ प्रिय हो जाती हैं तब उस परम प्रिय के सम्बन्ध से सारा जगत् प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्तिमार्ग में जगत् से विरक्त का स्थान हम हृङ्घते हैं और नहीं पाते हैं।

की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत् आ जाता है। जो भक्त इस जगत् को ब्रह्म की ही व्यक्ति सन्ता या विभूति समझेगा, भगवान् के लोकपालक और लोकरञ्जन स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति के लोक में और फैलापगा कि चारों ओर से खींच लेगा ? हम तो जगत् के बीच हृदय के सम्यक् प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं क्योंकि राम की ओर ले जानेवाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है।

जब कोई रामभक्त पुत्र-कलत्र, भाई-बन्धु का राग छोड़ने, कर्म-पथ से मुँह मोड़ने और जगत् से नाता तोड़ने का उपदेश देता है तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही रामभक्त सा लगता है जो अपने पुत्र-कलत्र, भाई-बहिन, माता-पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियाँ बचाता चलता है, किसी प्राणी का दुःख देख आँसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख बिनोद से पूर्णे हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख 'मुझसे क्या प्रयोजन ?' कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा—क्रोध, कहणा, स्नेह, आनन्द आदि को पास तक न फटकने देगा—उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी, संयमी चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि न कह सकूँगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लोकमङ्गल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने 'नेह का नाता' संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस सम्बन्ध-निर्वाह में जो बाधक हों, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे अपने सुहृद् और स्त्रेही परिजन ही क्यों न हों; क्योंकि—

नाते सबै राम के मनियत सुहृद् सुसेब्य जहाँ लौ।

ऐकान्तिक और लोकवद्ध, प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका। अब हम प्रेमी और प्रिय, इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति

पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद्ध होता है अर्थात् आरभ्भ ही से मम रहता है; कहीं पहले एक मे उत्पन्न होकर फिर दूसरे मे होता है और कहीं एक ही मे उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं अर्थात् विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्यानुराग के प्रयत्न की भी एक वैधी हुई पद्धति/दिखाई पड़ती है।

दूसरों की ओर द्रवित करनेवाली हृदय की दो कोमल वृत्तियाँ हैं—करुणा और प्रेम। इनमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय मे प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता। पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुःख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का चेत्र अत्यन्त विस्तृत है। दया मनुष्यमात्र का धर्म है और प्राणि मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे और कभी ऐसे उपायों का अवलम्बन करता है जिनसे प्रिय के हृदय मे उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस् मे प्रेम की भूमिका वैधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जायगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक वरावर पहुँचाता रहता है।

यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। यह प्रेम-मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय मे प्रेम उत्पन्न करने की ज़खरत होती है उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की रख-

वाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जाग्रत् रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष कारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप में पाया जाता है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी क़ब्र बनवाते हैं, उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ ~~बुक्फु~~ करते हैं और बार-बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है? शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक-आध शब्द मुँह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति के शब्द सा-प्रिय-संसार में और कोई शब्द नहीं हो सकता। 'बेचारा बहुत अच्छा था', प्रिय के मुँह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की सम्भावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनन्द से किया करते हैं। जब कि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है तब अश का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता; प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जँचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाय कि मर जाने पर प्रिय की आँखों में आई हुई आँसू की एक बूँद वह देख सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है।

यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के पुराने आचारों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अन्तर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की सम्भान्ना रहती है या प्रिय-पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है तब उसकी विरक्ति का पक्ष प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहनेवाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। कारसी और उर्दू की शायरी में तो आशिकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि "माशूक गौरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता तक नहीं"। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ-कुछ इसी ढंग की हो गई थी।

रस और रसा भास की वात छोड़ हमें प्रेम के उस स्वरूप पर विचार करना है जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विह्वल रहता है और प्रिय उसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं दता या बराबर उसका तिरस्कार ही करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े। उसके प्रेम में कोई क्षर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अवृत्ति का क्षोभ लगा दिखाई पड़ता है वहाँ तक तो उसका वैसा उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यन्त निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यन्त उच्च भूमि पर होती है जहाँ सामान्य हृदयों का पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, कंवल यही चाहता है—प्रिय से नहीं, ईश्वर से—कि हमारा प्रिय बना रहे और हमे ऐसा ही प्रिय रहे। उसी उच्च दृश्यम् का अनुभव करती हुई सूर की गोपियाँ कहती हैं—

जहैं जहैं रहौ राज करौ तहैं तहैं लेहु कोटि सिर भार।

वह असीस हम देति न्हर सुनु 'न्हात खसै जनि वार' ॥

ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता—प्रिय का सुख-सन्तोष ही उसका सुख-सन्तोष हो जाता है। वक्षिम बायू की 'दुर्गेशनन्दिनी' में आयशा का जगतसिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर क्लोड़ा गया है जिस दिन से उसे जगतसिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती हैं और अन्त में तिलोत्तमा के साथ जगतसिंह का विवाह कराकर पूर्ण शाति के साथ प्रेम के विशुद्ध मानस लीक मे प्रवेश करती है।

प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सान्त्रिध्य या सम्पर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेमरक्षा और शान्ति-ज्ञान कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता न होगी तो प्रतिवर्त्तन (Reaction) द्वारा और मानसिक विप्लव और पतन की आशङ्का रहेगी; इर्ष्या आदि बुरे भावों के सञ्चार के लिए रास्ता खुल जायगा। यहाँ तक कि समय-समय पर क्रोध का दौरा होगा और प्रेम का स्थान बैर ले लेगा।

प्रेम-काव्यों में प्रायः रूप लोभ ही प्रेम का प्रबर्त्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप-गुण पर कोई सुख होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। पर प्रेम का एक और कारण, जो रूप गुण से सर्वथा स्वतन्त्र और उनकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाववाला होता है, साहचर्य है। देशप्रेम के अन्तर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी अखब को उसकी रेगिस्तानी जन्म-भूमि से ले जाकर काश्मीर के हरे-भरे मैदान में रख दे तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी प्रेम हो जाता है। इस साहचर्यगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग साहचर्य-काल में तो कुछ अवसरों पर ही रह-रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद-काल में वरावर उमड़ा रहता है। भाई-बहिन, पिता-पुत्र, इष्ट-मित्र से लेकर चिर-परिचित पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढंब का होता है। रूपगुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में यह साहचर्य-जन्य स्वरूप प्राप्त करता है। अतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए।

लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबन्ध समाप्त करते हैं। यहाँ एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हँसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यजक दीर्घ निःश्वास और अश्रु भी होते हैं तथा हृषेपुलक और उछल-कूद भी। इसके

विस्तृत शासन के भीतर आनन्दात्मक और दुःखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से शृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं—संयोगपक्ष और वियोगपक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ और चेष्टाएँ उत्पन्न करे और न रहने पर विलकुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं—जैसे, क्रोध वहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या वैर का रूप धारण करता है और जुगुप्सा धृणा या विरक्ति का—पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने शृंगार को 'रसराज' कहा है।

— — —

धृणा

सृष्टि विस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचिकर और कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करनेवाला जो दुःख होता है उसे धृणा कहते हैं। सुबीते के लिए हम यहाँ धृणा के विषयों के दो विभाग करते हैं—स्थूल और मानसिक। स्थूल विषय आँख, कान और नाक इन्हीं तीन इन्द्रियों से सम्बन्ध रखते हैं। हम चिपटी नाक और मोटे ओंठ से सुसज्जित चेहरे को देख दृष्टि फेरते हैं, खरस्वन खुर्राट की तान सुनकर कान में उंगली डालते हैं और म्युनिसिपैलिटी की मैलागाढ़ी सामने आने पर नाक पर रुमाल रखते हैं। रस और स्पर्श अकेले धृणा नहीं उत्पन्न करते। रस का रुचिकर या अरुचिकर लगना तो कई अंशों में द्वाण से सम्बद्ध है। मानसिक विषयों की धृणा मन में कुछ अपनी ही किया से आरोपित और कुछ शिक्षा-द्वारा प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल विषयों की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। भावों के मानसिक विषय स्थूल विषयों से सर्वथा ऊतन्त्र होते हैं। निर्लज्जता की कथा कितनी ही सुरीली तान में सुनाई जाय धृणा उत्पन्न ही करेगी। कैसा ही गन्दा आदमी परोपकार करे उसे देख अद्वा उत्पन्न हुए बिना न रहेगी।

अरुचिकर और प्रतिकूल विषयों के उपस्थितिकाल में इन्द्रिय या मन का व्यापार अच्छा नहीं लगता, इससे या तो प्राणी ऐसे विषयों को दूर करना चहता है अथवा अपने इन्द्रिय या मन के व्यापार को बन्द करना। इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं करना चाहता। क्रोध और धृणा में जो अन्तर है वह यहाँ देखा जा सकता है। क्रोध का विषय पीड़ा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे क्रोधी

इसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है। धृणा का विषय इन्द्रिय या मन के व्यापार में सङ्कोच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को उतना उपर्युक्त नहीं होता और वह धृणा के विषय की हानि करने में तुरन्त विना कुछ और विचार किए प्रवृत्त नहीं होता। हम अत्याचारी पर कोध और व्यभिचारी से धृणा करते हैं। कोध और धृणा के बीच एक अन्तर और ध्यान देने योग्य है। धृणा का विषय हमें धृणा का दुःख पहुँचाने के विचार से हमारे सामने उपस्थित नहीं होता; पर कोध का चितन विषय हमें आघात या पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से हमारे सामने उपस्थित होता है या समझा जाता है। न दुर्गन्ध ही इसलिए हमारी नाक में धूसती है कि हमें घिन लगे और न व्यभिचारी ही इसलिए व्यभिचार करता है कि हमें उसकी करतूत सुन उसस धृणा करने का दुःख उठाना पड़े। यदि धृणा का विषय जान बूझकर हमें धृणा का दुःख पहुँचाने के अभिप्राय से हमारे मामने उपस्थित हो तो हमारा ध्यान उस धृणा के विषय से हटकर उसकी उपस्थिति के कारण की ओर हो जाता है और हम कोध-सावन ने तत्पर हो जाते हैं। यदि आपको किसी के पीले दौँत देख घिन लगेगी तो आप अपना मुँह दूसरी ओर फेर लेंगे; उसके दौँत नहीं तो इन्हें जावेंगे। पर यदि जिधर-जिधर आप मुँह फेरते हैं उधर-उधर वह भी आकर खड़ा हो तो आश्चर्य नहीं कि वह थप्पड़ खा जाय। यदि होली मे कोई गंदी गालियाँ बकता चला जाता है तो धृणा मात्र लगने पर आप उसे मारने न जायेंगे, उससे दूर हटेंगे; पर यदि जहाँ-जहाँ आप जाते हैं वहाँ-वहाँ वह भी आपके साथ साथ अश्लील बकता जाता है तो आप उस पर फिर पड़ेंगे।

धृणा और पीड़ा के स्वरूप मे, जो अतर है वह स्पष्ट है। वज्रपाति के शब्द का अनुभव भद्रे गले के आलाप के अनुभव से भिन्न है। आँख में किरकिरी पड़ता और बात है, सङ्गी विल्ली सामने आता और बात। यदि कोई खी आपसे भीठे शब्दों में कलुषित प्रस्ताव करे तो उसके प्रति आपको धृणा होगी, पर वही खी यदि आपको छङ्गी

ले कर मारने आए तो आप उस पर क्रोध करेंगे। धृणा का भाव शान्त है, उसमें क्रियोत्पादिनी शक्ति नहीं है। धृणा निवृत्ति का सागे दिखलाती है और क्रोध प्रवृत्ति का। हम किसी से धृणा करेंगे तो बहुत करेंगे उसकी राह बचाएँगे, उससे बोलेंगे नहीं, पर यदि किसी पर क्रोध करेंगे तो हँडकर उससे मिलेंगे और उसे और नहीं तो दस-पाँच ऊँची-नीची सुनाएँगे। धृणा विषय से दूर ले जानेवाली है और क्रोध हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर विषय के पास ले जानेवाली। कहीं-कहीं धृणा क्रोध का शात रूपांतर मात्र प्रतीत होती है। साधारण लोग जिन बातों पर क्रोध करते देखे जाते हैं साधु लोग उनसे धृणा मात्र करके, और यदि साधुता ने बहुत ज़ोर किया तो उदासीन ही होकर, रह जाते हैं। दुर्जनों की गाली सुनकर साधारण लोग क्रोध करते हैं पर साधु लोग उपेक्षा ही करके सन्तोष कर लेते हैं। जो क्रोध एक बार उत्पन्न होकर सामान्य लोगों में वैर के रूप में टिक जाता है वही क्रोध साधु लोगों में धृणा के रूप में टिकता है। दोनों के जो भिन्न भिन्न परिणाम हैं वे प्रत्यक्ष हैं। यदि जिस पर एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ उसका व्यवहार आकस्मिक है तो वैर कर बैठना और यदि बराबर अग्रसर होनेवाला है तो धृणा मात्र करना निष्फल होता है।

आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में 'धृणा' शब्द वैर या क्रोध को छिपाने का भी काम दे जाता है। यदि हमें किसी से वैर है तो हम दस-पाँच सभ्यों के बीच बैठकर कहते हैं कि हमें उससे धृणा है। इस बात में हमारी चालाकी प्रत्यक्ष है। वर का आधार व्यक्तिगत होता है, धृणा का सावेजनिक। वैर के नाम पर यह समझा जाता है कि कहीं दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध हुआ है, पर धृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है। वर करना एक छोटी बात समझी जाती है। अतः वैर के स्थान पर धृणा का नाम लेने से बदला और बचाव दोनों हो जाते हैं।

वृणा के मूल विषय प्रायः सब मनुष्यों के लिए समान होते हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध, सौन्दर्य और भद्रापन इत्यादि के विषय में अधिकांश एकमत रहता है। यह दूसरी बात है कि एक प्रकार की सुगन्ध को अपेक्षा दूसरे प्रकार की सुगन्ध किसी को अविक अच्छी लगे, पर गुलाब की गन्ध को कोई दुर्गन्ध नहीं कहेगा। वृणा और श्रद्धा के मानसिक विषय भी सभ्य जातियों के बीच प्रायः सब हृदयों में समान और निर्दिष्ट होते हैं। वेश्यागमन, जूआ, मद्यपान, स्वार्थपरता, कायरता, आलस्य, लम्पटता, पापंड, अनधिकारचर्चा, मिथ्याभिमान आदि विषय उपस्थित होने पर प्रायः सब मनुष्य वृणा करने के लिए विवश हैं। इसी प्रकार स्वार्थत्याग, परोपकार, इन्द्रिय-संयम आदि पर श्रद्धा होना एक प्रकार स्वाभाविक सा हो गया है। मतभेद वहाँ देखा जाता है जहाँ और विषयों को पाकर लोग अनुवन्ध द्वारा वृणा के इन प्रतिष्ठित मूल विषयों तक पहुँचते हैं। यदि एक ही व्यापार से एक आदमी को वृणा मालूम हो रही है और दूसरे को नहीं, तो यह समझना चाहिए कि पहला उस व्यापार के आगे पीछे चारों ओर जिन रूपों की दद्धावना करता है, दूसरा नहीं।

दल बल सहित भरत को बन में आते देख निपाद को उनके प्रति वृणा उत्तम हो रही है और राम को नहीं; क्योंकि निपादराज भरत के आगमन में असहाय राम को मार निष्कण्टक राज्य करने की दद्धावना करता है और राम नहीं। इस प्रकार के भेद का कारण मनुष्य के अनुवन्ध-ज्ञान की उलटी गति है। अनुवन्ध-ज्ञान का क्रम या तो प्रस्तुत विषय पर से उसे संघटित करनेवाले कारणों की ओर चलता है या परिणामों की ओर। किसी प्रस्तुत विषय को पाकर हर एक आदमी अनुवन्ध द्वारा उससे वास्तविक सम्बन्ध रखनेवाले अतः समान विषयों तक नहीं पहुँच सकता। एक बात को देखकर हर एक आदमी उसका एक ही या समान कारण या परिणाम नहीं बतलाएगा। किसी रियासत के नौकर ने अपने एक मित्र से कहा कि 'तुम कभी भूलकर भी इस रियासत में नौकरी न करना'। इस कथन में एक आदमी को तो

हितकामना की भलक दिखाई पड़ रही है और दूसरे को ईर्ष्या की। इससे एक उस पर श्रद्धा करता है और दूसरा धृणा। जहाँ धृणा के मूल विषय प्रत्यक्ष रूप में सीधे हमारे सामने आते हैं वहाँ कोई मतभेद नहीं दिखाई देता। पर कभी-कभी स्वयं ये विषय हमारे सामने नहीं आते। इनके अनुमित लक्षण हमारे सामने रहते हैं जो और-और विषयों के भी लक्षण हो सकते हैं। धृणा-सम्बन्धी इस प्रकार का मतभेद सभ्य जातियों में, जिनमें उहेश्यों के छिपाने की चाल बहुत है, अधिक देखा जाता है। एक ही आदमी को कोई परम धार्मिक नेता समझता है, कोई पूरा मकार। एक ही राजकीय कार्रवाई को कोई व्यापार-स्वातन्त्र्य का प्रयत्न समझता है, कोई राज्य का लोभ।

मूसाई और ईसाई लोग देवपूजकों से इसलिए धृणा नहीं करते कि वे छोटी वस्तुओं पर श्रद्धा-भक्ति करते हैं, बल्कि यह समझकर कि वे उनके ज्ञानी और आसमान बनानेवाले खुदा से दुश्मनी किए बैठे हैं। अपने बनाने और पालनेवाले से वैर ठानना कृतन्त्रता है। अतः उनकी धृणा आरोपित कृतन्त्रता के प्रति है, देवपूजा के प्रति नहीं। संस्कार द्वारा ऐसे आरोपों पर यहाँ तक विश्वास बढ़ा कि अरब और यहूद की धर्मपुस्तकों में मूर्त्तिपूजन या देवाराधन महापातक ठहराया गया। अङ्गरेज कवि मिल्टन ने प्राचीन जातियों के देवताओं को शैतान की फौज के सरदार बनाकर बड़ी ही सकीणता और कटूरपन का परिचय दिया है। सीधे साडे गोस्वामी तुलसीदासजी से भी बिना यह कहे न रहा गया—

जे परिहरि हरि-हरि-चरन भजहि भूतगन घोर।

तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥

भिन्न-भिन्न मतवालों में जो परस्पर धृणा देखी जाती है वह अधिकतर ऐसे ही आरोपों के कारण। एक के आचार-विचार से जब दूसरा धृणा करता है तब उसकी दृष्टि यथार्थ में उस आचार-विचार पर नहीं रहती है, बल्कि ऊपर लिखे धृणा के सामान्य मूलाधारों में से किसी पर रहती है।

घृणा के विषय में गतभेद का एक और कारण प्राण्य और अप्राण्य होने के लिए विषय-मात्रा की अनियति है। सृष्टि में बहुत-सी वस्तुओं के धीर्घ की सीमाएँ अस्थिर हैं। एक ही वस्तु, व्यापार या गुण किसी मात्रा में अद्वा का विषय होता है, किसी मात्रा में अश्रद्धा का। इसके अतिरिक्त शिक्षा और सक्षार के कारण एक ही मात्रा का प्रभाव प्रत्येक हृदय पर एक ही प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं है कि एक बात एक आदमी को जहाँ तक अच्छी लगती है वहाँ तक दूसरे को भी अच्छी लगे। मन में प्रतिकूल बातें रखकर मुँह पर अनुकूल बातें कहनेवाले को एक आदमी शिष्ट और दूसरा कुटिल कहता है। उपचार या मुँह पर प्रसन्न करनेवाली बात कहने को जहाँ तक एक आदमी शिष्टता समझना चला जाता है दूसरा वहाँ से कुटिलता का आरम्भ मान लेता है। दो-चार बार किसी आदमी को थोड़ी-थोड़ी बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको दुर्वलचित्त और उद्वेगशील समझता है और दूसरा उसी को थोड़ी थोड़ी बात पर विलाप करते और आपे के बाहर होते दस बार देखकर भी उसे सहदय कहता है। रसिक लोग शुष्कहृदय लोगों से घृणा करते हैं और शुष्कहृदय लोग रसिकों से। यदि ये दोनों मिलकर एक दिन शुष्कता और रसिकता की सीमा तैयार कर दालें तो झगड़ा मिट जाय। शुष्कहृदय लोग नाप तैयालकर यह बतला दें कि यहाँ तक की रसिकता शोहदापन या विषयासक्ति नहीं है और रसिक लोग यह बतला दें कि यहाँ तक की शुष्कता कठोर हृदयता नहीं है, बस झगड़ा साफ। पर यह हो नहीं सकता। दृढ़ता और हठ, धीरता और आलस्य, सहनशीलता और भीरुता, उदारता और कजूलखर्ची, किफायत और कंजूसी आदि के बीच की सीमाएँ सद मनुष्यों के हृदय में न एक हैं और न एक होगी।

मनोविकार दो प्रकार के होते हैं—प्रेष्य और अप्रेष्य। प्रेष्य वे हैं जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि। जिस पर हम क्रोध करेगे वह (हमारे क्रोध के कारण) हम पर भी क्रोध कर

सकता है। जिससे हम प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देख हमसे भी प्रेम कर सकता है। अप्रेष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न होते हैं उसके हृदय में यदि करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सृष्टि करेंगे। इनके अन्तर्गत भय, दया, ईर्ष्या आदि हैं। जिससे हम भय करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय नहीं करेगा बल्कि हम पर दया करेगा। जिस पर हम दया करेंगे वह हमारी दया के कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा। जिससे हम ईर्ष्या करेंगे वह हमारी ईर्ष्या को देख हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा बल्कि घृणा करेगा।

प्रेष्य मनोवेग सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एक के क्रोध को देख दूसरा क्रोध करेगा, दूसरे के क्रोध को देख पहले का क्रोध बढ़ेगा, पहले का क्रोध बढ़ते देख दूसरे का क्रोध और बढ़ेगा, इस प्रकार एक अत्यन्त भीषण क्रोध का दृश्य उपस्थित हो सकता है। इसी प्रकार एक के प्रेम को देख दूसरे को प्रेम हो सकता है; दूसरे के प्रेम को देख पहले का प्रेम बढ़ सकता है; पहले के प्रेम को बढ़ते देख दूसरे का प्रेम और बढ़ सकता है और अन्त में रात-रात भर करवटे बदलते रहने की नौबत आ सकती है। अतः प्रेष्य मनोवेगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अप्रेष्य मनोवेगों का ऐसे विजातीय मनोवेगों से संयोग होता है जिनसे उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा। उसकी दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं। हमे जिससे भय प्राप्त हुआ है उसमें फिर क्रोध को देख हमारा भय बढ़ सकता है; पर हमारे भय के कारण उसमें नया क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। अपने ऊपर किसी को दया करते देख हम उस पर श्रद्धा प्रकट करेंगे, हमारी श्रद्धा से उसकी दया तत्त्वणा बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा पर दया नहीं होती है; दया होती है क्लेश पर। श्रद्धा पर जो वस्तु हो सकती है वह कृपा है। जिस पर हमे दया उत्पन्न हुई है उसको और क्लेशित या भयभीत देखकर हमारी दया बढ़ सकती है पर हमे दया करते देख (उस दया के कारण) उसका क्लेश या

भय बढ़ेगा नहीं। किसी को अपने प्रति ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा प्रकट करेंगे। हमारी घृणा उसमें नई ईर्ष्या उत्पन्न कर उसकी ईर्ष्या बढ़ाएगी नहीं। घृणा पर ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या होती है किसी की उन्नति या बढ़ती देखकर। प्रतिकार के रूप में जो अहित-कामना उत्पन्न होती है वह ईर्ष्या नहीं है। घृणा के बदले में तो घृणा, क्रोध या वैर होता है।

यह जानकर कि घृणा प्रेत्य मनोविकारों में से है लोगों को बहुत समझ-बूझकर उसे स्थान देना और प्रकट करना चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि घृणा निवृत्ति का मारा दिखलाती है अर्थात् अपने विषयों से दूर रखने की प्रेरणा करती है। अतः यदि हमारी घृणा अज्ञानवश ऐसी वस्तुओं से है जिनसे हमें लाभ पहुँच सकता है तो उनके अभाव का कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। शारीरिक बल और शिक्षा आदि से जिन्हे घृणा है वे उनके लाभों से वचित रहेंगे। किसी बुद्धिमान् मनुष्य से जो मन में घृणा रखेगा वह उसके सत्सग के लाभों से हाथ धोएगा।

उपर्युक्त घृणा को भी यदि वह शुद्ध है तो प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। घृणा का इन श्य जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है उसी की क्रियाओं को निर्धारित करना है, जिसके प्रति उत्पन्न होती है उस पर किसी तरह का प्रभाव ढालना नहीं। अतः उपर्युक्त घृणा को भी उसके पात्र पर यत्नपूर्वक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें किसी आदमी से खालिस घृणा मात्र है तो हम उससे दूर रहेंगे, हमें इसकी ज़रूरत न होगी कि हम उसके पास जाकर कहे कि “हमें तुमसे घृणा है।” जब क्रोध, करुणा या हितकामना आदि का कुछ मेल रहेगा तभी हम अपनी घृणा प्रकट करने को आकुल होंगे। हमें जिस पर क्रोधमिश्रित घृणा होगी उसी के सामने हम अपनी घृणा प्रकट करके उसे दुःख पहुँचाना चाहेंगे; क्योंकि दुःख पहुँचाने की प्रवृत्ति क्रोध की है, घृणा की नहीं। इसी प्रकार जिसके काययों से हमें घृणा उत्पन्न होगी यदि उस पर कुछ दया या उसके हित की

कुछ चिन्ता होगी तभी हम उसे उन कार्यों से विरत करने के अभिप्राय से उस पर अपनी धृणा प्रकट करने जायेंगे। पर इन दोनों अवस्थाओं में यह भी हो सकता है कि जिस पर हम धृणा प्रकट करें वह हमसे बुरा मान जाय।

मनोविकारों को उत्पन्न होने देने और न उत्पन्न होने देने की इच्छा को मनोविकारों से स्वतंत्र समझना चाहिए। किसी वस्तु से धृणा उत्पन्न होना एक बात है और धृणा के दुःख को न उत्पन्न होने देने के लिए उस वस्तु को दूर करने या उससे दूर होने की इच्छा दूसरी बात। हम धृणा के दुःख का अनुभव या अनुभव की आशंका कर चुके तब उससे बचने को आकुल हुए। ऐसी आकुलता को हम “धृणा लगने का भय” कह सकते हैं। एक पूछता है “क्यों भाई! तुम उसके सामने क्यों नहीं जाते?” दूसरा कहता है “उसका चेहरा देखकर और उसकी बात सुनकर हमें क्रोध लगता है।” इस प्रकार की अनिच्छा को हम “क्रोध की अनिच्छा” कह सकते हैं। किसी वस्तु का अच्छा लगना एक बात है और उस अच्छा लगने के सुख को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दूसरी बात।

धृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है। दोनों अपने-अपने विषयों से दूर होने की प्रेरणा करते हैं। परन्तु भय का विषय भावी हानि का अत्यन्त निश्चय करनेवाला होता है और धृणा का विषय उसी तथा इन्द्रिय या मन के व्यापारों में संकोच उत्पन्न करनेवाला। धृणा के विषय से यह समझा जाता है कि जिस प्रकार का दुःख यह दे रहा है उसी प्रकार का देता जायगा पर भय के विषय से यह समझा जाता है कि अभी और प्रकार का अधिक तीव्र दुःख देगा। भय क्लेश नहीं है, क्लेश की छाया है; पर ऐसी छाया है जो हमारे चारों ओर और अन्धकार फैला सकती है। सारांश यह कि भय एक अतिरिक्त क्लेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आ पड़ी तो हमें दोहरा क्लेश पहुँचा। इसी से आनेवाली अनिवार्य आपदाओं के पूर्वज्ञान की हमें उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनसे

भय करके हम अपने को बचा तो सकते नहीं, उनके पहले के दिनों के सुख को भी खो अलवत सकते हैं।

सभ्यता या शिष्टता के व्यवहार में 'वृणा' उदासीनता के नाम से छिपाई जाती है। दोनों में जो अन्तर है वह प्रत्यक्ष है। जिस बात से हमें वृणा है, हम चाहते क्या आकूल रहते हैं कि वह बात न हो; पर जिस बात से हम उदासीन हैं उसके विषय में हमें परवा नहीं रहती, वह चाहे हो, चाहे न हो। यदि कोई काम किसी की रुचि के विरुद्ध होता है तो वह कहता है “उँह ! हमसे क्या मतलब, जो चाहे सो हो”। वह सरासर झूठ बोलता है; पर इतना झूठ समाजस्थिति के लिए आवश्यक है।

— —

ईर्ष्या

जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता है वैसे ही दूनरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद होता ही न हो। ईर्ष्या एक सकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती है। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए भगड़ते हैं तब कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के काम में नहीं आता। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले या न मिले, दूसरे के काम में न आए अर्थात् उसकी स्थिति मुझसे अच्छी न रहे। ईर्ष्या पहले-पहल इसी रूप में व्यक्त होती है।

ईर्ष्या प्राप्ति की उत्तेजित इच्छा नहीं है। एक के पास कोई वस्तु है और दूसरे के पास नहीं हैं तो वह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए तीन प्रकार से दुःख प्रकट कर सकता है—

१—क्या कहें हमारे पास भी वह वस्तु होती !

२—हाय ! वह वस्तु उसके पास न होकर हमारे पास होती तो अच्छा था ।

३—वह वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाह जहाँ जाती ।

इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ेगा कि इनमें दूसरे व्यक्ति की ओर जो लक्ष्य है उसे क्रमशः विशेषत्व प्राप्त होता गया है और वस्तु की ओर जो लक्ष्य है वह कम होता गया है। पहले

चाक्य से जो भाव भलकता है वह ईर्ष्या नहीं है, साधारण स्पद्धा अर्थात् लाभ की उत्तेजित इच्छा का एक अच्छा रूप है। उसमें वस्तु की ओर लक्ष्य है, व्यक्ति का ओर नहीं। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पद्धा वस्तुगत। दूसरे चाक्य में ईर्ष्या का कुछ, और तीसरे में पूरा आभास है। इन दोनों में से एक (दूसरे) में दूसरे के विच्छिन्न न रख सकने का दुःख गौण और दूसरे (तीसरे) में प्रधान या एकान्त है।

स्पद्धा में किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मान से किसी व्यक्ति-विशेष का सम्बन्ध देख अपनी व्रुटि पर दुःख होता है, फिर प्राप्ति की एक प्रकार की उद्देश्यपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है, या यदि इच्छा पहले से होती है तो उस इच्छा को उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार की वेगपूर्ण इच्छा या डच्छा की उत्तेजना अन्तःकरण की उन प्रेरणाओं में से है जो मनुष्य को अपने उन्नति-साधन में तत्पर करती है। इसे कोई संसार का सज्जा समझनेवाला बुरा नहीं कह सकता। यह उत्तेजना ऐश्वर्य, गुण या मान के किसी चित्ताकर्पण रूप या प्रभाव के साक्षात्कार से उत्पन्न होती है और कभी-कभी उस ऐश्वर्य, गुण या मान को धारण करनेवाले की पूर्वस्थिति के परिज्ञान से बहुत बढ़ जाती है। किसी अपने पड़ोसी या मित्र की विद्या का चमत्कार या आदर देख विद्या-प्राप्ति की इच्छा उत्तेजित होती है और यह जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या वित्त का मनुष्य था, यह उत्तेजना आशा-प्रेरित होकर और भी बढ़ जाती है। प्राप्ति की इस उत्तेजित इच्छा के लिए सम्पन्न व्यक्ति ऐसा मूर्च्छिमान् और प्रत्यक्ष आधार हो जाता है जिससे अपनी उन्नति याता सम्पन्नता की भी आशा बँधती है कार्यक्रम की शिक्षा मिलती है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छावाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को देख जिसने अपने पुरुषार्थ से वह वस्तु प्राप्त की हो, कभी-कभी बड़ा सहारा हो जाता है और वह सोचता है कि 'जब उस मनुष्य ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया तब क्या मैं भी नहीं कर सकता?' ऐसे सम्पन्न व्यक्ति की ओर जो इच्छुक या

स्पद्धीवान् का बार-बार ध्यान जाता है वह उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए। स्पद्धा में अपनी कमी या त्रुटि पर दुःख होता है, दूसरे की सम्पन्नता पर नहीं। स्पद्धा में दुःख का विषय होता है “मैंने उन्नति क्यों नहीं की?” और ईर्ष्या में दुःख का विषय होता है “उसने उन्नति क्यों की?” स्पद्धा संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगों की संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है और ईर्ष्यों कमी।

उपर के विवरण से यह बात मलक गई होगी कि ईर्ष्या एक अनावश्यक विकार है, इससे उसकी गणना मूल मनोविकारों में नहीं हो सकती। यह यथार्थ में कई भावों के विचित्र मिश्रण से सघटित एक विष है। जब किसी विषय में अपनी स्थिति को रक्षित रख सकने या समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयोग्यता या आलस्य आदि के कारण कुछ कसर रहती है तभी इस इच्छा का उदय होता है कि किसी व्यक्ति-विशेष की स्थिति उस विषय में हमारे तुल्य या हमसे बढ़कर न होने पाए। यही इच्छा बढ़कर द्वेष में परिवर्तित हो जाती है और तब उस दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट, न कि केवल उसी विषय में बल्कि प्रत्येक विषय में, वाञ्छित हो जाता है। वैर और द्वेष में अन्तर यह है कि वैर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार में होता है, पर द्वेष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा से नहीं किया जाता।

यह बात ध्यान देने की है कि ईर्ष्या व्यक्ति-विशेष से होती है। यह नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वर्य, गुण या मान से सम्पन्न देखा उसी से ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ-साथ उन पर भी अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ-साथ जिन पर लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती। काशी में रहनेवाले किसी धनी के अमेरिका के किसी धनी की बात सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। हिन्दी के

किसी कवि को इटली के किसी कवि का महत्त्व सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। सम्बन्धियों, वाल-सख्ताओं, सहपाठियों और पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जो आदमी एक साथ उठते-बैठते देखे गए हैं उन्हाँ में से कोई एक दूसरे की बढ़ती से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दो साथियों में से कोई किसी अच्छे पद पर पहुँच गया तो वह डस उद्योग में देखा जाता है कि दूसरा किसी अच्छे पद पर न पहुँचने पाए। प्रायः अपनी उन्नति के गुप्त वाधकों का पता लगाते-लगाते लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र तक पहुँच जाते हैं। जिस समय ससर्ग-सूत्र में बाँधकर हम औरों का अपने साथ एक पंक्ति में खड़ा करते हैं उस समय सहानुभूति, सहायता आदि की सम्भावना प्रतिपित्त होने के माथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष की सम्भवना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी विधान से हम भलाई ही भलाई की सम्भावना का सूत्रपात करें और डस प्रकार भविष्य के अनिश्चय में वाधा ढालें, यह कभी ही नहीं सकता। भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल और अजेय है। अपनी लाख विद्या-बुद्धि से भी हम उसे विलकुल हटा नहीं सकते।

अब ध्यान देने की बात यह निकली कि ईर्ष्यों के संचार के लिए ईर्ष्यों करनेवाले और ईर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देनेवाले समाज की भी आवश्यकता है। इसी समाज की धारणा पर प्रभाव ढालने के लिए ही ईर्ष्या की जाती है; ऐश्वर्य, गुण या मान का गुप्त रूप से, विना किसी समुदाय को विदित कराए, सुख या सन्तोष भोगने के लिए नहीं। ऐश्वर्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से वस्तुतः बढ़कर या उसके तुल्य न हो, पर यदि समाज की यह धारणा है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य हैं तो हम सन्तुष्ट रहेगे, ईर्ष्या का घोर कष्ट न उठाने जायेगे। कैसी अनोखी बात है कि वस्तु-प्राप्ति स वंचित रहकर भी हम समाज को धारणा मात्र से सन्तुष्ट रहते हैं। ईर्ष्या सामाजिक जीवन का कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपनी कोई वास्तविक हानि न देख-

कर भी व्यथे दुखी होते हैं। समाज के सघष^१ से जो अवास्तविकता उत्पन्न होती है वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम नहीं। वह हमें सुखी भी कर सकती है, दुखी भी। फ़ारसी मसल है “मगे अम्बोह जशने दारद”। हम किसी कष्ट में हैं; इसी बीच मे कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी वही कष्ट वरणन करने लगता है ता हमारे मुँह पर कुछ हँसी आ जाती है और हम कुछ आनन्दित होकर कहते हैं “भाई! हम भी तो इसी बला में गिरफतार हैं।” यदि दस-पाँच आदमी वही कष्ट बतलानेवाले मिलें तो हमारी हँसी कुछ बढ़ भी जाती है। एक बार किसी ने अपने सम्बन्धी के मरने पर एक विद्वान् से पूछ कि “हम धैर्य कैसे धारण करें?” उसने कहा कि “थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी ससार में लाखों अनाथ इधर-उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखों बच्चे बिना मा बाप के हो रहे हैं, लाखों विधवाएँ औंसु बहा रही हैं।” यदि हमें कोई कष्ट है तो क्या दूसरों को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट सचमुच कुछ घट जाता है? यदि नहीं घटता है तो यह हँसी कैसी, यह धैर्य कैसा? यह हँसी केवल स्थिति के भिलान पर निभैर है, जिससे अपनी स्थिति के विशेषत्व का परिहार होता है। यह लोक-संशय का एक गुण है कि कभी-कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके विशेषत्व के परिहार से तत्सम्बन्धी भावना मे अन्तर पड़ जाता है। पर यह अन्तर ऐसा ही है जैसा रोते-रोते सो जाना या फोड़ा चिराते समय क्लोरो-फार्म सूँघ लेना।

समाज मे पड़ते ही मनुष्य देखने लगता है कि उसकी स्थिति दोहरी हो गई है। वह देखता है कि ‘‘मैं यह हूँ’’ और ‘‘मैं यह समझा जाता हूँ’’ इस दोहरेपन से उसका सुख भी दोहरा हो जाता है और दुःख भी। ‘‘मैं बड़ा हूँ’’ इस निश्चय के साथ एक यह निश्चय और जुँड़ जाने से कि ‘‘मैं बड़ा समझा जाता हूँ’’ मनुष्य के आनंद या सुख के अनुभव में वृद्धि होती है। इसी प्रकार ‘‘मैं क्षुद्र हूँ’’ इस धारणा के साथ ‘‘मैं क्षुद्र समझा जाता हूँ’’ इस धारणा क योग से दुःख के

अनुभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्थिति के एकांत और सामाजिक दो विभाग हो जाने से कोई तो दोनों विभागों पर हृष्टि रख सकते हैं और कोई एक ही पर। शक्तिशाली और प्रतिभा-सम्पन्न मनुष्य पहले यह प्रयत्न करते हैं कि 'हम ऐसे हो'। फिर वैसे हो जाने पर यदि आवश्यक हुआ तो वे यह प्रयत्न भी करते हैं कि 'हम ऐसे समझें जायें'। इन दोनों के प्रयत्न जुड़े-जुड़े हैं। संसार में शक्तिसम्पन्न सब नहीं होते, इससे बहुत से लोग स्थिति के पहले विभाग के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है उनमें अपने को असमर्थ देख दूसरे ही विभाग से किसी प्रकार अपना संतोष करना चाहते हैं और उसी पर हृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं। ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में बहुत जगह पाती है और उनके प्रयत्नों में सहायक भी होती है। भाव-प्रवर्तन आदि के बल से जिस समुदाय के प्राणी परस्पर ऐसे सन गए हैं कि अपने इन्द्रियानुभव और भावनाओं तक को जवाब देकर दूसरों के इन्द्रियानुभव और भावनाओं द्वारा निवाह कर सकते हैं, उसी में ईर्ष्यों का विकास हो सकता है। अतः ईर्ष्यों का अनन्य अधिकार मनुष्य-जाति ही पर है। एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को कुछ खात देख उसे आप खाने की इच्छा कर सकता है, पर वह यह नहीं चाह सकता कि चाहे हम खायें या न खायें वह दूसरा कुत्ता न खाने पाए। दूसरे कुत्तों की हृष्टि में हमारी स्थिति कैसी है, इसकी चिन्ता उस कुत्ते को न होगी।

अपने विषय में दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का प्रयत्न अच्छी वात है। इस प्रयत्न को जो बुरा रूप प्राप्त होता है वह असत्य के समावेश के कारण—दूसरों की धारणा की अवास्तविकता और अपनी स्थिति की सापेक्षता के कारण। जब हम अपने विषय में दूसरों की भूमि धारणा और अपनी स्थिति के सापेक्ष रूप मात्र से संतोष करना चाहते हैं तभी बुराईयों के लिए जगह होती है और ईर्ष्या की राह खुलती है। जैसी स्थिति हमारी नहीं है, जैसी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता हममें नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैसी स्थिति

समझें। जैसी स्थिति से वास्तव में हमें कोई सुख नहीं है वैसी स्थिति किसी दूसरे के समान या दूसरे से अच्छी स्वयं समझने से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा समझी जाने से ही हम सतोष करते हैं। ऐसे असत्य आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी असार वृत्ति का उदय हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे शायद येह धारणा हो सकती है कि ईर्ष्या अप्राप्त वस्तु ही के लिए होती है। पर यह बात नहीं है। हमारे पास जो वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर कभी-कभी हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। किसी गरीब पड़ोसी को क्रमशः धनी होते देख आसपास में धनी माना जानेवाला मनुष्य कभी-कभी बुरा मानने लगता है। एक ऊँची जाति का आदमी किसा नीच जाति के आदमी को अपने ही समान वस्त्र आदि पहने देख बुरा मानता और कुद्रता है। इसका कारण यह स्थायी बुद्धि या अहकार है कि 'हम ऊँचे हैं वह नीचा है, हम बड़े हैं वह छोटा है'। लोक व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान्, धर्म-चिन्तक, शासन-कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देशरक्षा में प्राण देने को तैयार वीर इत्यादि औरों से अधिक आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित सम्मान न प्रदिशेत करना अपराध है। अन्य वर्ग के लोग लोकधर्मानुसार इन्हे बड़ा मानने को विवश हैं। पर इन्हे दूसरों को छोटा प्रकट करने क्या मानने तक का अधिकार नहीं है। जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वतंत्र खोया।

न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईटे जोड़ता है। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हमसे छोटे हो। जिस जाति में इस छोटाई-बड़ाई का अभिमान जगह-जगह जमकर ढढ़ हो जाता है उसके भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है और संव शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में उन कार्यों की, जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी जीवन-निर्बाह करते हैं, परस्पर

छोटाई बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, वल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत सा अमंतोप दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आकांक्षा से खियां को पुरुषों की हड़ में न जाना पड़े, सब पढ़े-लिखे आदमियों को सरकारी नौकरियों ही के पीछे न दौड़ना पड़े। जहाँ इस छोटाई बड़ाई का भाव बहुत प्रचार पा जाता है और जीवन-न्यवहारों में निर्दिष्ट और स्पष्ट रूपों में दिखाई पड़ता है, वहाँ लोगों की शक्तियाँ केवल कुछ विशेष-विशेष स्थानों की ओर प्रवृत्ति होकर उन-उन स्थानों पर इकट्ठी होने लगती हैं और समाज के कार्यये-विभागों में विषमता आ जाती है अर्थात् कुछ विभाग सूने पड़ जाने हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक भर जाते हैं, जैसा कि आजकल इस देश में देखा जा रहा है। यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य आदि की ओर तब तक पढ़े-लिखे लोग ध्यान न देंगे जब तक कुछ पेशों और नौकरियों की शान लोगों की नज़रों में समाई रहेगी। इस प्रकार की शान प्रायः किसी शक्ति के अनुचित प्रयोग में अधिक समझो जाती है। कोई पुलिस का कर्मचारी जब अपने पद का अभिमान प्रकट करता है तब यह नहीं कहता कि 'मैं जिस चदमाश को चाहूँ पकड़कर तग कर सकता हूँ' वल्कि यह कहता है कि 'मैं जिसको चाहूँ उसको पकड़कर तग कर सकता हूँ'।

अधिकार संवंधी अभिमान अनौचित्य की सामर्थ्य का अधिक होता है। यदि अधिकार के अनुचित उपयोग की संभावना दूर कर दी जाय तो स्थान-स्थान पर अभिमान की जमी हुई मैल साफ हो जाय और समाज के कार्यये-विभाग चमक जायें। यदि समाज इस बात की पूरी चौकसी रखते कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगों को कष्ट दे सकें जो दोषी हैं, माल के अफसर उन्हीं लोगों को ज्ञातिग्रस्त कर सकें जो कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उन्हे शेप लोगों पर जो निर्दोष है, जिनका मामला साफ है और जिनसे हर घड़ी काम पड़ता है, अभिमान प्रकट करने का अवसर कहाँ मिल सकता है? जब तक किसी कार्यालय में छोटे से बड़े तक सब अपना-अपना नियमित कार्य ठीक-ठीक करते हैं तब तक एक के लिए दूसरे पर अपनी बड़ाई प्रकट करने का अवसर नहीं

आता है। पर जब कोई अपने कार्य में त्रुटि करता है तब उसका अक्सर उसे दण्ड देकर अपनी बड़ाई या अधिक सामर्थ्य दिखाता है। सापेक्ष बड़ाई दूसरे को क्षतिप्रस्त करने और दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य का नाम है। अधिकार की सापेक्ष बड़ाई दूसरे को क्षतिप्रस्त करने की सामर्थ्य है और धन या गुण की सापेक्ष बड़ाई दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य है। इससे विदित हुआ कि यह छोटाईं बड़ाई हर समय तमाशा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अवसर पढ़ने पर सशोधन या शिक्षा के लिए है। किसी अवधि के तश्वल्लुकेदार के लिए बड़ाई का यह स्वर्ग दिखाना आवश्यक नहीं है कि वह जब मन में आए तब कामदार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबों को पिटवाता चले। किसी देहाती थानेदार के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह सिर पर लाल पगड़ी रख गँवारों को गाली देकर हर समय अपनी बड़ाई का अनुभव करता और कराता रहे। अभिमान एक व्यक्तिगत गुण है, उसे समाज के भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं। समाज में स्थानस्थान पर अभिमान के अजायबवर स्थापित होना अच्छा नहीं। इस बात का ध्यान रखना समाज का कर्त्तव्य है कि धर्म और राजवल से प्रतिष्ठित स्थानों के अन्तर्गत अभिमानालय और खुशामदखाने न खुलने पाएँ।

इसी प्रकार किसी बड़ी धनी या गुणी का यह हर घड़ी का एक काम न हो जाना चाहिए कि वह औरों के धन या गुण से अपने धन या गुण का मिलान किया करे और अपने से कम धनी या गुणी लोगों से अपनी श्रेष्ठता देख दिखाकर सन्तोष किया करे। इस प्रकार सन्तोष करना वस्तु को छोड़ छाया पर सन्तोष करना है। इस प्रकार के सन्तोष का सुख मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर वह ऐसे ही अवसरों तक के लिए निर्दिष्ट है जब किसी त्रुटि का संशोधन हो, कठिनता का निराकरण हो या आवश्यकता की पूर्ति हो। उसे ऐसे अवसरों के अतिरिक्त और अवसरों में घसीटना बुराई है। कई आदमी किसी रास्ते के पत्थर को हटाने में लगे हैं और वह नहीं हिलता है। एक दूसरा आदमी आकर अकले उस पत्थर को हटाकर फेंक देता है। 'उस

समय उसे अपने को धल में औरों से बढ़कर देख सन्तोष और आनन्द होगा और शेष लोग भी उसके कृत्य से प्रभावित रहने के कारण उस समय उसके इस सापेक्ष आनन्द या आनन्द प्रदर्शन से कुछ गे नहीं, बल्कि कुतूहल-युक्त होंगे और शायद कुछ शक्ति भी ग्रहण करेंगे। पर यदि उसे इस बड़ाई के आनन्द का चसका लग जायगा और वह हर घड़ी इसका अनुभव करना चाहेगा, उसे प्रकट किया करेगा तो वह एक प्रकार का दुर्व्यसन हो जायगा और अहङ्कार के नाम से पुकारा जायगा।

जिस किसी के चित्त में इस प्रकार अहङ्कार वर करेगा उसमें अपने चारों ओर अपने से घटकर धन, मान, गुण या वल देखने की स्थायी इच्छा स्थानित हो जायगी और जो वस्तु उसे प्राप्त है उसे भी दूसरों को प्राप्त करते देख उसे कुड़न या ईर्ष्या होगी। उसके अहङ्कार से आहत होकर दूसरे लोग भी उसकी उन्नति न देखना चाहेंगे और उससे एक प्रकार की उचित ईर्ष्या रखेंगे। इस प्रकार ईर्ष्या की अच्छी देती होगी। सारांश यह कि अभिमान हर घड़ी बड़ाई की भावना भोगने का दुर्व्यसन है और ईर्ष्या उसकी सहगमिनी है। इस बड़ाई के अनुभव को भोगने का जिसे दुर्व्यसन हो जाता है उसके लिए उन्नति का द्वार बन्द सा हो जाता है। उसे हर घड़ी अपनी बड़ाई अनुभव करते रहने का नशा हो जाता है, इससे उसकी चाट के लिए वह सदा अपने से घटकर लोगों की ओर दृष्टि डाला करता है और अपने से बड़े लोगों की ओर नशा मिट्टी होने के भय से देखने का साहस नहीं करता। ऐसी अवस्था में वह उन्नति की उत्तेजना और शिक्षा से वंचित रहता है। इसी से अभिमान को 'मद' भी कहते हैं। दुर्व्यसन किसी प्रकार का हो, मद है।

यह तो कहा ही जा चुका है कि ईर्ष्या दूसरे की असम्पन्नता की इच्छा की आपूर्ति से उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छा यदि किसी हानि के बदले में अथवा हानि की आशंका से हो तो वह शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। किसी दूसरे से हानि उठाकर उसकी हानि की आकांक्षा करना केवल बुराई से जवाब देना है और क्रोध या

चैर के अन्तर्गत है। इसी प्रकार यदि किसी की संपन्नता से हमें क्लेश या हानि की आशङ्का है और हम उसकी ऐसी संपन्नता की अनिच्छा या उसका दुःख करते हैं तो केवल अपना बचाव करते हैं—आजकल के शब्दों में अपनी रक्षा के स्वत्व का उपयोग करते हैं। यदि हम किसी अन्यायी को कोई अधिकार पाते देख कुढ़ते हैं तो केवल अपने या समाज के बचाव की किक करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। यदि हमें निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना घमंडी है कि यदि उसे किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो वह हमसे ऐंठ दिखाकर हमारा अपमान करेगा, तो हमारा यह चाहना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए अथवा इस बात पर दुखी होना कि वह मित्र वह वस्तु पा गया, ईर्ष्या नहीं, बचाव की चिन्ता है। इसी से अभिमानियों से ईर्ष्या करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। लोग इस अधिकार का उपयोग भी खूब करते हैं। क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या व्यवहार में, मानव जीवन के सब विभागों में इस अधिकार का उपयोग होते देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि अच्छे से अच्छे लोगों के गुणों पर उनके अभिमान से आइत लोगों के प्रयत्न या उदासीनता से बहुत दिनों तक परदा पड़ा रहा है और वे ज़िन्दगी भर भवभूति के इस बाब्य पर सन्तोष किए बैठे रहे हैं—

“उत्पत्स्य हि भम कोऽपि समानधर्मा

कालो ह्य निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ।”

अभिमान ग्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं। अभिमानी स्वयं अन्या होकर दूसरों को आँखें भी फोड़ता है। न उसे दूसरों के उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों को उसके गुण को स्वीकार करने की उत्कठा होती है। अभिमान दोनों ओर ज्ञान का निषेध करता है। अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रेष्ठ गुण है उसी प्रकार दूसरे के अभिमान को देख क्षुब्ध न होना भी श्रेष्ठ गुण है।

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि ईर्ष्यो दूसरे की प्राप्ति या प्राप्ति की सम्भावना से उत्पन्न दुःख है, चाहे वह वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो। अतः ईर्ष्या धारण करनेवालों के दो रूप होते हैं, एक असपन्न

और दूसरा संपन्न। असंपन्न रूप वह है जिसमें ईर्ष्या करनेवाला दूसरे को ऐसी वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दुःख में आलस्य या असामर्थ्य से उत्पन्न नैराश्य, दूसरे की प्राप्ति से अपनी सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपन्नता की इच्छा, और अन्त में इस इच्छा की पूर्ति में वाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा कोध इतने भावों का मेल रहता है। किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा उसी को प्राप्त करता है। हम समझते हैं कि लोगों की व्यष्टि जब हमारी स्थिति पर पड़ती होगी तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती होगी। इससे लोगों की व्यष्टि में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जँचती होगी। अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न प्राप्त करता या खो देता। पर वह दूसरा व्यक्ति जीता जागता यत्नवान् प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करता या रक्षित रखता है। इससे हमारी इच्छा पूर्ति में वाधा होती है और हम वाधक के ऊपर मन ही मन चिड़चिढ़ाते हैं।

ईर्ष्या में कोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है इसका प्रमाण वरावर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख यदि कोई उससे ईर्ष्या करता है तो केवल यही नहीं होता कि वह उसी वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयत्न करके सन्तोष कर ले, बल्कि वह उस संपन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर, विना किसी अन्य कारण के, कुवाक्य भी कह वैठता है। जो दुखाने का यह प्रयत्न विना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारण जैसे 'क्रोध से जलना' कहा जाता है वैसे ही 'ईर्ष्या से जलना' भी कहा जाता है। साहित्य के शब्दों में, क्रोध ईर्ष्या के संचारी के रूप में समय-समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर लगे हाथों यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध है किस प्रकार का। यह क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है। जिसके प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है उसके मानसिक उद्देश्य की ओर नहीं ध्यान दिया जाता। यदि हम असावधानी से दौड़ते समय किसी सोए आदमी से टकराकर उस

पर बिगड़ने लगें, या रास्ते में पत्थर की ठोकर खाकर उसे चूर-चूर करने पर उतारू हो, तो हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध होगा, क्योंकि हमने यह विचार नहीं किया कि क्या वह आदमी हमे ठोकर खिलाने के लिए ही सोया था, या वह पत्थर हमारे पैर में लगने के ही नाम। कूल इरादे से वहाँ आ पड़ा था। यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और दूसरा उसे प्राप्त करता है तो वह इस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि उससे हम अपनी हेठी समझकर दुखी हों और हमारी इच्छापूर्ति में बाधा पडे। यह दूसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि उसकी प्राप्ति से हम अपनी हेठी समझ समझकर बेचैन हो रहे हैं, वह हमारे दुःख में सहानुभूति न करे और उस वस्तु को लिये आनन्द से कान में तेल डाले बैठा रहे। प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करनेवाले मनुष्य को पहले यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन-किन महाशयों की मानहानि हो रही है।

ऊपर कहा जा चुका है कि ईर्ष्या धारण करनेवालों की दो दशाएँ होती हैं, असम्पन्न और सम्पन्न। असम्पन्न दशा का दिग्दर्शन तो ऊपर हो चुका। सम्पन्न दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमे प्राप्त है उसे दूसरे को भी प्राप्त करते देख हमे दुःख होता है। असम्पन्नता में दूसरे को अपने से बढ़कर होते देख दुःख होता है। सम्पन्न दशा में दूसरे को अपने बराबर होते देख दुःख होता है। असम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से घटकर न रहे, बराबर रहे और सम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर रहें, उसके बराबर न रहे। सम्पन्न की ईर्ष्या में आकांक्षा बढ़ी-चढ़ी होती है, इससे उसका अनौचित्य भी बढ़कर होता है। असम्पन्न ईर्ष्यावाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचाने के लिए आकुल रहता है, पर सम्पन्न ईर्ष्यावाला दूसरे को नीचा समझते रहने के लिए आकुल रहता है। असम्पन्न की ईर्ष्या में नैराश्य का भाव और अपनी कमी का दुःख मिला रहता है, इससे उसकी कल्पता उतनी गहरी नहीं जान पड़ती। निराश और अभाव-पीड़ित मनुष्य जैसे इधर-उधर भूलता

भटकता फिरता है वैसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है। पर सम्पन्न ईर्ष्यालु की स्थिति ऐसी ज्ञोभकारिणी नहीं होती।

हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु में हमसे कम है। उसकी कमी और अपनी घड़ाई देख-दिखाकर हर घड़ी प्रमन्न होने का हमें दुर्व्यसन हो गया है। इसी बीच उसको भी वह वस्तु प्राप्त हो जाती है और हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति, जो सापेह थी, मरी गई। अपने आनन्द में इस प्रकार वाधा पड़ते देख हम अपने साथी को इस प्राप्ति से दुखी होते हैं और मन ही मन उस पर कुढ़ते भी हैं। साथी को बहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पर्यंत पता चलने पर भी वह हमारे इस दुख में कुछ भी सहानुभूति नहीं करता। हमारी कुप्रवृत्ति का कारण विना अवसर के हर बड़ी घड़ाई का अनुभव या स्थिति की की सापेहना का सुख भोगने की लत है। किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य और सापेहिकता पर गौण दृष्टि रखनी चाहिए। सापेहिकता नज़र का खेल है, और कुछ नहीं। यदि हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता है, पर लोग समझते हैं कि हम अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं तो लोगों की इस धारणा से हमारा पेट नहीं भर सकता। लोगों की इस धारणा से आनन्द होता है पर वह उस आनन्द का शतांश भी नहीं है जो वास्तविक स्थिति में प्राप्त वस्तुओं से मिलता है। अतः स्थिति के वास्तविक आनन्दों को छोड़ इस छाया रूपी आनन्द पर मुख्य रूप से ध्यान रखना प्रमाद और स्थिति की रक्षा का वाधक है। यदि हम वास्तविक दशा की ओर ध्यान रख आवश्यक प्रयत्न न करते रहेंगे तो अपनी संभाल नहीं कर सकते।

कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों की धरणा का कुछ मूल्य होता है, अर्थात् उससे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होता है। जैसे, यदि किसी गाँव में मूर्ख और चिद्वान् दो वैद्य हैं तो लोग दूसरे को अधिक निपुण समझ उसके पास अधिक जायेंगे और उसकी आमदनी अधिक होगी। अब यदि पहला वैद्य भी परिभ्रम करके वैद्यक पढ़

ईर्ष्या

लेगा और लोगों की यह धारणा हो जायगी कि यह भी विद्वान् है तो उस दूसरे वैद्य की आमदनी कम हो जायगी। ऐसी अवस्था में उस दूसरे वैद्य का पहले वैद्य की उन्नति से कुछना शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुःख या झुक्काहट है। ईर्ष्यों निःस्वार्थ होनी चाहिए।

ईर्ष्या का दुःख प्रायः निष्फल ही जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होगी है जिस पर हमारा वश नहीं होता। जब हममें अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्त्तन करने की सामर्थ्य नहीं है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्त्तन कर सकते हैं? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उत्तनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्त्तन करने के लिए उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का परिचय आवश्यक होता है। पर कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनमें ईर्ष्या की तुष्टि का साधन सुगम होता है, जैसे यदि किसी आदमी को किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुँचनेवाला होता है या पहुँचता होता है तो हम उस दूसरे से उसकी कुछ बुराई कर आते हैं और उसे उस लाभ से वञ्चित कर देते हैं। पर हमारी यह सफलता निरापद नहीं। यदि वञ्चित व्यक्ति को हमारी कार्रवाई का पता लग गया तो वह कुछ होकर हमारी हानि करने के लिए हमसे अधिक वेग के साथ यत्र करेगा। हमने तो केवल ज्ञान सा जाकर ज्ञान हिलाने का कष्ट उठाया था पर वह हमारी हानि करने के लिए पूरा परिश्रम करेगा।

ईर्ष्या में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते, तभी हम हारकर दूसरे की स्थिति की ओर बार-बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की

त्यों रख सापेक्षिकता द्वारा सन्तोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है ? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक सन्तोष कर सकते हैं ? जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में वरावर लगा रहता है उसे न तो नैराश्य होता है और न हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुरमत । ईर्ष्या की सब से अच्छी दवा है उद्योग और आशा । जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर मृष्टि की अनन्तता से लाभ उठाना चाहिए ।

जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर उस ईर्ष्या का क्या प्रभाव पढ़ता है यह भी देख लेना चाहिए । ईर्ष्या अप्रेत्य मनोविकार है । यह पढ़ले ही कहा जा चुका है कि किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते । दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा करते हैं । दूसरे की ईर्ष्या का कल भोग हम उस पर कोध करते हैं, जिसमें अधिक अनिष्ट-कारिणी शक्ति होती है । अतः ईर्ष्या एक ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है । इससे इस बात का आभास मिलता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है । अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुँचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुँचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुँचाना न्याय है; क्योंकि निरपराधि व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है ।

ईर्ष्या अत्यन्त लज्जावती वृत्ति है । वह अपने धारणकर्ता स्वामी के सामने भी मुँह खोलकर नहीं आती । उसके रूप आदि का पूरा परिचय न पाकर भी धारणकर्ता उसका हरम की बेगमो से अधिक परदा करता है । वह कभी प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने नहीं आती । उसका कोइ बाहरी लक्षण धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता । कोध में आँखें लाल हों, भय में आकुलता हो, घृणा में नाक-भौंसुकुड़े, करुणा में

आँसू आएँ, पर ईर्ष्या में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी साँस निकल जाय तो निकल जाय। ईर्ष्या इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा-समाज में, भिन्नमंडली में, परिवार में, एकान्त कोठरी में, कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती। लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोभ स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी मुँह पर नहीं लाते; ईर्ष्या से उत्पन्न अपने कार्यों को दूसरी मनो-वृत्तियों के सिर मढ़ते हैं। यदि हमें ईर्ष्या के कारण किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है तो हम वड़ी गम्भीरता और सज्जनता प्रकट करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों का निदर्शन करते हैं। वैर ऐसी वुरी वृत्ति तक कभी-कभी ईर्ष्या को छिपाने का काम दे जाती है।

भय

किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के मान्या-
स्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा संभव-कारक मनोविकार
होता है उसी को भय कहते हैं। कोध दुःख के कारण पर प्रभाव
डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने
के लिए। कोध दुःख के कारण के स्वरूप-धोध के विना नहीं होता।
यदि दुःख का कारण चेतन होगा और यह समझा जायगा कि उसने
जान-वृक्षफल दुःख पहुँचाया है, तभी कोध होगा। पर भय के लिए
कारण का निर्दिष्ट होना जल्दी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए
कि दुःख या हानि पहुँचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे
कि “कल तुम्हारे हाथपाँव टूट जायेंगे” तो उसे कोध न आएगा,
भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि “कल
अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे” तो वह तुरंत शोरी बड़लकर
कहेगा कि “कौन हैं हाथ पैर तोड़नेवाले ? देख लूँगा”।

भय का विषय दो रूपों में सामने आता है—साध्य रूप में और
साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा
निवारण असंभव हो या असभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है
जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। दो मनुष्य एक
पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे
थे। इतने में सामने शेर की दृश्य सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों
उठकर भागने, छिपने या पेझ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करे तो वच
सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति
की विशेषता के अनुसार तो होती ही है पर बहुत कुछ मनुष्य की
प्रकृति पर भी अवलम्बित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने
पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता

की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पाँव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो सँभलकर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है।

भय, जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियों की भीरता तो उनकी लबज्ञा के समान ही रमिकों के मनो रंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत पुराने ज्ञानाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्तों का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरता हुई। जीवन के और अनेक व्यापरों में भी भीरता दिखाई देती है। अर्थहानि के भय से बहुत व्यापारी कभी-कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, परास्त होने के भय से बहुत-से पंडित कभी-कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। सब प्रकार की भीरता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास क्षिपा रहता है। भीर व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय-कौशल पर अविश्वास तथा भीर पंडित में मान-हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या-नुद्विग्न-बल पर अविश्वास निहित है।

एक ही प्रकार की भीरता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। वह धर्म-भीरता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की चात नहीं समझते। धर्म से डरनेवालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होनेवाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई

से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उनकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हे बुराइ अच्छी ही नहीं लगती।

दुःख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी सम्भावना मात्र का अनुमान से जो आवेग-शून्य भय होता है, उसे आशङ्का कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती। उसका सञ्चार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने ज़द्दल से होकर जाता हुआ यानी चाहे रास्ते भर इस आशङ्का में रहे कि कहीं चीता न मिल जाय, पर वह घरावर चला चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जायगा तो वह या तो लौट जायगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुःखात्मक भावों में आशङ्का की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। अपने द्वारा कोई भयकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी ज्ञानिक स्तम्भ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे, कोई किसी से कहे कि “इस छत पर से कूद जाव” तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि “टर मालूम होता है”。 पर यह टर भी पूर्ण भय नहीं है।

क्रोध का प्रभाव दुःख के कारण पर डाला जाता है इससे उसके द्वारा दुःख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्जान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक सञ्चित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के सञ्चार-काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आकृत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारन दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर सम्भव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो बल्कि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाय, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात न होगी। प्राणियों की असभ्य दशा

मे ही भय से अधिक काम निकलता है जब कि समाज का ऐसा गहरा सङ्घटन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उनके विषय में जानकारी रहती हो।

जङ्गली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जङ्गली जातियाँ अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति बीस-पचीस से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अत. उसे दस बारह कोस पर ही रहनेवाला यदि कोई दूसरा जङ्गली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय तक के लिए ही नहीं बल्कि सब दिन के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उत्तरी सम्भावना नहीं होती। इसी से जङ्गली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी-देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुःख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भयकारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकाश भारतवासी भी भय के उपासक हो गये हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उतना किसी विद्वान् का नहीं।

चलने-फिरनेवाले बच्चों में, जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुःख-परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुःख-कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है जिसे वह क्रमशः कुछ अपने ज्ञानबल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा-बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और द्विवाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव ससार में पैर रखता है। सुख और आनन्द को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता

है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे धृत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने मातापिता या नित्य दिखाई पड़नेवाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही सम्बन्ध में वह यह धारणा रखता है कि ये सुझे सुख पहुँचाते हैं और कष्ट न पहुँचाएँगे। जिन्हे वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह वेधड़क नहीं चला जाता। विल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है।

भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। द्यो-ज्यो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता जाता है त्यो-त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञानवल, हृदयवल और शरीरवल की वृद्धि के साथ वह दुःख की छाया मानों हटाता चलता है। समस्त मनुष्य-जाति की सभ्यता के विकास का भी यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की वावा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रह गई है; पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुःख के कारण मनुष्य ही हैं। सभ्यता से अन्तर के बल इतना ही पड़ा है कि दुःख-दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका ज्ञान-कारक रूप बहुत-से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज्वर-दस्ती आकर हमारे घर, खेत, वाग-बगीचे, रूपये-पैसे छीन न ले पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज़ों, भूठे गवाहों और कानूनी धहसों के बल से हमे इन वस्तुओं से वञ्चित न कर द। दोनों बातों का परिणाम एक ही है।

एक एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुःखद दोनों रूप बराबर रहे हैं और बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था—एकाशाही से लेकर साम्यवाद तक—इस दोरङ्गी भलक को दूर नहीं कर सकती। मानवी प्रकृति की अनेकरूपता शेष प्रकृति की अनेकरूपता के साथ साथ चलती रहेगी।

ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न, जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लम्बी-चौड़ी बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है।

अपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है उससे समष्टि रूप में मनुष्य-जाति का वैसा अमङ्गल नहीं है। कुछ लोग अलग-अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहे तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा हुखी या ब्रह्म होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बाँधकर किया जायगा तो उसमें अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा। सब एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश-प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी उसने आगे चलकर योरप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अर्थशास्त्र के प्रभाव से अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। योरप के देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके वरावर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लृटपाट का सिलसिला आक्रमण-काल तक ही—जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था—रहता था। पर योरप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुसता चला जा रहा है—न जाने कितने देश चलते फिरते कङ्कालों के कारागार हो रहे हैं।

जब तक योरप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंधनीति के अनर्थ की ओर नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह स्वदेश-प्रेम के साथ-साथ विश्वप्रेम उमड़ता दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी। पर इस विश्वप्रेम और आध्यात्मिकता का शाविद्वक प्रचार ही अभी तो देखने में आया है। इस फैशन की

लहर भारतवर्ष में भी आई। पर कोरे फैशन के स्वप्न में गृहीत इस 'विश्वप्रेम' और 'अध्यात्म' की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। उसे हवा का एक झोंका ही समझना चाहिए।

सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से, भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। नवल और सबल देशों के बीच अर्थ-सर्वप्रथा की, सबल और निर्वल देशों के बीच अर्थ-शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है; एक ज्ञान का विराम नहीं है। इस सार्वभौम विश्ववृत्ति से दृतना अनर्थ कभी न होता यदि ज्ञानवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए ज्ञानवृत्ति के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर ज्ञानवर्त की प्रतिष्ठा आवश्यक है।

जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी। पर कर्मक्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न-साध्य होता है उसी प्रकार निभेर रहना भी। निर्भयता के सपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं— पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुँचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का सम्बन्ध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुपार्थ से। इस संसार में किसी को न ढराने से ही ढरने की सभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुजेनों से क्लेश पहुँचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने का भय-सचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते।

क्रोध

क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुःख और उसके कारण के सम्बन्ध का परिज्ञान आवश्यक है। तीन चार महीने के बच्चे कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या सम्बन्ध है, यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुःख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुःख के सज्जान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करनेवाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्योंही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है।

सामाजिक जीवन में क्रोध की जल्दी बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जानेवाले बहुत स कष्टों का चिर-निवृत्ति का उपाय ही न कर सक। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो-चार प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह-ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। ससार किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं है सकता। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी-कभी कर लेता है पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुःख-निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करनेवाले

के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन स्त्रिय के भीतर कोध का विधान इसी लिए है।

जिससे एक बार दुःख पहुँचा, पर उसके दुहराए जाने की सम्भावना कुछ भी नहीं है उसको जो कष्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर कोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका घदला या प्रतिकार ही कहा जायगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुःख पहुँचने की कुछ भी सम्भावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी भिली होगी।

हमारा पड़ोसी कर्ड दिनों से नित्य आकर हमें दो-चार टेढ़ी-छीढ़ी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुःख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जायगी। इन दोनों दृष्टान्तों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुःख से उद्धिग्न होकर दुःखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में है; पर एक से वह परिणाम आदि का विचार बिलकुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टान्त का कोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। पर कोध करनेवाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिलकुल खाली नहीं जाता। दुःख पहुँचानेवाले से हमें फिर दुःख पहुँचने का डर न सही, पर समाज की तो है। इससे उसे उचित दण्ड दे देने से एहले तो उसी की शक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का

बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन से लोक-कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है।

- > यह कहा जा सकता है कि क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य-कारण के सम्बन्ध-ज्ञान में त्रटि या भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करनेवाला जिस ओर से दुःख आता है उसी ओर देखता है; अपनी ओर नहीं। जिसने दुःख पहुँचाया है उसका नाश ही या उसे दुःख पहुँचे, कुद्ध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ भी किया है या नहीं और न इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अन्धापन है। इसी से एक तो मनो-विकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं; ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उप्र हुआ कि मन में दुःखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया-भय आदि और भावों के सञ्चार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु बीस पचीस आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किए उसे मारने के लिए अकेले दैड़ पड़े तो उसके मारे जाने में बहुत कम सन्देह समझा जायगा। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत, उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विश्वास होता है।

क्रोध की उप्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले आलम्बन में भय का सञ्चार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि ढर जाता है और नम्र होकर पश्चात्ताप करता

है तो ज्ञान का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन-तर्जन क्रोध-पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौवत नहीं आती। एक की उप्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वगृह दुर्व्यवहार के लिए ज्ञान चाहता है। बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व या नृगण करना मात्र रहता है अर्थात् दुःख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहङ्कार होता है। अभिमान दूसरों पर मान में या उसकी भावना में वाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यों ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके—अपमान द्वारा, हानि द्वारा—अभिमानी को नन्ह करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोप होता है उसकी प्रत्यक्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है; उसको हानि या पीड़ा पहुँचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है।

कभी-कभी लोग अपने कुदुम्बियों या स्नेहियों से भगाड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुःख पहुँचाने के अभिमाय से नहीं होता, क्योंकि विल्कुल वेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अङ्ग-भङ्ग करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवा है अर्थात् जिसे उसका सिर कूटने से उस समय नहीं सो आगे चलकर दुःख पहुँचेगा।

क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुःख पहुँचाया है उसमें दुःख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कङ्कङ्क पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुम्बे। वह चट मट्टा और कुदाली लेकर पहुँचा और कुशों को उखाड़ उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्टा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते फूँकते थक गए। जब

आग न जली तब उस पर कोप करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जङ्गलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर विना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अन्तःप्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती-जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है।

क्रोध सब मनोविकारों से फुरतीला है इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के बेग को शान्त कर लेते। पर यहाँ तो उस अबला के दुःख का कारण मूर्त्तिमान् तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखनेवाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही वर्थमान जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले से दया की वाहवाही को नहीं बँटाता। काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि “उसने दया करके बचा लिया”, यह कोई नहीं कहता कि “क्रोध करके बचा लिया।” ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती।

क्रोध शान्ति भङ्ग करनेवाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का सञ्चार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुःख पर उसकी भी त्यारी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं

कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के बचन सहते ही हैं; दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिह्न दबाये जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिवन्ध समाज की सुख-शान्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पर इस प्रतिवन्ध की भी सीमा है। यह पर्वीढ़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुँचता।

क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थ-परायण और धर्म-परायण दोनों देते हैं। पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। वाकी रुपया वसूल करने का ढङ्ग बतानेवाला चाहे कड़े पढ़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की धजा लेकर चलनेवाला धोखे में भी क्रोध को पाप का वाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धो और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे वातों में फॉसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर और अनुचित वातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते पर उनका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है, न साधन।

क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुःख हो सकते हैं—अपना दुःख और पराया दुःख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुःख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हड़ के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुःख जितना ही अपने सम्पर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुन्दर और मनोहर दिखाई देगा। अपने दुःख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुःख कहा जा सकता है—जैसे, अपने आत्मीय या परिजन का दुःख, इष्ट-मित्र का दुःख। इसके आगे भी जहाँ तक दुःख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा

क्रोध का एक हलका रूप है चिढ़चिढ़ाहट, जिसकी व्यञ्जना प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उम्र नहीं होता। कभी-कभी चित्त व्यग्र रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुभीता न बैठने के कारण ही लोग चिढ़चिढ़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं इससे चिढ़चिढ़ाहट के स्वभावगत होने की सम्भावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत्त, सम्प्रदाय या संस्था के भीतर निखिल आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देखकर अपने जीवन भर चिढ़चिढ़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं, रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिढ़चिढ़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, इसी से रोगियों और बुद्धों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उम्र और भयङ्कर न होने से यह बहुतों के—विशेषतः बालकों के—विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिढ़चिढ़े बुद्धों को चिढ़ाने में बहुत आनन्द आता है और कुछ विनोदी बुद्धें भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई ‘राधाकृष्ण’ कहने से, कोई ‘सीताराम’ पुकारने से और कोई ‘करेले’ का नाम लेने से चिढ़ता है और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हँसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या वेव़कूफ बनते हैं उसी प्रकार चिढ़चिढ़े भी। मूर्खता मूर्खों को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हँसाती ही है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलम्बन हैं। न जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हँसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है।

किसी बात का दुरा लगना, उसकी असह्यता का ज्ञोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुःख पहुँचानेवाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है—उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुःख पहुँचानेवाली बात के व्योरो पर और उसकी असह्यता पर

कालार्जिन-सद्वश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्त्विक तेज है, तामस ताप नहीं।

दण्ड कोप का ही एक विधान है। राजदण्ड गजकोप है, राजकोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। राजकोप धर्मकोप से जहाँ एकदम भिन्न दिस्यार्द पड़े वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप गजकोप के महत्त्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती।

वैर क्रोध का अचार या मुख्य है। जिससे हमें दुःख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्राघ किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उप्रता तो धीमी पड़ जाती है पर लद्य का पीड़ित करने की प्रेरणा वरावर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना वचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, परं वैर उसके लिए बहुत समय देता है। सब पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल काल-कृत है। दुःख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करनेवाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी। यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और दो महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे विना फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात् भावों के सञ्चय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और चिछी के सम्बन्ध का 'वैर' नाम आलङ्कारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं।

और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अन्तर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके 'उत्तर-रामचरित' में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही साझे और संशिलष्ट खण्ड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह सस्कृत के और किसी काव्य में नहीं, 'पूर्वमेघ' तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर काँक्षी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है वह धूम-धूमकर वक्त्ता दे या न दे, चन्दा इकट्ठा करे या न करे, देश-व्रासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सज्जा देशप्रेमी है ~ मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रे-म-हृषि!

अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है—कहीं मधुर, सुसज्जित या सुन्दर रूप में; कहीं रुखे बेढौल या कर्कश रूप में; कहीं भव्य, विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उप्र, कराल या भयझर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख-भोग नहीं, विक चिर-साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। जो केवल प्रफुल्ल-प्रसूत-प्रसार के सौरभ-सञ्चार, मकरन्द-लोलुप मधुप गुञ्जार, कोकिल-कूजित निकुञ्ज और शीतल सुख-रूपर्णा समीर इत्यदि की ही चर्चा किया करते हैं वे विषयी या खोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमविन्दु-मणिङ्गत मरकताभ-शाद्वल-जाल, अत्यन्त विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गम्भीर गर्त्त से उठी हुई सीकर नीहारिका के बीच विविधवर्ण फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता से ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं—सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमानवाले वर्णन हमें वात्मीकि, कृलिदास, भवभूति आदि सस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेते के कवियों ने मुक्तक-रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं

विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यञ्जना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए—“तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया। अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता”। इसके आगे बढ़कर जब कोई दौत पीसना और गरजता हुआ यह कहने लगे कि ‘‘मैं तुम्हें धूल में मिला दूँगा; तुम्हारा घर खोदकर फेंरा दूँगा’’ तब कोध का पृण स्वरूप समझना चाहिए।

कविता क्या है

पक्षियों से सन्बन्ध तोड़कर बड़े-बड़े नगरो में छोड़ते-पट्टनार्के बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हे हर वक्त पास न रखेकर एक घेरे में बन्द करते हैं और कभी-कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कवूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं; बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्यावँ म्यावँ करके माँगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्तो घर की रखवाली करते हैं, और वासुदेवजी कभी-कभी दीवार कोड़कर निकल पड़ते हैं। वरसात के दिनों में जब सुखी-चूने की कड़ाई की परवा न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें हूँढ़ती हुड़ आती है और कहती है कि “तुम हमसे क्यों दूर-दूर भागे फिरते हो?”

जो केवल अपने विज्ञास या शरीर-सुख की सामग्री ही प्रकृति में हूँढ़ा करते हैं उनमें उस रागात्मक “सत्त्व” की कमी है जो व्यक्त सत्त्व मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। सम्पूर्ण सत्त्वाएँ एक ही परम सत्त्व और सम्पूर्ण भाव एक ही परम भाव के अन्तभूत हैं। अतः वुद्धि की किया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्त्व-रस के प्रभाव से पहुँचता है। इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का ममन्दूर्य हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती।

मार्मिक तथ्य

मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप-व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यञ्जना करते हैं। पशु-पक्षियों के सुख-दुःख, हष-विषाद, राग-द्वेष, तोष-क्षोभ, कृपा-क्रोध इत्यादि भावों की व्यञ्जना

का अलग-अलग, उल्लेख मात्र उदीपन की हृष्टि से किया है। प्रवन्ध-रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। ग्रेगरेंजी के पिछले कवियों में वर्ड सर्वर्थ की हृष्टि सामान्य, चिरपरिचित, सीधे-सादे प्रशान्त और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, परं शेली का असाधारण, भव्य और विशाल की ओर।

साहचर्य-सम्भूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे-सादे चिरपरिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है! पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्क तुरन्त की जोती हुड़ धरती तथा उसके पास विखरी हुड़ भोली चितवनवाली प्रामवनिताओं में, साफ सुथरे प्रामचैतयों और कथा-नाविक प्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। घात्या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मण्डली के साथ बैठा करते थे, जिझिझिझो बुढ़िया का जिस खोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे उनकी मधुर स्मृति हमारी भावना का वरावर लीन किया करती है। बुड़ड़ी की खोपड़ी में न कोई चमक-दमक थी, न कला कौशल का बैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था; नींव के किनारे चढ़ी हुड़ मिट्टी पर सत्यानासी के नीलाभ-हरित कटीले, कटावदार पौदे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल सन्पुटों की बीच लाल-लाल विन्दियाँ झलकती थीं।

सारांश यह कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौन्दर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य-जाति के उस समय के पुराने सहचरों जी वशपरम्परागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुड़ है जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र से विचरती थी, वे ही पूरे सहदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और प्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है; दोनों पेड़-पौदों, पशु-पक्षियों, नदी-नालों और पर्वत-मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। हम पेड़-पौदों और पशु-

पर-प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे, नर !
 क्रीड़ामय जीवन-उपाय है हमारा यह ।
 दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए,
 उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह ।
 फूली फली उनकी उमझ उपकार की तू
 हैंकता है जाता हम जायें कहाँ, तू ही कह ॥”

पेड़-पौदे, लता-गुलम आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों सा तथ्यों की व्यञ्जना करते हैं जो कभी-कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचण्ड आतप में उनकी शिथिलता और अलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को; मधुकाल में उनके रसोन्माद, उमझ और हास को; प्रबल वात के मकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूपचेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्भिक तथ्यों की भी व्यञ्जना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहाँ-कहाँ इस व्यञ्जना की ओर ध्यान दिया है। कहाँ-कहाँ का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूपचेष्टा या परिस्थिति से तथ्य-चयन नहीं। पर उनकी विशेष-विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्भिक तथ्य सामने आते हैं। कोसो तक फैलै कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला बट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के फोको से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिलहिलकर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आँख मूँदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हमसे से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस

जो उनकी आकृति, चेप्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। तथ्यों का आरोप या सम्भावना अल्पत वे कभी-कभी किया करते हैं। पर इस प्रकार का आरोप कभी-कभी कथन को, 'काव्य' के क्षेत्र से घसीटकर 'मूर्कि' या "मुभापित" के क्षेत्र में ढाल देता है। जैसे, 'कौवे मवेश होते ही क्यों चिह्नाने लगते हैं?' वे समझते हैं कि सूर्य अन्धकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे।' वह नूर्कि मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या सम्भावित रहते हैं वहाँ वे प्रलङ्घार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हम पशु-पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में ही सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। जङ्गल रुट-कटकर खेत, गाँव और नगर बतते चले जा रहे हैं। पशु-पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सभ ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जायें? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं। कुछ हमारी वस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन भापटकर अपना हक्क ले जाते हैं। हम उनके साथ वरावर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सज्जा अभास हमे उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमें से किसी की चेष्टाविशेष में उन तथ्यों की मार्मिक व्यञ्जना की प्रतीति काव्यानुभूति के अन्तर्गत होगी। यदि कोई बन्दर हमारे सामने से काँड़ खाने-पीने की चीज उठा ले जाय और किसी पेड़ के ऊपर बैठा-बैठा हमे घुङ्की दे, तो काव्यहाटि से हमे ऐसा मालूम हो सकता है कि—

देते हैं घुङ्की यह अर्य-ओज-भरी हरि

"जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह ?

सोको में उत्तरा और उच्छ्रृङ्खलता का, विजली की कँपानेवाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलन्त सफोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाक्रांत्य की भावनाएँ या कृपनाशँ हैं। स्वार्थ-भमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूतियोगी या कवि इनके द्रष्टा मात्र होते हैं।

जड़ जगत् के भीतर पाए जानेवाले रूप, व्यापार या परिस्थितियों अनेक मार्मिक तथ्यों को भी व्यज्जना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके सम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उदघाटन कहीं-कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे, इधर नरज्ञेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और सम्पन्नता की दशा में दिन-रात घेरे रहनेवाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करनेवाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते; उधर जड़ जगत् के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षा बराबर कलरव करते रहते हैं वे उसके सूखने पर अपना-अपना रास्ता लेते हैं—

कोलाहल सुनि खगन के, सरवर। जनि अनुरागि ।

ये सब स्वारथ के सखा, दुर्दिन दैहैं त्यागि ॥

दुर्दिन दैहैं त्यागि, तोय तेरो जव जैहै ।

दूरहि ते तजि आस, पास कोऊ नहिं ऐहै ॥

इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टिवालों को और गूढ़ व्यञ्जना भी मिल सकती है। अपने इधर-उधर हरियाली और प्रफुल्लना का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बँधी हुई सर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छ्रृङ्खलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है। पर यह उच्छ्रृङ्खलता और ध्वंस अल्प-कालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का सञ्चय होता है। उच्छ्रृङ्खलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। जीवन की धारा जब एक बँधे मार्ग पर कुछ काल तक अवाध गति से चलने पाती

परिस्थिति को देख हमसे से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार
मन्त्रोधन करे तो कर सकता है—

काया को न छाया यह केवल नुम्हारी, दृम !
अतस् के मर्म का प्रभाश यह छाया है।
भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वानंधारा अभी
जिसमें न पूरा-पूरा नर वह पाया है।
गातिशार शोतल प्रगार यह छाया थन्य !
प्रीति गा पायारे इसे कैसी हरी काया है।
ऐ नर ! न पायार इस तह का त्वन्प देख,
देख फिर घोर न्य तुने जो कमाया है ॥

उपर नरज्ञेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के ज्ञेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्यहास्ति कभी तो उन पर अलग अलग रहती है और कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन-ज्ञेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विन्द्यज्ञ हृष्टि का अपेक्षा समष्टि-हृष्टि में अधिक व्यापकता और गम्भीरता रहती है। काव्य का अनुशोलन करनेवाले मात्र जानते हैं कि काव्यहास्ति सजीव सृष्टि तक ही बढ़ नहीं रहती। वह प्रकृति के उस भाग को ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेव, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौन्दर्य, माधुर्य, भोयणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, सम्पन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु-पक्षी, पेड़-पौधे तक करते हैं। अपने इधर-उधर हरी-भरी लहलहाती प्रफुल्लना का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन-धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊँची चोटियों में विशालता और भव्यता का; वात-विलाहित जलप्रसार में ज्ञोभ और आकुलता का; विकीर्ण-घन-खण्ड-मणिडत, रश्मि-रज्जित सांध्य दिग्घच्चल में चमत्कारपूरण सौन्दर्य का; ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल माँकते हुए अधड़ के प्रचण्ड

से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्ते और सजीव चित्रण भी—उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके—कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे।

काव्य और व्यवहार

भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कसे में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तक-बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनन्तर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अन्तर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचानेवाली डोर का छोर भी अन्तरण के रागात्मक खण्ड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा-पूर्ति की आनन्द-भावना और नन्दवंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु-घण्टाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश को निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त, केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाय तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्करणा, कभी अन्य जाति के प्रति धोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमण्ड, इशारे करता हुआ मिलेगा।

है तभी सम्भवता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख-शान्ति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन-प्रवाह चीण और अशक्त पढ़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है तब नई शक्ति का प्रवाह फृट पड़ता है जिसके बेग की उच्छृङ्खलता के सामने वहुत कुछ विंस भी होता है। पर यह उच्छृङ्खल बेग जीवन का या जगन का नित्य स्वरूप नहीं है।

(३) पहले कहा जा चुका है कि नन्देन के भीतर बद्ध रहनेवाली कान्यहृष्टि की अपेक्षा मम्पूर्ण जीवन-ज्ञेन्द्रि और समस्त चराचर के ज्ञेन्द्रि से मार्मिक तथ्यों का व्यापन करनेवाली हृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी। जब कभी हमारी भावना का प्रनार इनना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनन्त व्यक्त सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव भरते हैं तब हमारी पार्थ्यमय-बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भ्रूमि पर पहुंचा रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशान्त और गम्भीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।

कृत्य चाहे नरज्ञेन्द्रि के ही हो, चाहे अधिक व्यापक ज्ञेन्द्रि के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और नहीं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्तम करे उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरम्भ में ज्ञानेन्द्रियों उपस्थित करती हैं। फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त मामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव-प्रसार होता है। आरम्भ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इन्द्रियज ज्ञान की समर्पित के रूप में ही रही। फिर उत्रों द्वयों अन्तःकरण का विकास होता गया और सम्भवता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि-व्यवसायात्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञानज्ञेन्द्रि बुद्धि-व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर वहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया

कानपुर के बनिये और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार, ऐसों को कार्यभ्रशकारी मूल्रे, निरे निठले या खट्ट-चल-हवास समझ सकते हैं। जिनकी भावना किसी बात के मामिक पक्षका चित्रानुभव करने से तत्पर रहता है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलम्बनो पयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थेत्रुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को—अपने काम से काम रखनेवालों को—एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ-पैर न हिलाते हैं, यह बात नहीं है। पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता।

मनुष्यता की उच्च भूमि

मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल सम्बन्ध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान-प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव-प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने-पिलानेवालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सतानेवालों तक ही जाता है, स्वर्वर्ग या पशुमात्र को सतानेवालों तक नहीं पहुँचता। पर मनुष्य में ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ भाव-प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने सम्बन्धियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों क्या मनुष्य मात्र और प्राणिमात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सतानेवाले पर नहीं चढ़ती; गाय-बैल और कुत्ते-बिल्ली को सतानेवाले पर भी चढ़ती है। पशु को वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बन्दर को शायद बैदरिया के मुँह में ही सौन्दर्य दिखाई

वात यह है कि वेवल इस वात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी वात हमारी भावना में आती है जो आहाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कर्ष आदि का संचार कर देती है तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेंग का आना आवश्यक है। यदि किसी जनसमुदाय के वीच कहा जाय कि अमुक देश तुम्हारा उत्तेजना स्तर या प्रतिवर्षे उठा ले जाना है तो सम्भव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से जले हुए कद्दाल कल्पना के समुख रखे जायें और भूख से तड़पते हुए वालक के पास बैठी हुई माता का आत्मन्दन सुनाया जाय तो वहुत से लोग क्रोध और करुण से व्याकुल हो उठेंगे और उस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सङ्कल्प अवश्य करेंगे। पहले ढङ्ग का वात कहना राजनीतिज्ञ या अथेशाली का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का वाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है।

उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं, अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव-प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वाथेवद्ध नहीं रह सकतीं। कभी-कभी वे दूसरों का जो दुखने के ढर से, आत्मगौरव, कुलगौरव या जातिगौरव के ध्यान से, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष-भावना में मन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अथोगम से हृष्ट, 'स्वकार्य' साधयेत्, के अनुयायी काशी के उयोतिषी और कर्मकारणी,

मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण^८ तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भाव-सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत् की अश्रुधारा का, उसके हास-विलास में जगत् के आनन्द-नृत्य का, उसके गर्जन-तर्जन में जगत् के गर्जन-तर्जन का आभास मिलता है।

भावना या कल्पना

इस निबन्ध के आरम्भ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि 'उपासना' भावयोग का ही एक अङ्ग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ 'ध्यान' ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति^९ मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यवाले इसी को 'भावना' कहते हैं और आजकल के लोग 'कल्पना'। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भावों के प्रवर्त्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़-सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अन्तःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अङ्गों का पूरे द्योरे के साथ चिन्नण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि कुछ मार्मिक खण्ड रखते हैं जिन्हे पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है।

कल्पना दो प्रकार की होती है—विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, और श्रोता या पाठक में अधिक:

पड़ता होगा पर मनुष्य पञ्च-पक्षी, फूल-पत्ते और रेत-पत्थर में भी सौन्दर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय-प्रसार का न्मारक स्तम्भ काव्य है जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम स्टूटि के सौन्दर्य को देखकर रसमन्न होने लगते हैं, कोई निष्ठुर कार्य हमें असल्ल होने लगता है, हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्र हो गया है।

कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख-दुःख, आनन्द-ह्लेश आदि का शुद्धस्वार्थेमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बन्धन नुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अथवे पिशाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मामिक पक्ष से मुँह मोड़ लिया है। न स्टूटि के किसी रूपमाधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से डबीभूत होता है, न कोई अपमान-सूचक वात सुनकर कुद्र या क्षुब्ध होता है। यदि इससे किसी लोमहरण अत्याचार की वात कही जाय तो वह मनुष्य-धर्मानुसार क्रोध या धृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि “जाने दो, हमसे क्या मतलब; चलो अपना काम देखें।” यह महा भयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महा कूरु पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुःख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दबा है। इनकी दबा कविता है।

कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत् के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए

पर कविता अपनी मनोरञ्जन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुननेवाले का चित्त रमाए रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मों की सुन्दरता या विरूपता अद्वित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौन्दर्य और माधुर्य होता है उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरुपता और भद्रापन होता है। इसी सौन्दर्य या कुरुपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौन्दर्य या कुरुपता ने सम्यक् प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है।

कविता की इसी रमानेवाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पण्डितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा योरपीय समीक्षकों ने 'आनन्द' को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम गन्तव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा नड्बड़माला हुआ। मनोरञ्जन या आनन्द तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किसी-कहानी सुनने में भी यो पूरा मनोरञ्जन होता है, लोग रात-रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं; केवल घटनावैचित्र्य-पूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अन्तर स्पष्ट है। कविता सुननेवाला किसी भाव में मग्न रहता है और कंभी-कभी बार-बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। पर कहानी सुननेवाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुननेवाला कहता है, "जरा फिर तो कहिए।" कहानी सुननेवाला कहता है, "हाँ! तब क्या हुआ?"

मन को अनुरञ्जित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना, ही यदि कविता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परन्तु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे सुनि और तुलसोदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर अम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जायगा? क्या इससे गम्भीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री सम-

तर प्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति-विधान करना पड़ता है। योरपीय साहित्य-मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। है भी यह काव्य का अनिवार्य नाधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं, जैसा कि उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है। किसी प्रसङ्ग के अन्तर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति-विधान हो पर यदि उसमें उपर्युक्त भावसंभार की समता नहीं है तो वह काव्य के अन्तर्गत न होगा।

मनोरञ्जन

प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरञ्जन है। पर जैसा कि हम पहले कहा था हैं कविता का अन्तिम लक्ष्य जगन् के मार्मिक पत्तों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य-हृदय का सामर्ख्य स्थापन है। इतने गम्भीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरञ्जन का छलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते ही में रह जानेवाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरञ्जन अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है। मनोरञ्जन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी वात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि 'परोपकार करो,' 'दूसरो पर दया करो,' 'चोरी करना महापाप है' हमें वह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रर दयावान् या कोई चोर साधु हो जायगा। क्योंकि ऐसे वाक्यों के 'अथ' की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता।

के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तस्सत्ता की यही तदाकार-परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप-रङ्ग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद न्यथ है। जो भीतर है

~~बही बाहर है।~~

यही बाहर हृसता-खेलता, रोता-गाता, खिलता-मुरकाता जगत् भीतर भी है जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत् रूपमय और गतिमय है उसी प्रकार मन भी। मन भी रूप-गति का सद्वात ही है। रूप मन और इन्द्रियों द्वारा सद्विति हैं या मन और इन्द्रियों रूपों द्वारा इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है।

कृती वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौन्दर्य की अनुभूति कही जायगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्णविन्यास से किसी की तदाकार-परिणति होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्णविन्यास उसके लिए सुन्दर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की साक्षा में पाया जाता है। न सुन्दर को कोई एकबारगी कुरूप कहता है और न विलक्षण कुरूप को सुन्दर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौन्दर्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता है, प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्ष-जाल में, सिन्दुराभ सान्ध्य दिग्घचल के हिरण्य-मेखला-मणिडत घनखण्ड

मते आ रहे हैं। हिन्दी के गीति-काल के कवि तो मानो राजाश्रो-महाराजाश्रो की काम-वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रडसों के गुँह में मकरध्वज रम मौकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रम की पिचकारी देते थे। पीछे से तो श्रीप्तोषचार आदि के नुसन्देश भी कवि लोग तैयार करते लगे। गरमी के मौसम के लिए एक कविजी व्यवस्था करते हैं—

भीतन गुलाब-जल भरि चहवगन में,

उारि कै कमलदल न्दायवे वो धॅसिए।

कालिदाम अग्र प्रग अगर अत्तर सङ्ग,

केसर उर्धीर नीर बनार वैसिए॥

जेठ में गोविन्द लाल चढन के चहलन

भरि भरि गोकुल के महलन वसिए।

इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए—

गुलगुली गिलमें, गलीन्हा हैं, गुरीजन हैं,

चिफ हैं, चिराकै है, चिरागन की माला हैं।

वहै पदमाकर ह गजक गजा हूँ सर्जी,

सज्जा हैं, सुग है, सुराही है, सुप्याला है॥

शिशिर के पाला कौ न ब्रापत कमला तिन्हे

जिनके अधीन एते उदित मसाला है॥

सौन्दर्य

सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। योरपीय कला-समीक्षा की यह एक बड़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है। पर वास्तव में यह भाषा के गङ्गवङ्गभाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीरकर्म से पृथक् वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसं ही सुन्दर वस्तु से पृथक् सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप-रङ्ग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर

अन्तःप्रकृति में दया, दान्तिरण, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्थिरध शीतल आभा में सौन्दर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाहु और आभ्यन्तर दोनों सौन्दर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है ! यदि किसी अत्यन्त सुन्दर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यन्त रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम-परायणता आदि भी सामने रख दी जायें तो सौन्दर्य की भावना सर्वांग-पूर्ण हो जाती है।

सुन्दर और कुरुप—काव्य में वस ये ही दो पक्ष हैं। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मङ्गल अमङ्गल, उपयोगी अनुपयोगी—ये सब शब्द काव्यक्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्यक्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है न बुरी; न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं—सुन्दर और असुन्दर। जिसे धार्मिक शुभ या मगल कहता है कवि उसके सौन्दर्य-पक्ष पर आप भी मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मङ्गल समझता है उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता है। दृष्टिभेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भववन्धन से मोक्ष आदि की ओर रहती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौन्दर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे-ऐसे भमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि “कला में सत् असत्, धर्म-धर्म का विचार होना” चाहिए या नहीं”, “कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं”।

कवि की दृष्टि तो सौन्दर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो— वस्तुओं के रूपरंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष-साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, कवि लोग कई प्रकार के सौन्दर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूपमाधुरी और

में, तुपारावृत्त तुङ्ग गिरि-शिखर में, चन्द्रकिरण से मलमलाते निर्भर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौन्दर्य की मलक पाता है।

जिस सौन्दर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी प्रथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक हित्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इर्षी विभूति का अवलम्बन करते हैं। हुलमी और सूर ऐसे नगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौन्दर्य-भावना में मग्न होकर ऐसी नद्दल-दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता।

कविता केवल वस्तुओं के ही रङ्ग रूप के सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती प्रत्युष कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक हरय सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के सुखमण्डल आदि का सौन्दर्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौन्दर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शब्द को नोचते हुए कुत्तों और शृगालों के वीभत्स व्यापार की मलक दिखाती है उसी प्रकार कूर्गों की हिंसावृत्ति और हुआओं की ईर्ष्या आदि की कुरुपता से भी क्षुद्र वर्ती है। उस कुरुपता का अवस्थान सौन्दर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी सुन्दर रूप कविता हूँड़कर दिखाती है। दशवद्दन-निधनकारी राम के क्रोध के सौन्दर्य पर कौन मोहित न होगा?

जो कविता रमणी के रूपमाधुर्य से हने तृप्त करती है, वही उसकी अन्तर्वृत्ति की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस वैकिम की लेखनी ने गढ़ पर वैठी हुइ राजकुमारी तिलोत्तमा के अङ्ग प्रत्यङ्ग की सुषमा को अद्वित किया है उसी ने नवाचनन्दिनी आयशा के अन्तस् की अपूर्व सात्त्विकी ज्योति की मलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्भर आदि की रूप-विभूति से हम सौन्दर्य-मग्न होते हैं उसी प्रकार

न कहकर 'वैल' कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है वह 'मूर्ख' शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्तिवैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। उस निश्चय के अनुसार 'कोई वाक्य, चाहे वह कितना हो मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्तिवैचित्र्यशून्य है तो काव्य के अन्तर्गत न होगा और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म-विकार की व्यञ्जना कुछ भी न हो पर उक्तिवैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जायगा। उदाहरण के लिए पञ्चाकरन का यह सीधा-सादा वाक्य लीजिए—

“नैन नचाय कही मुसकाय ‘लला फिर आइयो खेलन होली’।”

अथवा मण्डन का यह सवैया लीजिए—

अलि ! हौं तौ गई जमुना-जल को,
सो कहा कहौं, वीर। विपत्ति परी ।
घहराय कै कारी घटा उनई,
इतनेई में गागर सीस धरी ॥
रपट्यौ पग, घाट चढ़्यो न गयो,
कवि भडन हैकै विहाल गिरी ।
चिरजीवहु नद कौ बारो श्री,
गहि वाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥

इस प्रकार ठाकुर की यह अत्यन्त स्वाभाविक वितर्क-व्यंजना देखिए—

वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति है है ।
बारहि बार 'विलोकि धरी धरी सूरति तौ पहिचानति है है ॥
ठाकुर या मन को परतीति है, जौ पै सनेह न मानति है है ।
आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विसेप कै जानति है है ॥

मण्डन ने प्रेम-गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदर्घता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक भलक रही है। ठाकुर के सवैये में

रावण की विकरालता भीतर का प्रतिविम्ब सी जान पड़ती है। —भनुध्य के भीतरी बाहरी सौन्दर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौन्दर्य को भी मिला देने में वरण न का प्रभाव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकृष्ण एसे रम्य म्यान में गम और भरत एसे रूपवानों की रम्य अन्तःप्रकृति की छटा का क्या फहना है।

चमत्कारवाद

काव्य के सम्बन्ध में 'चमत्कार', 'अनुशापन' आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरञ्जन की सामग्री है, इसमें सन्देह नहीं। उसमें जो लोग मनोरञ्जन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं वे यदि कविता में चमत्कार ही ढैंडा करें तो कोई आश्चर्य की वात नहीं। पर जो लोग उससे ऊँचा और गम्भीर लक्ष्य समझते हैं वे घमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। 'चमत्कार' से हमारा अभिप्राय यह हो प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। 'चमत्कार' से हमारा तत्पर्य उक्ति के घमत्कार से है, जिसके अन्तर्गत वर्णविन्यास की विशंपता (जैसे, अनुप्रास में), शब्दों की क्रीड़ा (जैसे श्लेष, यमक आदि में), वाक्य की वक्ता या वचनभूमि (जैसे, काव्यर्थाप्रत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असद्वत्ति इत्यादि से) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या सम्बन्ध की अनहोनी या दूरारुद्ध कल्पना (जैसे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में) इत्यादि वातें आती हैं।

चमत्कार का प्रयोग भादुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यञ्जना के लिए प्रायः कवियों को व्यञ्जना का कुछ असामान्य ढङ्ग पकड़ना पड़ता है। वातचीत में भी देखा जाता है कि कभी-कभी हम किसी को मूर्ख

ऊपर दिए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्भिक अन्तर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जायगी। पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कर ही चमत्कार है तो थोड़ी दर के लिए कुछ कुतूहल या मनबहलाव चाहे हो जाय पर काव्य को लीन करनेवाली सरसता न पाई जायगी। केवल कुतूहल तो बालवृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार मानें तब तो अलग-अलग स्थायी भावों की रसरूप में अनुभूति और भिन्न-भिन्न भावों के आश्रयों के साथ रादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता।

यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो—ऐसी ही जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्भिक भावना (जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौन्दर्य आदि) से लीन न होकर एकबारगी कथन से अनुठे ढङ्ग, वर्ण विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं। पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्भिक भावना से लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढङ्ग के अनुठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्ति करे, वह है सूक्ति।

यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनुठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी

भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नये प्रेमी के चित्त के वितकँ की सीधे माडे शब्दों में, जिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के, वथञ्जना की गई है। क्या कोई सद्गद्य वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि उनमें कान्यत्व नहीं है ?

अब उनके सामने उन केवल चमत्कारवाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कही कोई कवि किसी राजा की कीति की धबलता चारों ओर फैलती देख यह आशाद्वा प्रकट करता है कि कही मेरी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाय अथवा प्रभान होने पर कौवां के काँव-काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अन्धकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य रही उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज-प्रवन्ध तथा श्रीर-श्रीर सुभाषित-सग्रहों में उस प्रकार की उक्तियाँ भरी पढ़ी हैं। केशव की रामचन्द्रिका में पचीसों ऐसे पद्म हैं जिनमें अलंकारों की भद्री भरती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करनेवाली या निर्वी भावना में मग्न करनेवाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पचवटी के ये वरांन लीजिए।

पताका

अति सुन्दर अति साधु । यिर न रहति पल आधु ।
परम तपोमय मानि । दंडनारिणी जानि ॥

पचवटी

वेर भयानक सी अति लगै । अर्क समूह जद्ध जगमगै ।
पाडव की प्रतिमा सम लेखौ । श्रुन भीम महामति देखौ ॥
है सुभगा सम दीपति पूरी । सिंदुर और तिलकावलि रुरी ।
राजति है यह ज्यो कुलकन्या । धाय विराजति है सँग धन्या ॥

क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध कान्य कह सकता है ?
क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं ?

प्यारी के बूझत और तिथा को
अचानक नाम लियो रसिकाई ॥
आई उनै सुँह में हँसी,
कोहि तिथा पुनि चाप सी भौह चढ़ाई ।
✓ आँखिन ते गिरे आँखु के बृद्ध,
सुहास गयो उडि हंस की नाई ॥

इसके विरुद्ध विहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते ले जाते शीशी का गुलाबजल सूख जाता है; उसके विरह-ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है, कृशता के कारण विरहिणी साँस खींचने के साथ दो-चार हाथ पीछे और साँस छोड़ने के साथ दो-चार हाथ आगे उड़ जाती है, अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मज्जाक, कहाँ विरहवेदना !

यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढङ्ग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव-विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दासजी की ये विरहदशा-सूचक उक्तियाँ लीजिए—

अब तौ विहारी के वे बानक गए री,
तेरी तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो ।
श्रौन तुव बानी स्वाति बूँदन के चातक भे,
साँसन को भरियो द्रुपदजा को चीर भो ॥
हिय को हरप मरुधरनि को नीर भो,
रो । जियरो मनोभव-शरन को तुनीर भो ।
ए री ! बेगि करिकै मिलापु थिर थापु,
न तौ आपु अब चहत अतनु को सरीर भो ॥
ऐसी ही भाव-प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है—

नह में रहनेवाला भाव आन्द्रश्न नहीं हो जाता वहाँ भी काव्य ही माना जायगा । जैसे, देव का यह सवैया लीजिए—

मौमन ही में भभीर गयो ग्रन आँसुन ही गव नीर गयो हरि ।
तेज गयो गुन नै अपनो ग्रद भूमि गई नन की तनुता करि ॥
देव जिये गिलिवर्द की आस कै, आसद पास अकास गयो भरि ।
जा दिन ते मुग फेरि हरि भै देवि टियो जो लियो हरि जहरि ॥

सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उम नायिका के शरीर को संबंधित रहनेवाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं । वायु दीर्घ नि धासों के द्वाग निकल गई, जलनत्त्व सारा आँसुओं ही आँसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया—शरीर की सारी दीपि या कान्ति जाती रही, पार्थिव तत्त्व के निकल जाने से शरीर भी ज्ञाण हो गया, अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है—चारों ओर अन्य दिखाई पड़ रहा है । जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी ओर मुँह फेरकर ताका है और मन्द मन्द हँसकर उसके मन को हर लिया है उसी दिन से उसकी यह दशा है ।

इस वर्णन में देवजी ने विरह को भिन्न-भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलन की बही मटीक उद्घावना की है । आकाश का अस्तित्व भी वहो निपुणता से चरितार्थ किया है । यमक अनुप्रास आदि भी है । साराश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मज्जमून की पूरी वन्दिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है । पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह-वेदना स्पष्ट भलक रही है, उसकी चकाचौध में अदृश्य नहीं हो गइ है । इसी प्रकार मतिराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य-चमत्कार है वह भाव शब्दता के साथ अनूठे ढंग से गुम्फित है—

दोऊ अनन्द सो आँगन माँझ विराजै
असाह की साँझ सुहाई ।

कविता की भाषा

कविता में कहीं गई बात चिन्म-रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहल कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं।

अगोचर बातों या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस सूति-विधान के लिए वह अषा की लक्षणा-शक्ति से काम लेती है। जैसे, “समय बीता जाता है” कहने की अपेक्षा “समय भाग जाता है” कहना वह अधिक पसन्द करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रूपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या छवना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टक्कना इत्यादि ऐसी ही कवि-समय-सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रुढ़ि होकर आ गई हैं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सज्जीव आकार-प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कविकर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए—

(क) धन्य भूमि बनपंथ पहारा। जहौं जहौं नाथ पाँच तुम धारा।—तुलसी।

(ख) मनहु उमगि औंग औंग छबि छुलकै।—तुलसी।

(ग) चूनरि चाहु चुर्ई सी परै।

(घ) बनन में बागन में बगरो बसन्त है।—पद्माकर।

(ङ) घृन्दाबन-बागन पै बसन्त घरसो परै।—पद्माकर।

(च) हैं तो श्यामरंग में चोराय, चित चोराचोरी घोरत तो चोरचो पै निचोरत बनै नहीं।—पद्माकर।

(छ) एहो नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलौ, तौ चलौ, जोरे ज्ञुरि जायगी।

✓ न जो करी, गवी ! लोनो गलप,
गो गो अपियान दो लोनी गई लगि ।

प्रेम के स्फुरण की विलचण अनुभूति नायिका को हो रही है—कभी औसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचर्ज होता है, कभी हल्की सी हँसी भी आ जाती है कि अच्छी बला मैंने मोल ली । इसी बीच अपनी अन्तरद्दृ सर्वी को मानने पाकर किचित् विनोद-चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है । ऐसी जटिल अन्तर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ई जाती है । ऐसी नित्य पृत्तियों के अवसर घड़ी-घड़ी नहीं आया करते । मूरदानजी का ‘अमरणीत’ ऐसी भाव-प्रेरित वक्तुक्तियों से भरा पड़ा है ।

उक्ति की वहीं तक की वचनभद्री या वक्रता के सम्बन्ध में हमसे कुन्तलजी का ‘वकोक्तिः काव्यजीवितम्’ जानते वनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक प्रन्तर्वृत्ति से सम्बद्ध हो; उसके आगे नहीं । कुन्तलजी की वक्रता वहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत वे वाक्य-वैचित्रय की वक्रता और वस्तु-वैचित्रय की वक्रता दोनों लेते हैं । सालंरुत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं । योरप में भी आजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जौर पर है । विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा-प्रधान है । लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता म ही, उक्ति के अनृठ स्वरूप में ही, वहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं । उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है । हमारे यहाँ भी व्यञ्जक वाक्य ही काव्य माना जाता है । अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यञ्जना करनेवाला वाक्य । वकोक्तिवादी कहेगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्रय या चमत्कार हो, व्यञ्जना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो । पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरजन मात्र काव्य का उद्देश्य न माननेवाले उनकी इस बात का समर्थन करने से असमर्थ होंगे । वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य हूँढ़ेगे ।

है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ-संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वरणन करना रहता है वहाँ वह उसके अन्तर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वरणन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यन्त्रणा, छो-बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का चौभकारी दृश्य सामने रखेगी। “वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है” इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अन्तर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर सम्भव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म के क्षुब्ध करने की शक्ति न हो।

उपर्युक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काह्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को ‘अप्रतीतत्व’ दोष माना है। पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं? सस्कृत के अनेक कवियों ने वेदान्त, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े-बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिन्दी के किसी मुकद्दमेवाले कवित कहनेवाले ने “प्रेमकौजदारी” नाम की एक छोटी सी पुस्तक में शृंगाररस की बाते अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। “एकतरफा डिगरी,” “तनकीह” ऐसे-ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचिवाले वाह-वाह भी कर देते हैं।

शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्तिवाले जाति-संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करनेवाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि

कहै पद्माकर नहीं तौ ये मकोरे लगे,
ओरे लौं अचाका विनु वोरे घुरि जायगी ।
तौ ढी लगि चैन जाँ लौं चेतिहै न चन्द्रमुखी,
चेतैगी कहूँ तौ चाँदनी में चुरि जायगी ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य क पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अन्तर्वृत्ति के अनुरूप व्यञ्जना के लिए लक्षण का बहुत कुछ सहारा कवि को लाना पड़ता है।

भावना को मूर्त्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसद्वैतवाले शब्दों की विशेषता विशेष रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होने हैं जिनसे किसी एक का नहीं बहिरु बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थप्रदण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति-सद्वैत कह सकते हैं। ये मूर्त्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा “वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है”। इस अत्याचार शब्द के अन्तर्गत मारना-पीटना, डॉटना-डपटना, लूटना-पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं, अतः ‘अत्याचार’ शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली-जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है; कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त्त रूप नहीं खड़ा होता।) इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्त्व-निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र-मीमांसक या तत्त्व-निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्त्व तक पहुँचने की जलदी रहती है इससे वह किसी सामान्य धर्म के अन्तर्गत आनेवाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक का अलग-अलग दृश्य देखने-दिखाने में नहीं उलझता।

पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती

बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलम्बन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करनेवाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा कि “तुमने इसका हाथ पकड़ा है”; यह न कहेगा कि “तुमने इसके साथ विवाह किया है।” ‘विवाह’ शब्द के अन्तर्गत न जाने कितने विधि-विधान हैं जो सबके सब एकबारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी सी नहीं होते। अतः कहनेवाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार “हाथ पकड़ना” है, जिससे सहारा देने का चिन्त्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है।

तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण-विन्यास की है। “शुष्ठके वृत्तस्थित्प्रत्यये” और “नीरसतरुहिं विलसति पुरतः” का भेद हमारी परिणित-मण्डली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त्ति विधान के लिए कविता चित्रविद्या की प्रणाली का अनुसरण करता है उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ-कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्तविधान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि नाद-सौन्दर्य-साधन के लिए ही है। नाद-सौष्ठव के निमित्त निखूपित वर्णविशिष्टता को हिन्दी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेढौल और भावशून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लम्बी लड़ी—वर्ण-विशेष की निरन्तर आवृत्ति—के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए झाम में लाई गई।

नाद सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय हूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग, उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए

गोचर और मूर्त्त रूपों के द्वारा ही अपनी वात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्त्वामी तुलसीदामजी के ये वचन लीजिए—

✓ जहि निसि सकल जीव गृहदिं तव कृपापात्र जन जाएँ ।

इसमें माया में पढ़े हुए जीव की अज्ञानदशा का काव्य-पद्धति पर कथन है। और देखिए। प्राणी आयु भर क्लेश-निवारण और सुखप्राप्ति का प्रयान करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख-शान्ति प्राप्त नहीं करता, इस बात को गोस्त्वामीजी यों सामने रखते हैं—

✓ दागत ही गर्द जीति निषा सब,

कवहुं न नाथ ! नौठ भरि नौयो ।

भविष्य का ज्ञान अत्यन्त अद्भुत और रहस्यमय है जिसके कारण प्राणी आनेवाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्त्वामीजी ने “चरै हरित तृन वलिपशु” इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अँगरेज कवि पॉप न भो भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है—

उस वलिपशु को देत आज जिसका तू, रे नर !

अपने रँग में रक्त बहाएगा वेदी पर ।

होता उसको शान कहीं तेरा है जैसा,

कीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा !

अन्तकाल तक हरा-हरा चारा चमलाता ।

हनन हेतु उस उटे हाथ को चाटे जाता ।

आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह ॥*

* The lamp thy riot dooms to bleed to-day,

Had he the reason, would he skip and play ?

Pleased to the last he crops the flow'ry food,

And licks the hand just raised to shed his blood,

The blindness to the future kindly given.

कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को “मुरलीधर” कहकर पुकारने की अपेक्षा ‘‘गिरिधर’’ कहना अधिक अर्थसगत है।

अलंकार

कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप-रङ्ग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप-रङ्ग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मवाली और और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी वात को भी घुमा-फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान और कथन के ढग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहाये से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं-कहीं तो इनके विना काम ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य को मुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी-कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं-कहीं इस वात के उदाहरण मिल जाते हैं।

अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों (जैसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में) चाहे वाक्य-वक्ता के रूप में (जैसे, अप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में), चाहे वर्ण-विन्यास के रूप में (जैसे, अनुप्रास में) लाए जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष-साधन के लिए ही। मुख के वर्णन में जो कमल, चन्द्र आदि सामने रखे जाते हैं वह इसी लिए जिनमें इनकी वर्णरूचिरता, कोमलता,

विना ही, प्रसन्न-चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाड-सौन्दर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम विलमुल हटा नहीं सकते। जो अन्त्यानुप्राप्ति को फालतृ समझते हैं वे छन्द को पकड़ रहते हैं, जो छन्द को भी फालतृ समझते हैं वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में नाड-सौन्दर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अङ्गरेजी आदि अन्य भाषाओं की देखाएँनी, जिनमें इनके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता में विचित कैसे कर सकते हैं?

हमारी काव्यभाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो स्थृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं-कहीं उपक्षियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्य वोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। उपर से उन्हें में तो पव के नपे हुए चरणों में शब्द खपान के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। मन्त्र पूछिए तो वह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम व्यार्थ में कृत्रिम सकेत है, जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर डारा करता है जो त्वाभाविक और अर्थगमित होने के कारण सुननेवाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिवर सुरारि, त्रिपुरारि, दीनचन्द्रु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सृज्यसाची^५ इत्यादि शब्द ऐस हा है।

ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे, यदि कोई मनुष्य किसी दुर्घट अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए “हे गोपिकारमण ! हे वृन्दावन-विहारी !” आदि कह कर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा “हे सुरारि ! हे कंसनिकइन !” आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है; क्योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा

प्राचीन गडबडभाला मिटे बहुत दिन हो गए। वर्ण्य वस्तु और वणेन-प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य-वस्तु नहीं; बल्कि वणेन की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास-खास ढंग हैं। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक-म्बरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य-वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते—जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार-प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वणेन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है। पर स्वभावोक्ति अलंकार-कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वणेन करने की प्रणाली है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार-प्रणाली के अन्तर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु-विशेष से किसी अलंकार-प्रणाली का सम्बन्ध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस-व्यवस्था का विषय है। किन-किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वणेन किन-किन रसों के विभावों और अनुभावों के अन्तर्गत आएगा, इसकी सूचना रसनिरूपण के अन्तर्गत ही हो सकती है।

अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक-ठीक लक्षण-निरूपण हो भी नहीं सका है। काव्यप्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है—

स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया रूप-वणेनम् ।

अर्थात्—“जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वणेन हो वह स्वभावोक्ति है।” प्रथम तो बालकादिक पद की व्यापि कहाँ तक है, यही स्पष्ट नहीं। अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वणेन स्वभावोक्ति है। खैर बालक की रूपचेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वणेन

दीसि इत्यादि के योग से सौन्दर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परम्परा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर बाया ढाकते हैं। जैसे, नाथिका का श्रग-ब्रगान सौन्दर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटि का प्रसेग आनंद पर भिड़ या सिंह की रुमर मामने कर दी जायगी तो सौन्दर्य की भावना में क्या, वृद्धि होगी? प्रभात के सूर्यविम्ब के सम्बन्ध में इस कथन से कि “हे शोणित-कलिन कराल यह किल कापालिक काल को” अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघवरण के ऊरर उदित होते हुए चन्द्रविम्ब के सम्बन्ध में इस उक्ति से कि “मनहैं क्रमलक पीठ पै वरयों गोल घण्टा लसत,” दूर की सूरक्ष चांड प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौन्दर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती।

पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहे। चन्द्रालोककार तो कहने हैं कि—

अंगीकरोति य काव्य शब्दार्थवनलकृती ।

असी न मन्यते कत्मादनुगमनलकृती ॥

भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था; पर भासह, रुद्रट आदि कुछ प्राचीन आचारों ने वैचित्र्य का पदा पकड़ अलकारों को प्रधानता दी। इनमें वहूतें आचारों ने अलकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में—रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्री के अर्थ में—किया है। पर ज्यें-ज्यें शास्त्रीय विचार गम्भीर और सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म-शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और ममट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते-उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्यदर्पण में साफ़ ऊपर आ गया।

वर्णन-शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो-जो विशेषताएँ मालूम होती गईं उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, 'विकल्प' अलंकार का निरूपण प्रह्ले-प्रह्ल-सजानक-रुद्धक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब हँड़ ढाले गए, वर्णन की जितनी सुन्दर प्रणालियाँ हो सकती हैं सब निरूपित हो गईं अथवा जो-जो म्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन-प्रणाली ही थी? आदि-काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं।

कविता पर अत्याचार

भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की—आसमान पर चढ़ानेवाली—स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देनेवालों की निराधार निन्दा। ऐसी तुच्छ वृत्तिवालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता-देवी के मन्दिर ऊचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री, में ही सौन्दर्य नहीं हँड़ा करते। वे फूस के मोपड़ों, धूल-मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुँह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई विलियों में कभी-कभी ऐसे सौन्दर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुँच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना, कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कमेकलाप जगत् और जीवन के बीच में उसे सुन्दर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में वह 'स्वान्तःसुखाय' प्रवृत्त होता है।

कविता की आवश्यकता

मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि ससार की सभ्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में, पाई जाती

आलम्बन विभाव के अन्तर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उदीपन विभाव के अन्तर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की सूप्रक्रिया आदि के वर्णन को रस-ज्ञेय से घसीटकर अलंकार-ज्ञेय में हम कभी नहीं ले जा सकते। ममट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार-स्वरूप-कार गत्तानुक मरण कहते हैं—

गृह्ण-वस्तु स्वभाव-यथावद्वर्णनं स्वभावोक्तिः ।

आचार्य इंडी ने श्रवस्या की योजना करके यह लक्षण लिखा है—

नानावद्यं पदार्थाना नाकाद्विवृत्यर्थी ।

न्यनायोक्तिश्च जातिश्चेत्यादा मालकृतिर्थया ॥

बात यह है कि स्वभावोक्ति अलकारों के भीतर आ ही नहीं सकती।

वक्रोक्तियादो कुन्तल ने भी इसे प्रलकार नहीं माना है।

जिस प्रकार एक कुरुपा स्त्री अलकार लाठकर सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के पचीसों पद्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएँ और उपरेक्षाएँ भरो हैं, शब्दसाम्य के बड़े-बड़े खेल-तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हे कोई सहदृश या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को 'काव्य शोभाकर,' 'शोभातिशायी' आदि ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को 'अलमर्थमलंकृतः' ही कहते हैं। पहले से सुन्दर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका है।

अलकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्दर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

हिन्दी-गद्य साहित्य का सूत्रपात करनेवाले चार महानुभाव कहे जाते हैं—मुशी सदासुखलाल, इंशाबल्ला खाँ, लल्लुलाल और सदल मिश्र। ये चारों संवत् १८६० के आसपास वर्तमान थे। सच्च पृष्ठिए तो ये गद्य के नमूने दिखानेवाले ही रहे; अपनी परम्परा प्रतिष्ठित करने का गौरव इनमें से किसी को भी प्राप्त न हुआ। हिन्दी-गद्य-साहित्य की अखण्ड परम्परा का प्रवर्त्तन इन चारों लेखकों के ७०-७२ वर्ष पीछे हुआ। विक्रम की बीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया तब से गद्य-साहित्य की परम्परा लगानार चली। इस दृष्टि से भारतेन्दुजी जिस प्रकार वर्तमान गद्य-भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य-परम्परा के प्रवर्त्तक।

राजा शिवप्रसाद के उदूँ की ओर एकबारगी भुक्त पड़ने के पहले ही राजा लक्ष्मणसिंह अपने “शकुन्तला नाटक” द्वारा संवत् १९१९ में थोड़ी स छूत मिली ठेठ और विशुद्ध हिन्दी सामने रख चुके थे, जिसमें अरबी-फारसी के शब्द नहीं थे। उसका कुछ अश राजा शिवप्रसाद ने अपने “गुटका” में दाखिल किया था। पीछे जब वे उदूँ की ओर भुक्ते तब राजा लक्ष्मणसिंह ने अपने ‘रघुवंश’ के अनुवाद के प्राकथन में भाषा के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया—

“हमारे मत में हिन्दी और उदूँ दो बोली न्यारी-न्यारी हैं। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उदूँ यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं को बोलचाल है। हिन्दी में स सूत के पद-

है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारी का ऐसा सघन और जटिल मडल बँधता चला आ रहा है जिसके भीतर बैधा-बैधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का सम्बन्ध भूला सा रहवा है। इस परिम्यति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का ढर बराबर रहता है। डसी से अन्तःप्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाने रहने के लिए कविता मनुष्य-जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसको ज़रूरत नहीं।

के स्थान पर “जौन”, ‘माँ’ के स्थान पर “मतारी”, ‘यहाँ’ के स्थान पर “इहाँ”, ‘देखूँगी’ के स्थान पर “देखौंगी” ऐसे शब्द बराबर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा या काठ्यभाषा के ऐसे ऐसे प्रयोग जैसे “फूलन्ह के” “चहुँदिशि” “सुनि” भी लगे रह गए हैं।

इन दोनों के पीछे राजा शिवप्रसाद और लक्ष्मणसिंह का समय आता है।

राजा शिवप्रसाद के गद्य में अधिक खटकनेवाली बात थी उद्दूपन जो दिन-दिन बढ़ता गया। इसी प्रकार राजा लक्ष्मणसिंह के गद्य में खटकनेवाली बात थी आगरे की बोलचाल का पुट। दूसरी बात यह थी कि विशुद्धता का जो आदर्श लेकर राजा लक्ष्मणसिंह चले थे वह एक चलती व्यावहारिक भाषा के उपयुक्त न था। फारसी-अरबी के जो शब्द लोगों की ज्ञान पर नाचा करते थे उन्हे एकदम छोड़ देना भाषा की संचित शक्ति को घटाना था। हसी-मजाक के लिए कुछ अरबी-फारसी के चलते शब्द कभी कभी कितना अच्छा काम देते हैं, यह हम लोग बराबर देखते हैं।

ऊपर लिखी त्रिटियों को ध्यान में रखते हुए जब हम भारतेन्दु की भाषा पर विचार करने बैठते हैं तब इस बात का समझना कुछ सुगम हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी-गद्य का क्या संस्कार किया। उनकी भाषा में न तो लल्लुलाल का ब्रजभाषापन आने पाया, न मुंशी सदासुख का परिवर्ताऊपन, न सदल मिश्र का पूरबीपन, न राजा शिवप्रसाद का उदूपन, और न राजा लक्ष्मणसिंह का खालिसपन और आगरापन। इतने ‘पनों’ से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के सम्बन्ध में बहुत ही परिष्कृत सूचि का परिचय देता है। संस्कृत शब्दों के रहने पर भी भाषा का सुवोध बना रहना, फारसी-अरबी के शब्द आने पर भी साथ साथ उदूपन न आना, हिन्दी की स्वतन्त्र सत्ता का प्रमाण था। उनका भाषा-संस्कार शब्दों की काट-छोट तक ही नहीं रहा। वाक्य-विन्यास में भी वे सफाई लाए। उनकी लिखावट में एक साथ नजु़ु़ सकनेवाले वाक्य में एक गुँथे हुए प्रायः नहीं पाए जाते। तात्पर्य

बहुत आते हैं; उद्दू में अरवी-पारसी के। परन्तु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरवी-पारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय और न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें अरवी-पारसी के शब्द भरे हो।”

ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है कि जिस समय राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए थे उस समय खींचतान बनी थी; भाषा के स्वरूप को स्थिरता नहीं प्राप्त हुई थी। वह भाषा का प्रस्तावकाल था। प्रवत्तन-काल का आख्य भारतेन्दु की कुछ रचनाओं के निकल जाने के उपरान्त संवत् १९३० के लगभग हुआ। यद्यपि इसके पहले ‘विद्यासुन्दर’ (संवत् १९२५) तथा और कई नाटक भारतेन्दुजी लिख चुके थे, पर वत्तमान हिन्दी-गद्य के उदय का समय उन्होंने “हरिश्चन्द्रमैगजीन” के निकलने पर, अर्थात् संवत् १९३० से, माना है।

भारतेन्दु की भाषा में ऐसी क्या विशेषता पाई गई कि उसका इतना चलन उन्हीं के सामने हो गया, इसका थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। संवत् १८६० में खड़ी बोली के गद्य का सूत्रपात करनेवालों में मुंशी सदासुख और सदल मिश्र ने ही व्यवहार-योग्य चलती भाषा का नमूना तैयार किया था। पर उन दोनों की रचनाओं में सफाई नहीं थी। बहुत कुछ कूट्ठा-करकट भरा था। मुंशी सदासुख भगवद्गत्पुरुष थे और परिणामों और साधुसन्तों के सत्संग में रहा करते थे। इससे उनके “सुखसागर” की भाषा से बहुत कुछ परिणामपन है। उनकी खड़ा बोली उस ढंग की है जिस ढंग की संस्कृत के विद्वान् परिणत काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में बोलते थे और अब भी बोलते हैं। यद्यपि मुंशीजी खास दिल्ली के रहनेवाले थे और उद्दू के अच्छे कवि और लेखक थे; पर हिन्दी-गद्य के लिए उन्होंने परिणामों की बोली ही प्रहण की। ‘स्वभाव करके बैद्य कहताएँ’, ‘उसे दुख होयगा,’ ‘बहकावनेवाले बहुत हैं’ इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए हैं। रहे सदल मिश्र; उनकी भाषा में पूरबीपन बहुत अविक है। ‘जो’

यह तो हुई भाषा की रूप-प्रतिष्ठा की बात। इससे भी बढ़कर काम उन्होंने हिन्दी साहित्य के एक नए मार्ग पर खड़ा करके किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवत्तक हुए। यद्यपि देश में नए-नए विचारों और भावनाओं का सच्चार हो गया था, पर हिन्दी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। शिक्षित लोगों के विचारों और व्यापारों ने तो दूसरा मार्ग पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्ग पर था। वे लोग समय के साथ आप तो कुछ आगे बढ़ आए थे, पर उन्हीं में अपने साहित्य को साथ न ले सके थे। उसका साथ छूट गया था और वह उनके विचारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र दोनों से अलग पड़ गया था। प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य उनके विचारों और व्यापारों से लगा हुआ चलता है यह नहीं कि उनकी चिंताओं और कार्यों का प्रवाह एक ओर जा रहा हो और उनके साहित्य का प्रवाह दूसरी ओर।

अफिर यह विचित्र घटना यहाँ कैसे हुई? आत यह थी कि जिन लोगों के मन में नई शिक्षा के प्रभाव से नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो अपनी आँखों काल की गति देख रहे थे और देश की आवश्यकताओं को समझ रहे थे, उनमें अधिकाश तो ऐसे थे जिनका कई कारणों से—विशेषतः उदौ के बीच में पढ़ जाने से—हिन्दी साहित्य से लगाव छूट सा गया था और शेष—जिनमें नवीन भावों की कुछ प्रेरणा और विचारों की कुछ स्फूर्ति थी—ऐसे थे जिन्हें हिन्दी-साहित्य का क्षेत्र इतना परिमित दिखाई देता था कि नए-नए विचारों को सन्निविष्ट करने के लिए स्थान ही नहीं सूझता था। उस समय एक ऐसे सामंजस्य-पटु, साहसी और प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष की आवश्यकता थी जो कौशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परपरागत साहित्य से करा देता। ऐसे ही पुरुष के रूप में बाबू हरिश्चन्द्र साहित्यक्षेत्र में उतरे। उन्होंने हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से लगा दिया। बड़े भारी विच्छेद से उन्होंने हमें बचाया।

के उपयुक्त संयोजक शब्दों का व्यवहार जैसा उन्होंने चलाया वैसा उनके पहले न था। विराम की परख भी उन्हें राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद से कही अच्छी थी।

चली आती हुई काव्यभाषा के स्वरूप पर भी उनकी दृष्टि गई। उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे शब्द, जिन्हे बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष पहले गए थे, कविताओं में वरावर लाए जाते हैं जिससे वे सर्वसाधारण के लगाव से कुछ दूर पड़ती जाती हैं। 'चक्रवै,' 'ठाया,' 'करमायल,' 'ईठ,' 'टीह,' 'ऊनो,' 'लोय' आदि के कारण बहुत से लोग हिन्दी-कविता को अपने से कुछ दूर की चीज समझने लगे थे। दूसरा दाय प्राप्ति वदते-वदते बहुत बुरी हद तक पहुँच गया था, वह शब्दों का तोड़-मरोड़ था। जैसे कपियों का स्वभाव 'स्वत्व तोड़ना' तुलसीदासजी ने घटाया है, वैसे ही कवियों का स्वभाव शब्द तोड़ना-मरोड़ना हो गया था। भाषा की सफाई पर बहुत कम ध्यान रहता था। वायू हरिश्चन्द्र द्वारा उन वातों का भी बहुत कुछ सुधार—चाहे जान में या अनजान में—हुआ। इस प्रकार काव्य की ब्रजभाषा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। अपने रसीले कवितों और स्वैयों में उन्होंने चलती भाषा का व्यवहार किया है, जैसे—

आहु लां जी न मिले तो कहा, हम तो तुम्हरे सब भाँति कहावैं।

मेरो उराइनो है कछु नाहिं, सबै फल आपने भाग को पावैं॥

जो हरिश्चन्द्र भर्त सो भर्त, अब प्रान चले चहें तासो सुनावैं॥

परे जू! हे जग की यह रीति, विश के समय सब कंठ लगावैं॥

इसी कारण उनकी कविता का प्रचार भी देखते-देखते हो गया है। उनके लोगों के मुंह से उनके स्वैये भी चारों ओर सुनाई देने लगे, उनके चनाए गीत छियाँ तक घर-घर में गाने लगीं। उनकी रचना लोकप्रिय हुई। उनके समय में जो सग्रह मन्थ बने उन सबमें उनकी कविताएँ हुईं। उनके स्वैये भी रखे गए। लीक पीटनेवालों की पुरानी पड़ी हुई शब्दावली हटा देने से उनकी काव्यभाषा में भी बड़ी सफाई दिखाई पड़ी।

जो सपने नहिं कान, सो जय-आरज शब्द” को सुन और “फरकि उठीं सब की भुजा, खरकि उठीं तरवार। क्यों आपुहि ऊचे भए आर्य मोँछ के बार” का कारण जान प्राचीन आर्यगौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वत्तेमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और किर वही ‘हाय भारत !’ की धुन—

हाय वहै भारत-भुव भारी । सबही विधि सो भई दुखारी ।

हाय पंचनद ! हा पानीपत ! अजहुँ रहे तुम धरनि बिराजत ॥

हाय चितौर ! निलज तू भारी । अजहुँ खरो भारतहि मँझारी ।

तुममें जल नहिं जमुना गगा । बढहु वेगि किन प्रबल तरंगा ॥

वोरहु किन झट मथुरा कासी । धोवहु यह कलंक की रासी ।

‘चितौर’, ‘पानीपत’, इन नामों में ही इतिहास-विज्ञ हिन्दू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है। उनके लिए ये नाम ही काव्य हैं। यदि कोई कवि केवल इन दो-चार नामों का एक साथ ले ले तो वह अपना बहुत कुछ काम कर चुका। ये आप ही कल्पना के कपाट खोल ऐसे-ऐसे दृश्य सामने ला देंगे जिनसे क्षुब्ध होकर हृदय अनेक गम्भीर भावनाओं में मग्न हो जायगा।

‘भारतदुर्दशा’ में आलस्य आदि को लाकर इस कवि ने देशदशा को इस ढंग से झलकाया है कि नए और पुराने दोनों ढाँचों के लोगों का मन लगे। इस कलाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नए और पुराने विचारों को अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि कहीं से जोड़ मालूम न हुआ। पुराने भावों और आदर्शों को लेकर इन्होंने नए आदर्श खड़े किए। दस्तिए, ‘नीलदेवी’ में एक देवता कं सुँह से भारतवर्षे का कैसा मर्मभेदी भविष्य कहलाया है—

✓ सब भाँति दैव प्रतिकूल होय एहि नासा ।

अब तजहु वीर वर भारत की सब आसा ॥

अब सुख-सूरज को उदय नहीं दृत है ॥

मंगलमय भारत-भुव मसान है जैहै ॥

वे सिद्ध-वाणी के अत्यंत सरस-हुदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से शुगाररस के ऐसे रसपूण और मर्मस्पर्शी कवित्त-सबैये निकलते थे जो उनके जीवनकाल में ही इवर-उवर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे थे और दूसरी और स्वदेश-प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएँ चारों ओर देश के मगल का मत्र सा फूफती थीं। अपनी सबैतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर वगदेश के मधुसूदन दत्त और हमचन्द्र की श्रेणी में; एक और तो राधाकृष्ण की भक्ति में भूमते हुए नड़ 'भक्तमाल' गृथत दिखाई देते थे दूसरी ओर टीकाधारी वगला-भगतों की हैमा ढड़ते तथा स्त्री-शिक्षा, समाज-सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही मुन्द्र सामजिक भारतेन्दु की कला का विशेष माध्यम है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्त्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए-नए या वाहरी भावों को पचाकर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित श्रग से लगें। प्राचीन और नवीन के उस सन्धिमाल में जैसी शीतल और मृदुल कला का सचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल और मृदुल कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुआ, इसमें सन्देह नहीं।

कविता की नवीन धारा के दीन भारतेन्दु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारतदुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देशदशा की जो मामिंक व्य जना है, वह तो है ही; बहुत सी स्वतन्त्र कविताएँ भी उन्होंने लिखी जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव-गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ-भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का सचार पाया जाता है। "विजयिनी विजय-वैजयन्ती" में, जो मिस्त्र में भारतीय सेना वीं विजय-प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशप्रेम व्यजक कैसे भिन्न-भिन्न सचारी भावों के उद्गार हैं। कहीं गवे, कहीं क्षोभ, कहीं विपाद। "सहसन-वरसन सें सुन्यो

ही ऐसे समय में हुआ जब लोगों की हष्टि बहुत उच्छ्र संकुचित हो चुकी थी। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के आदशे लोगों के सामने से हट चुके थे।

हमारे आदिकवि वाल्मीकि के हृदय में जो भावुकता थी वह कुछ काल पीछे मन्द पड़ने लगी। जिस तन्मयता के साथ उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण किया है उसका परम्परा कालिदास, भवभूति तक पाई जाती है। वाल्मीकि के हेसन्त-वरणे में कैसा सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण है। उनके वर्णों के वरणे में भी यही बात है—

क्षचित्प्रकाश क्षचिदप्रकाश,
नभः प्रकीर्णस्तुधन विभाति ।
क्षन्ति क्षचित्पर्वत-सनिरुद्ध,
रूप यथा शान्तमहार्णवस्य ॥
व्यामिश्रितं सर्जकदम्ब-पुष्पै-
नर्वं जल पर्वत-धातु-ताम्रम् ।
मयूरकेकाभिरनुप्रयातं,
शैलापगा शीघ्रतर वहन्ति ॥

उपर्युक्त वरणे में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे ग्राकृतिक व्यापारों का निरीक्षण किया है जिनको बिना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना हो कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए बहुत है। कालिदास के कुमारसम्बव का हिमालय-वरणे, रघुवंश में उस वन का वरणे जहाँ नन्दिनी को लेकर दिलीप गए हैं, तथा मेघदूत में यज्ञ के बताए हुए मार्ग का वरणे बार-बार पढ़ने योग्य हैं। भवभूति का तो कहना ही क्या है। देखिए—

एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा-
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि ।
आमञ्जु-वञ्जुल-लतानि च तान्यमूर्नि,
नीरन्ध-नील-निचुलानि सरित्तटानि ॥

राजा सूरजदेव के मारे जाने पर रानी नीलदेवी ने जिस रीति से भगवान् को पुकारा है वह कोई नड़ नहीं। वह वही रीति है जिससे द्रौपदी ने भगवान् को पुकारा था। भेद इतना ही है कि द्रौपदी ने अपनी लज्जा रखने के लिए, अपना संकट हटाने के लिए, पुकार मचाई थी; नीलदेवी न हंश की लज्जा रखने के लिए, देश का संकट दूर करने के लिए पुकारा है—

कहीं करनानियि केसब मोए ?

जागत नाहि, अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥

बड़ा भारी काम भारतेन्दु ने यह किया कि स्वदेशाभिमान, न्वजाति-प्रेम, समाज सुधार आदि की आधुनिक भावनाओं के प्रवाह के लिए हिन्दी का चुना तथा उत्तिहास, विचान, नाटक, उपन्यास, पुरावृत्त इत्यादि अनेक समयानुकूल विषयों की ओर हिन्दी को दौड़ा दिया। अब यह देखता है कि यदि वे कवि थे तो किस ढग के थे। विषय-जीवन के विचार से देखते हैं तो प्रायः ‘तीन ढंग के कवि पाए जाते हैं।’ कुछ तो ‘नर-प्रकृति के वर्णन में ही अधिकतर लीन रहते हैं, कुछ वैद्युत प्रकृति के वर्णन में और कुछ दोनों में समान रुचि रखते हैं। पिछले बर्ग में वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवि ही आते हैं।

वावू हरिशचन्द्र अधिकांश भाषा-कवियों के समान प्रथम प्रकार के कवियों में थे। यद्यपि इन्होंने अपनी कविता ढारा नए नए संस्कार उत्पन्न किए पर उसके स्वरूप को परम्परानुसार ही रखता। मानवी वृत्तियों ही के मर्मस्पर्शी अंशों को छौटकर इन्होंने मनोविकारों को तीव्र और परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया; दूसरी प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की मर्मस्पर्शिनी शक्ति पर बहुत कम ध्यान दिया। इन्होंने मनुष्य को सारी सृष्टि के दीर्घ रखकर नहीं देखा; उसे उसी के उठाए हुए घेरे में रखकर देखा। मनुष्य की दृष्टि को उसके फैलाए हुए प्रपञ्चावरण से बाहर, प्रकृति के विस्तृत जीव की ओर, जो जाने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। वात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान

वन, नदी, पर्वत आदि इन याचक कवियों को क्या दे देते जो वे उनका बरण करने जाते। सूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के शृगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। किर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मखमल के सुख विछौने गड़ने लगे। यदि कोई षड्मृष्टु की लीक पीटने खड़े हुए तो कहीं शरद की चाँदनी से किसी विरहिणी का शरीर जलाया, कहीं कोयल की कूक से कलेजों के टूक किए, कहीं किसी को प्रमोद से प्रमत्त किया। उन्हें तो इन ऋतुओं को उद्दीपन मात्र मान संयोग या वियोग की दशा का बरण करना रहता था। उनकी उष्टि प्रकृति के इन व्यापारों पर तो जमती नहीं थी, नायक या नायिका ही पर दौड़-दौड़िकर जाती थी। अतः उनके नायक या नायिका की अवस्था-विशेष का प्रकृति की दो-चार इनी गिनी वस्तुओं से जो सम्बन्ध होता था उसी को दिखाकर वे किनारे हो जाते थे।

बाबू हरिश्चन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेव नए-नए संस्कार छत्पन्न किए पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया। उनका जीवन-वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे। उन्हे जङ्गल, पहाड़, नदी आदि को देखने का उतना शौक न था। वे अपने भाव “दस तरह के आदमियों के साथ उठ बैठकर” प्राप्त करते थे। इसी से मनुष्यों का भीतरी बाहरी वृत्तियाँ अंकित करने में ही वे तत्पर रहे हैं और नाटकों की ओर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है। भारतदुर्देशा, नीलदेवी, बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम् आदि देखने से यह बात अच्छी तरह मन में बैठ जायगी।

ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन उनके यहाँ बैठकर एक वेश्या गा रही थी जिसे देखकर उन्होंने कविता बनाई और पास के लोगों से कहा “देखो, यदि हम इनका सत्सग न रखते तो ये भाव कहाँ से सूझें?” वे उद्दू-कविता के भी प्रेमी थे जिसमें बाह्य प्रकृति के सूहम

इन महाकवियों ने कथाप्रसंग के अतिरिक्त जहाँ वरान की रोचकता के लिए मनुष्य-व्यापार दिखाए हैं वहाँ उन्होंने ऐसे ही स्थलों के व्यापारों को दिखालाया है जहाँ मनुष्य से प्रकृति की सन्त्रिकटता है—जैसे ग्रामों के आस-पास किसानों का खेत जोतना या काटना, ग्रालों का गाय चराना, इत्यादि इत्यादि । जैसे मैत्रदूत में यज्ञ मेघ से कहता है—

(क) त्वय्यायत्तं कृपिफलमित भ्रूविकारानभित्रः

प्रीतिनिर्गर्जनपठवधृलोचनैः पीयमान् ।

यथस्सीरोत्कपण-मुरभि न्नेत्रमारुण्य मालं

किञ्चित्पश्चाद् वज लयुगति. किञ्चिदेवोत्तरेण ॥

(ग) कृपी निरावहि चतुरं किसाना ।

जिमि तुध तजहि मेह मद माना ॥

सच्चै कवि प्रत्यु आदि के वर्णन में ऐसे ही व्यापारों को सामने लाये हैं। ऐसे कवि ग्रीष्म में छाया के नीचे बैठकर हाँफते हुए कुत्तों और पानी में बैठी हुई भैसों का उल्लंख चाहे भले ही कर जायें, पर पसीने से नर रोकड़ मिलाते हुए मुनीवंजी की ओर ध्यान न देंगे।

मनुष्य के व्यापार, परिमित और सकुचित हैं। अतः वाह्य प्रकृति के अनन्त और असीम व्यापारों के सूक्ष्म र्थ सूक्ष्म अशों को सामने करके भावना या कल्पना को शुद्ध और विरत करना भी कवि का धर्म है, धीरे-धीरे लोग इस बात को भूल चले। इधर उच्च श्रेणी के भी जो कवि हुए उन्होंने अधिकतर मनुष्य की चित्तवृत्तियों के विविध रूपों को कौशल और मार्मिकता के साथ दिखाया पर वाह्य प्रकृति की स्वच्छन्द कीदा की ओर कम ध्यान दिया। पीछे से तो राजाश्रयलोल्प मङ्गते कवियों के कारण कविता केवल वाकपदुता या शब्दों का शतरज बन गई; विषयी लोगों के काम की चीज़ हो गई। भर्तृहरि के समय ही से यह दुरवस्था आरम्भ हो गई थी जिस पर उन्होंने दुःख के साथ कहा था—

पुरा विद्वत्तासौदुपशमवता क्लेशहतये,

गता कालेनासौ विषयसुख-सिद्धयै विषयिणाम् ॥

उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं आदि की भरमार इस बात के सूचित करतों हैं कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, हट-हट जाता था। कुछ अंश देखिए—

१. तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर वहु छाए।

भुके कूल से जल परसन हित मनहु सुहाए॥

किञ्चौं मुकुर में लखत उभकि सब निज-निज सोभा।

कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा॥

मनु आतप-वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत।

कै हरि-सेवा हित नै रहै, निरखि नैन मन सुख लहत॥

२. कहूँ तीर पर कमल शामित वहुत भाँतिन।

कहूँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पाँतिन॥

मनु दृग धारि अनेक जमुन निरखति ब्रज सोभा।

कै उमगे पिय-प्रिया-प्रेम के श्रगनित गोभा॥

कै करिकै कर वहु, पीय दो टेरत निज ढिग सोहई।

कै पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई॥

३. कै पिय पद-उपमान जानि यहि निज उर धारत।

कै मुख करि वहु भृङ्गन मिस अस्तुति उच्चारत॥

कै ब्रज तियगन-बदन-कमल की भलकति भाँई।

कै ब्रज हरिपद-परस हेतु कमला वहु आई॥

कै सात्त्विक अरु श्रनुराग दोउ ब्रजमण्डल बगरे फिरत।

कै जानि लच्छमी भौन यहि करि सतधा निज जल धरत॥

निरीक्षण की चाल ही नहीं और जिसमें कल्पना के सामने आनेवाले चित्रों (Imagery) के बीभत्स और विजौने होने की कुछ परवान कर भावों के उत्कर्ष ही का और ध्यान रखना जाता है। यदि ऐसा न होता तो “मरे हूँ पै आखैं ये खुली ही रहि जायँगी” ऐसे पद्म वे न लिखते। भावों का उत्कर्ष उन्हाँने अच्छा दिखलाया है। वन, नदी, पर्वत आदि के चित्रों द्वारा मनुष्य की कल्पना को स्वच्छ और स्वस्थ करने का भार उन्हाँने अपने ऊपर नहीं लिया था।

उनकी रचनाओं में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का अभाव वगवर पाया जाता है। वस्तु वर्णन में उन्हाँने मनुष्य की कृति ही की ओर अधिक रुचि दिखाई। जेसे “सत्यहरिश्चन्द्र” के गंगा के इस वर्णन में—

नव उज्जल जलघार हार धीरक सी सोहति
विच-विच छहरत बूँद मव्य मुना मनु पोहति ॥
लोल लदूर लहि पवन एक पै उक इमि आवत ।
जिभि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ।
कामी कहैं मिय जानि ललकि भेट्यो उठि धाढ़ ।
सपनेहृ नहि तजी रही अकम लपटाई ॥
कहूँ घेंधे नव वाट उच्च गिरिवर सम सोहत ।
कहुँ छत्ती, कहुँ मढी वढी मन जोहत जोहत ॥
धवल धाम चहुँ और, फरहरत खुजा पताका ।
घदरति धंटाधुनि, धमकत धौसा करि साका ॥
मधुरी नौवत वजति, कहूँ नारी नर गावत ।
बैद पठत कहूँ द्विज, कहूँ जोगी ध्यान लगावत ॥

काशी के लोगों के विलक्षण स्वभाव तथा ऊँची-ऊँची हवेलियों और तंग गलियों का वर्णन करने ही के लिए ‘काशी के छायाचित्र’ लिखा गया।

‘चन्द्रावली नाटिका’ में एक जगह यमुना के तट का वर्णन आया है। पर वह भी परम्परा भुक्त (Conventional) ही है। इसमें

मनुष्य-जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहे। गोस्वामीजी की रामभक्ति वह दिव्य वृत्ति है जिससे जीवन में शक्ति, परसता, प्रफुल्लता, पवित्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती है। आलम्बन नी महत्त्व-भावना से प्रेरित दैन्य के अतिरिक्त भक्ति के और जितने प्रयत्न हैं—भक्ति के कारण अन्तःकरण को जो और-और शुभ वृत्तियाँ प्राप्त होती हैं—सबकी अभिव्यजना गोस्वामीजी के ग्रन्थों के भीतर हम गा सकते हैं। राम में सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को—उसके किसी एक ही अश को नहीं—आकर्षित कर लेती है। कोरी साधुता का उपदेश पापड है, कोरी वीरता का उपदेश उद्दरण्डता है, कोरे ज्ञान का उपदेश आलात्य है, और कोरी चतुराई का उपदेश गूर्जा है।

सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए। वे उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोक-व्यापार के भीतर भगवान् की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करनेवाले हैं। इमारा प्राचीन भक्ति-भाग उपदेशकों की सृष्टि करनेवाला नहीं है। सदाचार और ब्रह्मज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। न भक्तों के राम और कृष्ण उपदेशक, न उनके अनन्य भक्त तुलसी और सूर ~ लोकव्यवहार में मग्न होकर जो मगल-ज्योति इन अवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माधुर्य का अनेक रूपों में साक्षात्कार करके मुरध होना और मुरध करना ही इन भक्तों का प्रधान व्यवसाय है। उनका शास्त्र भी मानव हृदय है और लक्ष्य भी। उपदेशों का ग्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है। न वे हृदय के ममे को ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसौटी पर ही स्थिर भाव से जमे रह सकते हैं। हृदय तो उनकी ओर मुड़ता ही नहीं और बुद्धि उनको लेकर अनेक दार्शनिक वादों के बीच जा चलमती है। उपदेश, वाद या तर्क गोस्वामीजी के अनुसार “वाक्यज्ञान” मात्र कराते हैं, जिससे जीव-कल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं होता—

तुलसी का भक्ति-मार्ग

भक्ति-रस का पूरण परिपाक जैसा तुलसीदासजी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलम्बन के महत्त्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अग्र है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द स्मृति निरुक्त हैं, जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यन्त पदित्र प्रफुल्लिता आती है। गोस्वामीजी के भक्ति ज्ञान में शील, शक्ति और सौन्दर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण भावात्मिका प्रकृति के परिप्तार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। वहाँ जिस प्रकार लोक-व्यवहार से अपने को अलग करके आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होनेवाले काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवहार में मन रहनेवाले अपने भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के भीतर ही आनन्द की वह ज्योति पा सकते हैं जिससे इस जीवन में दिव्य जीवन का आभास मिलने लगता है और मनुष्य के वे सब कर्म, वे सब वचन और वे सब भाव—क्या हवते हुए को बचाना, क्या अत्याचारी पर शब्द चलाना, क्या स्तुति करना, क्या निन्दा करना, क्या दया से आर्द्ध होना, क्या क्रोध से तमतमाना—जिनसे लोक का कल्याण होता आया है, भगवान् के लोक-पालन करनेवाले कर्म, वचन और भाव दिखाई पड़ते हैं।

यह प्राचीन भक्ति-मार्ग एकदेशीय आधार पर स्थित नहीं, यह एकाग्रदर्शी नहीं। यह हमारे हृदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि हम केवल ब्रत-उपवास करनेवालों और उपदेश करनेवालों ही पर अद्वा रखें और जो लोग संसार के पदार्थों का उचित उपभोग करके अपनी विशाल भुजाओं से रणक्षेत्र में अत्याचारियों का दमन करते हैं, या अपनी अन्तर्दृष्टि की साधना और शारीरिक अध्यव्यवसाय के बल से

✓ सुनि सीतापति सील सुभाउ ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥

इसी हृदय-पद्धति द्वारा ही मनुष्य मे शील और सदाचार का स्थायी संस्कार जम सकता है। दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं। अनन्त शक्ति और अनन्त सौन्दर्य के बीच से अनन्त शील की आभा फूटती देख जिसका मन मुग्ध न हुआ, जो भगवान् की लोकरजन मूर्ति के मधुर ध्यान में कभी लीन न हुआ, उसकी प्रकृति की कदुता बिल्कुल नहीं दूर हो सकती।

✓ सर, सुजान, सपूत, सुलच्छन, गनियत गुन गरुआई ।

विनु हरिभजन इंदारुन के फल, तजत नहीं करुआई ॥

✓ चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य ग्राह्य रूप के सम्मुख भव-विह्वल भक्त-हृदय के बीच जो-जो भाव-तरगे उठती है उन्हीं की माला विनय-पत्रिका है। महत्त्व के नाना रूप और इन भाव-तरंगों की स्थिति परस्पर विश्व-प्रतिविश्व समझती चाहिए। भक्त मे दैन्य, आशा, उत्साह, आत्मगतानि, अनुताप, आत्मनिवेदन आदि की गम्भीरता उस महत्त्व की अनुभूति की मात्रा के अनुसार समझिए। महत्त्व का जितना ही सान्निध्य प्राप्त होता जायगा—उसका जितना ही स्पष्ट साज्जात्मार होता जायगा—उतना ही अधिक स्फुट इन भावों का विकास होता जायगा, और इन पर भी महत्त्व की आभा चढ़ती जायगी। मानो ये भाव महत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं और महत्त्व इन भावों की ओर बढ़ता आता है। इस प्रकार लघुत्व का महत्त्व में लय हो जाता है।

सारांश यह कि भक्ति का मूल तत्त्व है महत्त्व की अनुभूति। इस

) अनुभूति के साथ ही दैन्य अथोत् अपने लघुत्व की भावना का उदय होता है। इस भावना को दो ही पंक्तियों में गोस्वामीजी ने बड़े ही सीधे-सादे ढंग से व्यक्त कर दिया है—

राम सो बडो है कौन, मोसो कौन छोटो ?

राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खेटो ?

✓ वाक्य-ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पर न पावै केर्दै ।

निसि यह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥

“वाक्य-ज्ञान” और बात है, अनुभूति और बात। इसी से प्राचीन परंपरा के भक्त लोग उपदेश, बाद या तर्क की अपेक्षा चरित्र-शब्दण और चरित्र-कीतेन आदि का ही अधिक नाम लिया करते हैं।

प्राचीन भागवत मम्प्रदाय के बीच भगवान् के उस लोक रंजन-कारी रूप की प्रतिष्ठा हुई जिसके अवलम्बन से मानव हृदय अपने पूर्ण भावसंघात के साथ कल्याण-मार्ग की ओर आप से आप आकर्षित हो सके। इसी लोक-रंजनकारी रूप का प्रत्यक्षीकरण प्राचीन परम्परा के भक्तों का लक्ष्य है, उपदेश देना नहीं। उसी मनोहर रूप की अनुभूति से गड़गढ़ और पुलकित होना, उसी रूप की एक एक छटा को औरों के मासने भी रखकर उन्हें मानव-जीवन के सौन्दर्य-साधन में प्रवृत्त करना, भक्तों का काम है।

गोस्त्रामीजी ने अनन्त सौन्दर्य का साक्षात्कार करके उसके भीतर ही अनन्त शक्ति और अनन्त शील की वह झलक दिखाई है जिसके प्रकाश में लोक का प्रमोद-पूर्ण परिचालन हो सकता है। सौन्दर्य, शक्ति और शील, तीनों में मनुष्यमात्र के लिए आकर्षण विद्यमान हैं। रूप-लावण्य के बीच प्रतिष्ठित होने से शक्ति और शील को और भी अधिक सौन्दर्य प्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूर्व मनोहरता आ जाती है। जिसे शक्ति-सौन्दर्य की यह झलक मिल गई उसके हृदय में सच्चे बीर होने का अभिलाप जीवन भर के लिए जग गया, जिसने शील-सौन्दर्य की यह झाँकी पाई उसके आचरण पर इसके मधुर प्रतिविम्ब की छाप बैठी। प्राचीन भक्ति के इस तत्त्व की ओर ध्यान न देकर जो लोग भगवान् की लोकमंगल-विभूति के द्रष्टा तुलसी को कवीर, दादू आदि की श्रेणी में रखकर देखते हैं वे वही भारी भूल करते हैं।

अनन्त-शक्ति-सौन्दर्य-समन्वित अनन्त शील की प्रतिष्ठा करके गोस्त्रामीजी को पूर्ण आशा होती है कि उसका आभास पाकर जो पूरी मनुष्यता को पहुँचा हुआ हृदय होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा—

इससे इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों और बुराइयों की ओर हष्टि ले जाने का साहस प्राप्त कर सकता है। दैन्य भक्तों का बड़ा भारी बल है।

परम महत्त्व के सान्निध्य से हृदय में उस महत्त्व से लीज होने के
लिए जो अनेक प्रकार के आनंदोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों के
भाव हैं। कभी भक्त अनन्त रूपराशि के अनुभव से प्रेम-पुलकित हो जाता है, कभी अनन्त शक्ति की मज्जक पाकर आश्चर्य और उत्साह से पूण् होता है, कभी अनन्त शील की भावना से अपने कर्मों पर पछताता है और कभी प्रभु के दया दाक्षिण्य को देख मन मे इस प्रकार ढाढ़स बाँधता है—

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियो भौतुवा मौर को है।

तुलसिदास सीतल नित एहि बल, बडे ठेकाने ठौर को है॥

दिन-रात स्वामी के पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवक की कुछ धड़क खुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु के सतत ध्यान से जो सान्निध्य की अनुभूति भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी-कभी मीठा उपालंभ भी देता है।

भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता। भक्ति के बदले मे उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, सौन्दर्य और शील के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने मे ही जीवन का परम फल मानता है।

गोस्वामीजी एक बार वृन्दावन गए थे। वहाँ किसी कृष्णोपासक ने उन्हें छेड़कर कहा—“आपके राम तो बारह ही कला के अवतार हैं। आप श्रीकृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो सोलह कला के अवतार हैं?” गोस्वामीजी बड़े भोलेपन के साथ बोले—“हमारे राम अवतार भी हैं, यह हमें आज मालूम हुआ।” राम भगवान् के अवतार हैं इससे उत्तम फल या उत्तम गति दे सकते हैं बुद्धि के इस निर्णय पर तुलसी राम से भक्ति करने लगे हो, यह बात नहीं है। राम तुलसी को अच्छे लगते हैं, उनके प्रेम का यदि कोई कारण है तो यही।

प्रभु के महत्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुत्व का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्व वर्णन करने में आनन्द आता है उसी प्रकार अपना लघुत्व-वर्णन करने में भी। प्रभु की अनन्त शक्ति के प्रकाश में उसकी असामर्थ्य का, उसकी दीन दशा का, बहुत ज्ञान चित्र दिखाई पड़ता है, और वह अपने ऐसा दीन-हीन संसार में किसी को नहीं देखता। प्रभु के अनन्त शील और पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही दोष और पाप ही पार दिखाई पड़ने लगते हैं। इस अवस्था को प्राप्त भक्त अपने दोषों, पापों और प्रृथियों को अत्यन्त अधिक परिमाण में देखता है और उनका जी खोलकर बणेन करने में बहुत कुछ मन्त्रोप लाभ करता है। दम्भ, अभिमान, छल, कपट आदि में से कोई उस समय धार्घक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की पूरी सूचना देने से जी का बोझ ही नहीं, सिर का बोझ भी कुछ हल्का हो जाता है। भक्त के सुधार का भार उसी पर न रहकर बैठ सा जाता है।

ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति, जिसमें अपने दोषों को भुक-भुककर देखने ही की नहीं, उठा-ढाका दिखाने की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी नहीं जिसे कोई कहे कि यह कौन बड़ी बात है। लोक की सामान्य प्रवृत्ति तो प्रायः इसके विपर्गत ही होती है, जिसे अपनी ही मानकर गोसाईं जी कहते हैं—

जानत हृ निज पाप जनधि जिय,
जल-नीकर सम सुनत लरौ।
रज सम पर-अवगुन सुमेरू करि,
गुन गिरि सम रज तें निदरौ॥

ऐसे वचनों के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि ये दैन्य भाव के उत्कर्ष की व्यजना करनेवाले उद्गार हैं। ऐतिहासिक खोज की धुन में इन्हे आत्म-वृत्ति समझ वैठना ठीक न होगा। इन शब्द-प्रवाहों में लोक की सामान्य प्रवृत्ति की व्यंजना हो जाती है।

‘मानस’ की धर्म-भूमि

धर्म की सात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कहीं कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्त्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास, अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमरहल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में और समष्टिरूप में, अखिल विश्व की शाश्वत स्थिति में सत् की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सत्त्वरूप की इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने ही विस्तृत क्षेत्र के बीच हम करते हैं भगवत्त्वरूप की ओर उतनी ही बढ़ी हुई भावना हमें प्राप्त होती है। कुल-विशेष के भीतर ही जो इस प्रवृत्ति का अनुभव करेंगे उनकी भावना कुल-नायक या कुलदेवता तक ही पहुँचेगी, किसी जाति या देश-विशेष के भीतर जो करेंगे उनकी भावना उस जाति या देश के नेता अथवा उपास्य देवता तक पहुँचकर रह जायगी। भक्त की भावना इतनी ही दूर जाकर सन्तुष्ट नहीं होती। वह अखिल विश्व के बीच सत् की इस प्रवृत्ति के साक्षात्कार की साधना करता है। उसके भीतर का ‘चित्’ जब बाहर ‘सत्’ का साक्षात्कार करता है तब ‘आनन्द’ का आविभाव होता है। इस साधना द्वारा वह भगवान् का सामीण्य लाभ करता चला जाता है। इसी से तुलसी को राम ‘अन्तरजामिहु ते बह बाहरजामी’ लगते हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सत्त्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति अर्थात् धर्म की ऊँची-नीची कई भूमियाँ लक्षित होती हैं—जैसे— गृहधर्म, कुलधर्म, समाजधर्म, लोकधर्म और विश्वधर्म या पूर्ण धर्म। किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म की

✓ जो जगदीस तौ अति भलो, जौ महीस तौ भाग ।

तुलसी चाहत जनम भरि, राम-चरन-अनुराग ॥

तुलसी को राम का लोकरंजन रूप वैसा ही प्रिय लगता है जैसा चातक को मेघ का लोक-सुखदायी रूप । राम प्रिय लगने लगे, गम की भक्ति प्राप्त हो गई, इसका पता कैसे लग सकता है? इसका लक्षण है मन का आपसे आप सुशीलता की ओर ढल पड़ना—

✓ तुम अपनायो, तब जनिहा जब मन किरि परिहै ।

इस प्रकार शील को राम-प्रेम का लक्षण ठहराकर गोस्तामीजी ने अपने व्यापक भक्तिक्षेत्र के अंतभूत कर लिया है।

भक्त यही चाहता है कि प्रभु के मौनदर्श, शक्ति आदि की अनन्तता की जो मधुर भावना है वह अधिग्रह है—उसमें किसी प्रकार की कमर न आने पाए। अपने ऐसे पापी की सुगति को वह प्रभु की शक्ति का एक घमत्तार ममकता है। अतः उसे यदि सुगति न प्राप्त हुई तो उसे इसका पछतावा न होगा, पछतावा होगा इस बात का कि प्रभु की अनन्त शक्ति की भावना बाधित हो गई—

~ नाहिं न नग क परत नो कहै उर वद्यपि रा अति हारो ।

यह बड़ि ब्रास दाख तुलसी कहै नामहु पाप न जारो ॥

प्रभु के सवेगत होने का ध्यान करते-करते भक्त अन्त में जाकर उस अवस्था का प्राप्त करता है जिसमें वह अपने साथ-साथ समस्त ससार का इस एक अपरिच्छिन्न सत्ता में लीन होता हुआ देखने लगता है, और दृश्य भेदों का ऊपर ऊपर उतना ज्ओर नहीं रह जाता तर्के या युक्ति ऐसी अवस्था की सूचना भर दे सकती है—“वाक्य ज्ञान” भर करा सकती है। सुसार में परोपकार और आत्मत्याग के जो उच्चल द्वप्रान्त कहीं-कहीं दिखाई पड़ा करते हैं, वे इसी अनुभूति-मार्ग में कुछ न कुछ अप्रसर होने के हैं। यह अनुभूति-मार्ग या भक्ति मार्ग बहुत दूर तक तो लोककल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है; पर और आगे चलकर यह निसरग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है।

विविध रूपों का प्रकाश उन्होंने देखा है। धर्म का प्रकाश अर्थात् ब्रह्म के सत्स्वरूप का प्रकाश इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् के बीच होता है। भगवान् की इस स्थिति-विधायिनी व्यक्त कला में हृदय न रमाकर, बाह्य जगत् के नाना कर्मजेत्रों के बीच धर्म की दिश्य दयोति के स्फुरण का दर्शन न करके जो आँख मूँदे अपने अन्तःकरण के किसी कोने में ही ईश्वर को छूँड़ा करते हैं उनके मार्ग से गोस्वामीजी का भक्तिमार्ग अलग है। उनका मार्ग ब्रह्म का सत्स्वरूप पकड़कर, धर्म की नाना भूमियों पर से होता हुआ जाता है। लोक में जब कभी भक्त धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान् उसकी दृष्टि से—खुली हुई आँखों के सामने से—ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अन्धकार फाड़कर धर्मज्योति फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान् का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित ही उठता है। मुख्यम् एव भूमियः भौत्ता तु अत्याधिकः
हमारे यहाँ धर्म से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कही गई है। अतः मोक्ष का—किसी ढग के मोक्ष का—मार्ग धर्ममार्ग से बिलकुल अलग-अलग नहीं जा सकता। धर्म का विकास इसी लोक के बीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। हमारे परस्पर व्यवहारों का प्रेरक हमारा रागात्मक या भावात्मक हृदय होता है। अतः हमारे जीवन की पूर्णता कर्म (धर्म), ज्ञान और भक्ति तीनों के समन्वय में है। साधना किसी प्रकार की हो, साधक की पूरी सत्ता के साथ होनी चाहिए—उसके किसी अंग को सवेचा छोड़कर नहीं। यह हो सकता है कि कोई ज्ञान को प्रधान रखकर धर्म और उपासना को अंग रूप में लेकर चले; कोई भक्ति को प्रधान रखकर ज्ञान और कर्म को अंगरूप में रखकर चले। तुलसीदासजी भक्ति-क्रो-प्रधान रखकर चलनेवाले-अर्थात्-भक्तिसमर्थी थे। उनकी भक्ति-भावना में यद्यपि तीनों का योग है, पर धर्म का योग पूर्ण परिमाण में है। धर्म-भावना का उनको भक्ति भावना से नित्य सम्बन्ध है।

अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाला धर्म उच्च कोटि का है। धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गृहधर्म या कुलधर्म से समाजधर्म श्रेष्ठ है, समाज-धर्म से लोकधर्म, लोकधर्म से विश्व धर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण धर्म अंगी है और शेष धर्म अंग। पूर्ण धर्म, जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व को स्थिति-रक्षा से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी अनुभूति के अनुरूप उनके आचरण का भी उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। गृहधर्म पर दृष्टि रखनेवाला किसी परिवार की रक्षा देखकर, वगोधर्म पर दृष्टि रखनेवाला किसी वर्ग या समाज की रक्षा देखकर और लोकधर्म पर दृष्टि रखनेवाला लोक या समस्त मनुष्य-जाति की रक्षा देखकर आनन्द का अनुभव करता है। पूर्ण या शुद्धधर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने और दूसरों के सामन लाया करते हैं, जिनकं भगवान् पूर्ण धर्मस्वरूप है। अतः वे कीट-पतङ्ग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्षा देखकर आनन्द प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द भी उच्च कोटि का होता है।

धर्म की जो ऊँची-नीची भूमियों ऊपर कही गई हैं, वे उसके स्वरूप के सम्बन्ध में; उसके पालन के स्वरूप के सम्बन्ध में नहीं। पालन का स्वरूप और बात है। उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आचरण अत्यन्त साधारण कोटि का हो सकता है; इसी प्रकार निम्न भूमि के धर्म का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। ग्रामीणों का गला काटनेवाले चौटयों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं; अकाल-पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चन्दा न देनेवाले अपने हूँकरे मित्रों को बचाने के लिए प्राण संकट में ढालते देखे जाते हैं।

यह हम कई जगह दिखा चुके हैं कि ब्रह्म के सत्त्वरूप की अभिव्यक्ति और प्रवृत्ति को लेकर गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति चली है। उनके राम पूर्ण धर्मस्वरूप हैं। राम के लीलाक्षेत्र के भीतर धर्म के

बीच क्या स्थान दिखाई पड़ता ? जो प्रिय का तिरस्कार और पीड़न देख क्षुध न हो, उसके प्रेम का पता कहाँ लगाया जायगा ? भरत धर्म-स्वरूप भगवान् रामचन्द्र के सच्चे प्रेमी और भक्त के रूप में हमारे सामने रखे गये हैं। अतः काव्यदृष्टि से भी यदि देखिए तो इस अमर्ब के द्वारा उनके राम-प्रेम की जो व्यज्ञना हुई है वह अपना एक विशेष लक्ष्य रखती है। महाकाव्य या खण्डकाव्य के भीतर जहाँ धर्म पर क्रूर और निष्ठुर आघात सामने आता है वहाँ श्रोता या पाठक का हृदय अन्यायी का उचित दण्ड—धिन्दण्ड के रूप में सही—देखने के लिए छटपटाता है। यदि कथा-वस्तु के भीतर उसे दण्ड देनेवाला पात्र निल जाता है तो पाठक या श्रोता की भावना तुष्ट हो जाती है। इसके लिए भरत से बढ़कर उपयुक्त और कौन शान्त हो सकता था ? जिन भरत के लिए ही कैकेयी ने सारा अनर्थ खड़ा किया वे ही जब उसे धिक्कारते हैं, तब कैकेयी को कितनी आत्मगलानि हुई होगी ! ऐसी आत्मगलानि उत्पन्न करने की ओर भी कवि का लक्ष्य था। इस दरजे की आत्म-गलानि और किसी युक्ति से उत्पन्न नहीं की जा सकती थी।

साराश यह कि यदि कहीं मूल या व्यापक लक्ष्यवाले धर्म की अवहेलना हो तो उसके मार्मिक और प्रभावशाली विरोध के लिए किसी परिमित क्षेत्र के धर्म या मर्यादा का उल्लंघन असंगत नहीं। काव्य में तो प्रायः ऐसी अवहेलना से उत्पन्न क्षोभ की अवाव व्यज्ञना के लिए मर्यादा का उल्लंघन आवश्यक हो—जाता है।

अब विभीषण को लीजिए, जिसे गृहनीति या कुलधर्म की स्थूल और संकुचित दृष्टि से लोग 'घर का भैदिया' या आत्रद्रोही कह सकते हैं। तुलसीदासजी ने उसे भगवद्गत्क के रूप में लिया है। उसे भक्तों की श्रेणी में दाखिल करते समय गोस्वामीजी की दृष्टि गृहनीति या कुलधर्म की संकुचित सीमा के भीतर बँधी न रहकर व्यापक लक्ष्यवाले धर्म की ओर थी। धर्म की उच्च और व्यापक भावना के अनुसार विभीषण को भक्त का स्वरूप प्रदान किया गया है। रावण लोकपीड़क है, उसके अत्याचार से तीनों लोक व्याकुल हैं, उसके

‘रामचरितमानस’ में धर्म की ऊँची विविध भूमियों की झाँकी हमें मिलती है। इस वैविध्य के कारण कहीं-कहीं कुछ शंकाएँ भी उठती हैं। उदाहरण के लिए भरत और विभीषण के चरित्रों को लीजिए।

जिस भरत के लोकपावन चरित्र की दिव्य दीपि से हमारा हृदय जगमगा उठता है, उन्हीं को अपनी माता को चुन-चुनकर कठोर वचन सुनाते देख कुछ लोग सन्देह में पड़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकधर्म या शिष्ट मर्यादा का इतना ध्यान रखते थे उन्हींने अपने सर्वोक्तुष्ट पात्र द्वारा उसका उल्लंघन कैसे कराया? धर्म की विविध भूमियों के सम्बन्ध में जो विचार हम ऊपर प्रकट कर आए हैं उन पर दृष्टि रखकर यदि समझा जाय तो इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आए हैं कि धर्म जितने ही अधिक विस्तृत जनसमूह के सुख-दुःख से सम्बन्ध रखनेवाला होगा उत्तरी ही उच्च श्रेणी का माना जायगा। धर्म के स्वरूप की उच्चता उसके लक्ष्य की व्यापकता के अनुसार समझी जाती है। जहाँ धर्म की पूर्ण, शुद्ध और व्यापक भावना का तिरस्कार दिखाड़ पड़ेगा वहाँ उक्तुष्ट पात्र के हृदय में भी रोष का आविर्भाव स्वाभाविक है। राम पूर्ण धर्मस्वरूप हैं, क्योंकि अखिल विश्व की स्थिति उन्हीं से है। धर्म का विरोध और राम का विरोध एक ही बात है। जिसे राम प्रिय नहीं उसे धर्म प्रिय नहीं, इसी से गोस्वामीजी कहते हैं—
जाके प्रिय न राम वैदेही।

सो नर तजिश कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥

इस राम-विरोध या धर्म-विरोध का व्यापक दुष्परिणाम भी आगे आता है। राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा शोकमग्न हो जाती है, दशरथ प्राणत्याग करते हैं। भरत कोई संसारत्यागी विरक्त नहीं थे कि धर्म का ऐसा तिरस्कार और उस तिरस्कार का ऐसा कटु परिणाम देखकर भी क्रोध न करते या साधुता के प्रदर्शन के लिए उसे पी जाते। यदि वे अपनी माता को, माता होने के कारण, कटु वचन तक न कहते तो उनके राम-प्रेम का उनकी मनोवृत्तियों के

काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था

तदेजति तन्नैजनि—ईशावास्तोषनिष्ठ

आत्मबोध और जगद्बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाईं खोदीं पर हृदय न कभी उमड़ी परवा न दी; भावना दोनों को एक ही मानकर चलां रहीं। इस हृश्य जगन् के बीच जिस आनन्द-मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा उसी के स्वरूप की नियत और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान् के स्वरूप की प्रतिटा हुई। लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किरणी ने 'रामराज्य' कहा, किरणी ने 'आसमान की वाहशाहत'। यद्यपि मृसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म-पुनर्जनक में आदम खुदा की प्रतिमृत्ति बनाया गया पर लोक के बीच नर से नारायण की दिव्य कला का सम्बद्ध दर्जन और उसके प्रति हृदय का प्रणो निवेदन भारतीय भक्तिमार्ग में ही दिखाई पड़ा।

मत्, चित् और आनन्द—क्लृप्त के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्तिमार्ग 'आनन्द' स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनन्द की अभिव्यक्ति की ही अवस्थाएँ पाई जायेगी—नाधनावस्था और सिद्धावस्था। अभिव्यक्ति के ज्येत्र में ब्रह्म के 'आनन्द' स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविभाव और तिरोभाव होता रहता है। इम जगत् में न तो नदा और सर्वत्र लहलहाता वस्त्व-विकास रहता है, न सुखसमृद्धि-पूरण हास-विलास। शिशिर के आतंक से सिमटी और माँके कंलकी बनस्यनी की खिन्तता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनन्द की अवस्था आभा धुँधलो-धुँधली फृटर्ता हुई अन्त में बमन्त की पूरण प्रकुलता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है; इसी प्रकार लोक की पीड़ा, वाया, अन्याय, अत्याचार के बीच दर्जी हुई आनन्द-व्योगि भीपण शक्ति में परिणत

आनुयायी राज्ञस आकारण लोगो को सताते हैं और ऋषियो-मुनियो का वध करते हैं। विभीषण इन सब वातों से अलग दिखाया गया है। वह रावण का भाड़ होकर भी लंका के एक कोने में साथु-जीवन व्यतीत करता है। उसके हृदय में अखिल लोकरक्षक भगवान् की भक्ति है।

सीताहरण होने पर रावण का अधम पराक्रांति को पहुँचा दिखाई देता है। हनुमान् चे भेंट होने पर उसे धर्मस्वरूप भगवान् के अवतार ही जानें का आभान मिलता है। उसकी उच्च धर्मभावना और भी जग पड़ती है। वह अपने बड़े भाड़ रावण को समझाता है। जब वह किसी प्रकार नहीं जानता, तब उसके मामने दो धर्मों के पालन का सवाल आता है—एक प्रीर गृहधर्म वा कुलधर्म के पालन का, दूसरी और उससे अधिक उच्च और व्यापक धर्म के पालन का। भक्ति की धर्मभावना अपने गृह या कुल के तंग घेरे के भीतर बद्ध नहीं रह सकती। वह समस्त विश्व के कल्याण का व्यापक लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होती है। अत. वह चट लोक-कल्याण-विधायक धर्म का अवलम्बन करता है और धर्मसूति भगवान् श्रीराम की शरण में जाता है।

स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति-काव्य से भिन्न को जो कला-काव्य (Poetry as an art) कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। सास्तव में कला की हृषि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है साधनावस्था या प्रयत्न-पञ्च को लेकर चलनेवाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोकगति को परिचालित करनेवाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहाँ तक नहीं; व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस को पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, न हो सकेगा। यदि 'कला' का वही अर्थ लेना है जो कामशास्त्र की चौसठ कलाओं में है—अर्थात् मनोरजन या उपभोग-मात्र का विधायक—तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य-समीक्षा में फरासीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से योरप से काव्य हृषि इधर कितनी सकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबन्ध में करेंगे।

आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पञ्च को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण हैं—रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपालवध, किराताजुनोय। हिन्दी में रामचरित-मानस, पदमावत (उत्तरार्द्ध), हस्मीर-रासो, पृथ्वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबन्धकाव्य; भूषण आदि कवियों के वीरसात्मक मुक्तक तथा आलहा आदि प्रचलित वीरगाथात्मक गीत। उदू के वोररसात्मक मरसिये। योरपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवोल्ट आफ इसलाम इत्यादि प्रबन्धकाव्य तथा पुराने बैलड (Ballads)।

आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पञ्च को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण हैं—आर्यासप्तशती, गाथा-सप्तशती, अमृशतक, गीत-गोविन्द तथा शृंगाररस के कुटकल पद्य। हिन्दी में सूरसागर, कृष्ण-भक्त कवियों की पदावली, बिहारी-सतसई, रीतिकाल के कवियों के कुटकल शृंगारी पद्य, रास-पंचाध्यायी ऐसे वर्णनात्मक काव्य तथा आज-

होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोकमंगल और लोकरंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है।

कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनन्द मंगल के सिद्ध या आविभूत स्वरूप को लेकर सुख सौन्दर्यमय माधुर्य, सुपसा, विभूति, उल्लास, प्रेमव्यापार इत्यादि उपभोग-पञ्च की ओर आकर्षित होते हैं उसी प्रकार आनन्द-मंगल की साधनावस्था या प्रयत्नपञ्च को लेकर पीड़ा, वाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी—उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, धृणा इत्यादि की गतिविधि में भी—पूरी रसगोयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देनाहर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका अन्धकार को हटाना देखकर भी। ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौन्दर्य का साजाकार करते हैं। साधनावस्था या प्रयत्नपञ्च को प्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपभोग-पञ्च की ओर नहीं जाता, जैसे, भृपण। इनी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनन्द के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोगपञ्च में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। उनका मन सदा सुख-सौन्दर्यमय माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम-क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य ही दी भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला-शैल के भीतर समझ पड़ती है।

उपर्युक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं—

(१) आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पञ्च को लेकर चलनेवाले।

(२) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पञ्च को लेकर चलनेवाले।

१) थेड्रन्टन (Theodore Walts-Dunton) ने जिसे शक्ति काव्य (Poetry as an energy) कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अन्तर्गत आ जाता है जिसमें लोक-प्रवृत्ति का परिचालित करनेवाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताश्रों के हृदय में भावों की

वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, 'अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धर्म है। अतः अधर्म-वृत्ति को हटाने में धर्म-वृत्ति की तत्परता—चाहे वह उप्र और प्रचण्ड हो, चाहे कोमल और मधुर—भगवान् की आनन्द-कला के विकास की ओर बढ़ती हुड़ गति है। यह गति यदि सफल हुई तो 'धर्म की जय' कहलाती है। इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता आती है। गति में सुन्दरता रहती ही है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही विषणु सौन्दर्य होता है। तात्पर्य यह कि यह गति आदि से अन्त तक सुन्दर होती है—अन्त चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। उपर्युक्त दोनों आष काव्यों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौन्दर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; धर्म की जय के बीच भगवान् की मूर्त्ति के साज्जात्कार पर मुरध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरासन्ध और कौरवों का दमन न हो सकता तो भी रामकृष्ण की गति-विधि में पूरा सौन्दर्य रहता, पर उनमें भगवान् की पूर्ण कला का दर्शन न होता क्योंकि भगवान् की शक्ति अमोघ है।

आनन्द-कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौन्दर्य का दर्शन करनेवाले अनेक कवि हुए हैं। अँगरेज कवि शेली ससार में फैले पाषण्ड, अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच सीधे मरल प्रेमभाव के सार्वभौम संसार का स्वप्न देखनेवाले कवि थे। उनके 'इसलाम का विप्लव' (The Revolt of Islam) नामक द्वादशसंग-बछु महाकाव्य में मनुष्य-जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका (Laon and Cythna) में मंगल शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार हुदान्त अत्याचार के पराभव

कल की अधिकांश छायाचादी कविताएँ। फारसी उद्दू के शर और नजलें। अँगरेजी की लीरिक कविताएँ (Lyrics) तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएँ।

आनन्द की साधनावस्था

लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनन्दकला जो शक्तिमय रूप धारण करती है उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कदुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आर्द्धता साथ लगी रहती है। विरुद्धो का यही सामंजस्य कमचेत्र का सौन्दर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए विना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट-पतलून-हैटवाले के धाराप्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पराइट-वेशधारी सज्जन के अँगरेजी की प्रगल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है उसकी तठ में भी सामंजस्य का यही सौन्दर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कदुता और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का सामंजस्य ही लोकधर्म का सौन्दर्य है।

आदि-कवि वाल्मीकि की बाणी इसी सौन्दर्य के उद्घाटन-महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौन्दर्य का यह उद्घाटन असौन्दर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मगल की यह व्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाइती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असौन्दर्य, अमगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है; रोष, हाहाकार और ध्वनि का हृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर-भीतर आनन्द-कला के विकास से ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख व्वलन्त रोष है तो उसके और सब और करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर धर्म स और हाहाकार है तो और सब और उसका सहगार्मा रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने 'जयकाव्य' में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौन्दर्य प्रत्यक्ष किया था।

न हुला-विषये तवाकृतिर्न वचो वर्त्मनि ते सुशीलता ।

त्वदुदाहरणाऽकृतौ गुणा इति सामुद्रिक-सार-मुद्रणा ।

भीतरी और बाहरी सौन्दर्य, रूप-सौन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य के मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद-निरूपण से बहुत पुरानी है और विलकुल छूट भी नहीं सकती । यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला को रहस्यमयी प्रेरणा है । १९ वीं शताब्दी के कवि शेली—जो राजशासन, धर्मशासन, समाज-शासन आदि सब प्रकार की शासन-व्यवस्था के घोर विरोधी थे—इस प्रेरणा से पीछा न छँड़ा सके । उन्होंने भी अपने प्रबन्ध-काव्यों में रूप-सौन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य का ऐसा ही मेल किया है । उनके नायक (या नायिका) जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य-जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करनेवाले, घोर से घोर कष्ट और यन्त्रणा से मुँह न मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयालु और धीर हैं उसी प्रकार रूप-माधुर्य-सम्पन्न भी ॥*

आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्भकण को और कुम्भकण की कुरुपता राम को न देते बनेगी । माइकेल

*Certain it is that with Shelly goodness is ever near to sensuous beauty and passes easily into passion. Hence his choice of heroic type rather than simple ones, of Laon and Cythna and Prometheus rather than Michael, Mathew, etc. Laon and Cythna possess youth strength and beauty no less than courage and the instinct for self-sacrifice and their passion for freedom. A further admirable instance of this harmony of goodness and beauty is seen in the description of Lady Beneficent who tended the garden of 'The Sensitive Plant'.

—‘Studies in Shelley’ by A. T. Strong.

के मनोरम आभास से अनुरंजित करके अन्त में उस शक्ति की विफलता की विपादमयी ज्ञाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया है।

जैसा ऊपर कह आए हैं, मंगल-शक्ति के द्वन्द्व में कवि लोग अन्त में मंगल-शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्षावाद (Didacticism) या अस्वाभाविकता की गन्ध समझकर नाक-भौं। मिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा अर्थात् जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जायेंगे। पर सच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते। डस जगत् में अधर्म प्रायः दुर्दमनीय शक्ति प्राप्त करता है जिसके सामने धर्म की शक्ति बार-बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कवि जहाँ मंगलशक्ति की सफलता दिखाता है वहाँ कला की दृष्टि से सौन्दर्य का प्रभाव डालने के लिए धर्म-शासक को हैमियत से ढराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कवि कर्म-सौन्दर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अन्तःप्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता।

कवि सौन्दर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के 'नौन्दर्यों' का जो मेल आप से आप हो जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में वरावर देखा जाता है। मंगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं वैसा ही उनका स्वप्न-माधुर्य और उनका शील भी लोकोच्चार है। लोक हृदय आकृति और गुण, सौन्दर्य और सुशीलता, एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी से 'यत्राकृतिसत्त्व गुणा वसन्ति' सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के स्वप्न में चल पड़ी। 'नैपथ्य' में न ल हस से कहते हैं—

काव्य में लोक-मङ्गल की साधनावस्था

असहाय जनता को निरन्तर पीड़ा पहुँचाते चले, जातवाल 'कूर आतनायियों को उपदेश देने, उनसे दया को भिजा' माँगते और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा-शुश्रेष्ठा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती, कर्मक्षेत्र का एकमात्र सौन्दर्य नहीं कहा जा सकता।

मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और बाम दो पक्ष हैं वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण, दो पक्ष हैं और वरावर रहेंगे। काव्य-कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मगल या सौन्दर्य के विकास में दिखाई पड़ती है।

भिन्नों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव-मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में (Conscious) रहता है और कुछ अन्तस्सज्ञा के क्षेत्र (Subconscious region) में छिपा रहता है। सचारी भावों के संचरण-काल में कभी-कभी उनके स्थायी भाव कारण-रूप में अन्तस्सज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रतिभाव में सचारी होकर आई हुई असूया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई होती है उस क्षण में आश्रय को ही रतिभाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की ही तीक्ष्ण प्रतीति रहती है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अन्तर्देशाएँ उसके सचारी के रूप में आती हैं उसी प्रकार किसी प्रबन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूलप्रेरक भाव या बीजभाव रहता है जिसकी प्रेरणा से घटना-चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है। इस बीजभाव को साहित्य-ग्रन्थों में निरूपित स्थायीभाव और अगीभाव दोनों से भिन्न समझा चाहिए।

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर—कठोर और तीक्ष्ण—दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीजभाव की प्रकृति

मधुसूदन दत्त जे मेघनाद को अपने काव्य का सूप-गुण-सम्पन्न नायक बनाया पर लक्षण को वे कुसूप न कर सके। उन्होंने जो उलट-फेर किया वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं; बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नड़ शिक्षा के पहले पहल प्रचलित होने पर प्रायः सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बङ्गभाषा के एक दूसरे कवि नवीनचन्द्र ने अपने 'कुसूचन्त्र' नायक काव्य में कुप्णे का आदर्श ही बढ़ाव दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार में पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हए एक क्षत्रिय महात्मा के सूप में अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुड़ किसी खास दबा की मांक में प्राचीन प्राये काव्यों के पूर्ण तथा निर्दिष्ट स्वरूपवाले आदर्श पात्रों को एकदम फोर नया मनमाना रूप देना भारती के पवित्र मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ सचाना है।

शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को वरावर लेते प्राए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्धावना का, अपनी नड़ कल्पित बातों का, वरावर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर-प्रतिष्ठित आदर्शों के मंल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति-विशेष को लेकर जो भावनाएँ उठती हैं उनके आश्रय के लिए जब कि नये आख्यानों और नये पात्रों की उद्धावना स्वच्छन्दतापूर्वक की जा सकती है तब पुराने आदर्शों को विकृत या खड़ित करने की क्या आवश्यकता है?

कम-सौन्दर्य के जिस स्वरूप पर मुन्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विद्यान कवि-परम्परा वरावर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कम-सौन्दर्य के एक दूसरे पक्ष में ही—केवल प्रेम और आत्मभाव के प्रदर्शन और आचरण में ही—काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया कौशल दाल्सटाय के समय से चला है वह एकदेशीय है। दोन और

अन्तसंज्ञा में स्थित करुणा यदि इस ढब की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवर्त्तित तीक्ष्ण या उप्रभावों का सौन्दर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अप्रसर हो रहा है और दूसरा किसी बड़े भारी जन-समूह की तौर पर गति में बाधा डालनेवालों के प्रति दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौन्दर्य के परिमाण में बहुत अन्तर होगा।

भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करनेवाले दो भाव ठहरते हैं—करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रयत्नपत्र को लेकर चलनेवाले काव्यों का बीजभाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलनेवाल महाकवि भवभूति ने 'करुणा' का ही एक-मात्र रस कह दिया। रामायण का बीजभाव करुणा है जिसका संकेत क्रौंच को मारनेवाले निषाद क प्रति वाल्मीकि के मुह से निकले बचन द्वारा आरम्भ ही में मिलता है। उसके उपरान्त भी बालकाण्ड के १५वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण-द्वारा पीड़ित लोक की दारण दशा का निवेदन किया है। उक्त आदि-काव्य के भीतर लोक-मङ्गल की शक्ति के उदय का आभास ताङ्का और मारीच के दमन के प्रसग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति ज्ञोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता-हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दास्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी याग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्म-गौरव और दास्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीच से प्रकट होकर उस विराट् मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हा जाती है। यदि राक्षसराज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दास्पत्य प्रेम होता तो राम के 'कालाभ्य-सदृश क्रोध'

म गल-विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता और निविशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुन्दर होते हैं। ऐसे वीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है अर्थात् पाठक या श्रोता भी उसरूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में वाधा डालनेवाले पात्रों के उपर या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता; चाहे उनकी व्यंजना में उस की निष्पत्ति करनेवाले तीनों अवयव वक्तेमान हों। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या वृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या वृणा की अनुभूति में चोग देगा। इस क्रोध या वृणा में भी काव्य का पूरण सौन्दर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या वृणा की व्यंजना करेगा तो उस के तीनों अवयवों के कारण “शास्त्र-स्थिति-सम्पादन”^१ चाहे हो जाय पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के मात्र का तादात्म्य कभी न होगा, पाठक केवल चरित्र-इष्टा मात्र रहेगा; उसका कवल मनारंजन होगा, भाव में लीन करनेवाली प्रथम कोटि की उसानुभूति उसको न होगी।

ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ वीजभाव की प्ररणा से प्रवत्तित तीक्ष्ण और उपर भावों की सुन्दरता की मात्रा उस वीजभाव की निविशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे, यदि कहुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलम्बित होगी—कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुम्बी मित्र आदि है—तो उस कहुणा के द्वारा प्रवत्तित तीक्ष्ण या उपर भावों में उतनी सुन्दरता न होगी। पर वीजरूप में

^१ रसव्यक्तिमपेच्येषामङ्गानां सञ्चिवेशनम् ।

न तु केवलया शास्त्र-स्थिति-सम्पादनेच्छ्या ॥

—साहित्यदर्पण ।

केवल पीढ़ितों की सेवा-शुभ्रषा की दौड़धूप, आततायियों पर प्रभाव डालने के लिए साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट-सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौन्दर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे 'आध्यात्मिक शक्ति' कहते हैं। पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति—मनुष्य की अन्तःप्रकृति की सात्त्विक विभूति—मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस 'आध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। 'आध्यात्म' शब्द की, मेरी समझ में, काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई जाहरत नहीं है।

पूर्ण प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्त्वगुण की सत्त्वा आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में—दूसरे भावों की तह में अर्थात् अन्तस्मंज्ञा में स्थित अव्यक्त बीजरूप में भी और प्रकाशरूप में भी। हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगलविधान की ओर प्रवृत्त करनेवाले दो भाव हैं—करुणा और प्रेम। यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचण्ड और उप्रवृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीजरूप में स्थित होगा तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौन्दर्य का प्रकाश होगा। उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्त्वगुणप्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्त्वगुण सबके ऊपर है। यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमायिक सत्ता के पास तक—व्यक्ति और अव्यक्ति की सन्धि तक—जा पहुँचती है। इसी से शायद वल्लभाचार्यजी ने सच्चिदानन्द के सत् स्वरूप का प्रकाश करनेवाली शक्ति को 'सन्धिनी' कहा है। व्यवंहार में भी 'सत्' शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं—'जो वास्तव में हो' तथा 'अच्छा या शुभ'।

जब कि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत् में आदि से अन्त तक सत्त्व, रजस् और तमस् त्रीनो गुण रहेंगे तब समष्टिरूप में लोक के बीच मगल का विधान करनेवाली ब्रह्म की आनन्द-कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्त्वगुण के अधीन होकर उसके इशारे पर काम करें।

में काव्य का वह लोकोत्तर सौन्दर्य न होता। लोक के प्रति कस्तु जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विन्न-वाधा से मुक्त हो जाता है तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम-प्रवर्त्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विवान का, अवकाश मिलता है।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उत्तर्पत्ति केवल प्रेमभाव की कोमल वृत्तजना में ही नहीं माना जा सकता जैसा कि टाल्सटाय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं। कोध आदि उप और प्रचण्ड भावों के विद्यान में भी, यदि उनकी तह में कस्तु-भाव अवश्यक रूप में स्थित हो, पूर्ण सौन्दर्य का साक्षात्कार होता है—स्वतन्त्रता के उन्मत्त उपासन, घोर परिवर्त्तनवादी शैली के महानान्य The Revolt of Islam के नायक-नायिका अत्याचारिन्द्रों के पास जाकर उपदेश देनेवाले, गिर्गिडानेवाले, अपनी नाधुता, सहनशीलता और शान्त वृत्ति वा चमत्कारपूरण प्रदर्शन करनेवाल नहीं हैं। वे उत्साह की उमग में प्रचण्ड वेग से युद्धक्षेत्र में बढ़नेवाले; पापण्ड, लोकपीड़ा और अत्याचार देख पुर्णात् क्रोध क सात्त्वक तेज से तमतमानेवाले, भय या स्वाथेवश आततायियों की सेवा स्वीकार करनेवालों के प्रति उपेक्षा प्रश्ट करनेवाले हैं। शैली ने भी काव्यरूपों का मूलतत्त्व प्रेमभाव ही माना था पर अपने को सुख-सौन्दर्य मय माधुर्यभाव तरह ही बद्ध न रखकर प्रवन्धक्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेकरूपता का विन्यास किया था। स्थिर (Static) सौन्दर्य और गत्यात्मक (Dynamic) सौन्दर्य, उपभोग-पक्ष और प्रयत्न-पक्ष, दोनों उनमें पाए जाते हैं।

टाल्सटाय के मनुष्य-मनुष्य में भ्रातृ-प्रेम-संचार को ही एकमात्र काव्यतत्त्व कहने का बहुत कुछ कारण साम्प्रदायिक था। इसी प्रकार कलावादियों का केवल कामल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मूल्य की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए। टाल्सटाय के अनुयायी प्रयत्न-पक्ष को लेते अवश्य हैं पर

साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद

किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्भीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोदूरोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय को पहुँचन हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है।

किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी कुरुप और दुःशोल खी पर (प्रेरणा) हो सकता है, पर उस खी के वरणेन द्वारा शृंगार रस का आलम्बन नहीं खड़ा हो सकता। अतः ऐसा काव्य केवल भाव-प्रदर्शक ही होगा, विभाव-विधायक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार रौद्र रस के वरणेन में जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह 'मनुष्य-मात्र' के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह 'वरणेन' भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पक्ष याँ तो 'शून्य' अर्थात् अशक्त होंगा। पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और संज्ञी रसानुभूति हो नहीं सकती। केवल भाव-प्रदर्शक काव्यों में भी होता

इस दशा में किसी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टिरूप में और सब और वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे। सत्त्वगुण के इस शासन में कठोरता, उप्रता, और प्रचण्डता भी सात्त्विक तंज के रूप में भासित होगी। इसी से अवतार-रूप में हमारे यहाँ भगवान् को मूर्ति एक और तो 'वज्रादपि कठोर' और दूसरी ओर 'कुसुमादपि मृदु' रखी गई हैं—

कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि।

— —

कल्पना में उपस्थित भर कर देगी। कल्पना में जो कुछ उपस्थित होगा वह व्यक्ति या वस्तु-विशेष-ही होगा। सामान्य या 'जाति' की तो मूर्त्ति भावना हो ही नहीं सकती ॥

अब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन व्यापार में जो 'साधारणीकरण' कहा गया है उसके विरुद्ध तो यह सिद्धान्त नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई विरोध नहीं पड़ता। विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते हैं, इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि रसानुमूर्ति के समय श्रोता या पाठक के मन में आलम्बन आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की मूर्त्ति भावना के रूप में न आकर सामान्यत. व्यक्ति मात्र या वस्तु मात्र (जाति) के अर्थ सकेत क रूप में आते हैं। 'साधारणीकरण' का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है

* साहित्य-शास्त्र में नैयायिकों की बातें ज्यों की त्यों ले लेने से काव्य के स्वरूप-निर्णय में जो बाधा पड़ी है उसका एक उदाहरण 'शक्तिग्रह' का प्रसंग है। उसके अन्तर्गत कहा गया है कि संकेतग्रह 'व्यक्ति' का नहीं होता है, 'जाति' का होता है। तर्क में भाषा के संकेत पक्ष (Symbolic aspect) से ही काम चलता है जिसमें अर्थग्रहण-मात्र पर्याप्त होता है। अतः न्याय में तो जाति का संकेतग्रह कहना ठीक है। पर काव्य में भाषा के प्रत्यक्षीकरणपक्ष (Presentative aspect) से काम लिया जाता है जिसमें शब्द-द्वारा सूचित वस्तु का विम्ब-ग्रहण होता है—अर्थात् उसकी मूर्त्ति कल्पना में खड़ी हो जाती है। काव्य-मीमांसा के क्षेत्र में न्याय का यह हाथ बढ़ाना डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण को भी खटका है। उन्होंने कहा है—
It is, however, to be regretted that during the last 500 years the Nyaya has been mixed up with Law, Rhetoric, etc., and thereby has hampered the growth of those branches of knowledge upon which it has grown up as a sort of parasite—*Introduction (The Nyaya Sutras)*.

यह है कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी भावना के अनुसार आलम्बन का आरोप किए रहता है।

काव्य का विषय सदा 'विशेष' होता है, 'सामान्य' नहीं; वह 'व्यक्ति' सामने लाता है, 'जाति' नहीं। यह बात आधुनिक कला-समीक्षा के क्षेत्र में पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। अनेक व्यक्तियों के रूप-गुण आदि के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत-सी बातों को लेकर कोई सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करना, यह सब तर्क और विज्ञान का काम है—निश्चयात्मिका द्वुद्धि का व्यवसाय है। काव्य का काम है कल्पना में 'विम्ब' (Images) या मूर्त्ति भावना उपस्थित करना; द्वुद्धि के सामने कोई विचार (Concept) लाना नहीं। 'विम्ब' जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं ॥

इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं होती। कविता वस्तुओं और व्यापारों का विम्ब-प्रहण कराने का प्रयत्न करती है; अर्थप्रहण मात्र से उसका काम नहीं चलता। विम्ब-प्रहण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। जैसे, यदि कहा जाय कि 'क्रोध में मनुष्य चाचला हो जाता है', तो यह काव्य की उक्ति न होगी। काव्य की उक्ति तो किसी कुद्दम मनुष्य के द्वयवचनों और उन्मत्त चेष्टाओं को

कृ अभिव्यंजना-वाद (Expressionism) के प्रवर्तक क्रीसे (Benedetto Croce) ने कला के बोध-पक्ष और तर्क के बोध-पक्ष को इस प्रकार अलग-अलग दिखाया है—(क) Intuitive knowledge, knowledge, obtained through the imagination, knowledge of the individual or individual things, (ख) Logical knowledge, knowledge obtained through the intellect, knowledge of the universal knowledge of the relations between individual things.

—'Aesthetic' by Benedetto Croce.

अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलम्बन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति के किसी भाव की व्यंजना करता है और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रसरूप में अनुभव करता है । पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ के साहित्य-ग्रन्थों में विवेचन नहीं हुआ है । उसका भी विचार करना चाहिए । किसी भाव की व्यंजना करनेवाला, कोई किया या व्यापार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या दर्शक) के किसी भाव का—जैसे श्रद्धा, भक्ति, धृणा, रोष, आश्चर्य, कुतूहल या अनुराग का—आलम्बन होता है । इस दशा में श्रोता या दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है—अर्थात् श्रोता या दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यंजना पात्र अपने आलम्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यंजना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी और ही भाव का अनुभव करता है । यह दशा भी एक प्रकार की रस-दशा ही है—यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य और उसके आलम्बन का साधारणीकरण नहीं रहता । जैसे, कोई क्रोधी या क्रूर प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर क्रोध की प्रबल व्यंजना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, धृणा आदि का भाव जगेगा । ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्टा या प्रकृति-द्रष्टा के रूप में प्रभाव प्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा । पर इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे ।

जहाँ पाठक या दर्शक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है वहाँ भी पाठक या दर्शक के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता है; अन्तर इतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक या दर्शक का आलम्बन नहीं होता, बल्कि, वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलम्बन रहता है । इस दशा में भी एक प्रकार का

वह जैसे काव्य में वर्णित 'आश्रय' के भाव का आलम्बन होती है वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाती है। जिस व्यक्ति-विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति-विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्मवाली कोई मूर्त्ति-विशेष आ जाती है। जैसे, यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरी से प्रेम है तो शृंगार रस की फुटकल उक्खियाँ सुनने के समय रह रहकर आलम्बन-रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्त्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। यदि किसी से प्रेम न हुआ तो सुन्दरी की कोई कल्पित मूर्त्ति उसके मन में आएगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्त्ति भी विशेष ही होगी—व्यक्ति की ही होगी।

कल्पना में मूर्त्ति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्त्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव के पाठक या श्रोता के मन में भी जागा जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साज्जात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तात्पर्य यह कि आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण, सबके भावों का आलम्बन हो जाता है। 'विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं—' इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलम्बन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक-का-सामान्य—हृदय हो जाता है। उसका अपना अलग हृदय नहीं रहता।—

'साधारणीकरण' के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव व्यंजना करनेवाला पात्र) के तादात्म्य की

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील-विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आश्रय के साथ तादात्म्य-दशा की अनुभूति (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) दो भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ हैं। प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी पृथक् सत्ता अलग संभाले रहता है; द्वितीय में अपनी पृथक् सत्ता का कुछ क्षणों के लिए विसर्जन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है। उदात्त वृत्तिवाले आश्रय की भाव-व्यञ्जना में भी यह होगा कि जिस समय तक पाठक या श्रोता तादात्म्य की दशा में पूर्ण रसमग्न रहेगा उस समय तक भाव-व्यञ्जना करनेवाले आश्रय को अपने से अलग रखकर उसके शील आदि की ओर दत्तचित्त न रहेगा। उस दशा के आगे-पीछे ही वह उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अलग कर उसके शील-सौन्दर्य की भावना कर सकेगा। भाव-व्यञ्जना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना जिस समय रहेगी उस समय वही श्रोता या पाठक का आलंबन रहेगा और उसके प्रति अद्वा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी।

हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रस की प्रधानता रखी है, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है। पर योरप के दृश्य काव्यों में शील-वैचित्रिय या अन्तःप्रकृति-वैचित्रिय की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है जिसके साक्षात्कार से दर्शक को आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वैचित्रिय पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वैचित्रिय के साक्षात्कार से केवल तीन बातें हो सकती हैं—(१) आश्चर्यपूर्ण प्रसादन, (२) आश्चर्यपूरण अवसादन, या (३) कुतूहल मात्र।

आश्चर्यपूर्ण प्रसादन शील के चरम उत्कर्ष अर्थात् सात्त्विक आलोक के साक्षात्कार से होता है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप में बैठना, राजा हरिश्चन्द्र का अपनी रानी से आधा कफन माँगना, नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरुड़ से अपना मांस खाने

तादात्म्य और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। वह उसके किसी भाव का आलम्बन अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलम्बन प्रायः हो जाता है। जहाँ कवि किसी वस्तु (जैसे—हिमालय, विद्याटकी) या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है वहाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव के साथ पाठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है; उसी का आलम्बन पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है।

आश्रय की जिस भाव-व्यञ्जना को श्रोता या पाठक या हृदय कुछ भी अपना न सकेगा उसका प्रहण केवल शील-चैचित्र्य के रूप में होगा और उसके द्वारा घृणा, विरक्ति, अश्रद्धा, क्रोध, आश्चर्य, कुतूहल इत्यादि में से ही कोई भाव उत्पन्न होकर अपरितुष्ट दशा में रह जायगा। उस भाव की तुष्टि तभी होगी जब कोई दूसरा पात्र आकर उसकी व्यञ्जना वाणी और चेष्टा द्वारा उस वेमेल या अनुपयुक्त भाव की व्यञ्जना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा। इस दूसरे पात्र की भाव-व्यञ्जना के साथ श्रोता या दर्शक की पूर्ण सहानुभूति होगी। अपरितुष्ट भाव की आकुलता का अनुभव प्रबन्ध-काव्यों, नाटकों और उपन्यासों के प्रत्येक पाठक को थोड़ा-बहुत होगा। जब कोई असामान्य दुष्ट अपनी मनोवृत्ति की व्यञ्जना किसी स्थल पर करता है तब पाठक के मन में वार-बार यही आता है कि उस दुष्ट के प्रति उसके मन में जो घृणा या क्रोध है उसकी भरपूर व्यञ्जना वचन या क्रिया द्वारा कोई पात्र आकर करता। क्रोधी परशुराम वथा अत्याचारी रावण की कठोर बातों का जो उत्तर लक्षण और अङ्गद देते हैं उससे कथा-श्रोताओं की अपूर्व 'तुष्टि होती है।

की उक्तियों की कल्पना अपने ही को उनकी परिस्थिति में अनुमान करके किया करते हैं। वे वास्तव में यह अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी दशा में होते तो कैसे वचन सुँह से निकालते। तात्पर्य यह कि उनकी दृष्टि सापेह होती है; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र-चित्रण करते हैं। पर निरपेक्ष दृष्टिवाले नाटककार एक नवीन नर-प्रकृति की सृष्टि करते हैं। नूतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं की होती है।

डटन ने निरपेक्ष दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया, पर उन्हे संसार भर में दो ही तीन कवि उक्त दृष्टि से सम्पन्न भिले जिनमें मुख्य शेक्सपियर है। पर शेक्सपियर के नाटकों में कुछ विचित्र अन्त-प्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं जिनकी भाव-न्यजना के साथ पाठक या दर्शक का पूरा तादात्म्य रहता है। ‘जूलियस सीजर’ नाटक में अंटोनियो के लम्बे भाषण से जो ज्ञोभ उमड़ा पड़ता है उसमें किसका हृदय योग न देगा? डटन के अनुसार शेक्सपियर की दृष्टि की निरपेक्षता के उदाहरणों में हैमलेट का चरित्र-चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो हैमलेट की मनोवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति है जो अपनी माता का घोर विश्वासघात और जघन्य शीलच्युति देख अद्वैतिक-सा हो गया है। परिस्थिति के साथ उसके वचनों का असामंजस्य उसकी वृद्धि की अव्यवस्था का द्योतक है। अतः उसका चरित्र भी एक वगे विशेष के चरित्र के भीतर आ जाता है। उसके बहुत से भाषणों को प्रत्येक सहृदय व्यक्ति अपनाता है। उदाहरण के लिए आत्मग्लानि और ज्ञोभ से भरे हुए वे वचन जिनके द्वारा वह स्त्री-जाति की भत्सेना करता है। अतः हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मन-वहलाक के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। पर डटन साइब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सबसे उच्चवल उदाहरण होगा।

‘नूतन सृष्टि-निर्माण वाली कल्पना’ की चर्चा जिस प्रकार योरप में चलती आ रही है उसी प्रकार भारतवर्ष में भी। पर हमारे यहाँ यह

के लिए अनुरोध करना इत्यादि शीलवैचित्रय के ऐसे हृश्य हैं जिनसे श्रोता या दर्शक के हृदय में आश्चर्य-मिथित श्रद्धा या भक्ति का संचार होता है। इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले पात्रों की भाव-व्यजना को अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है। ऐसे पात्रों का शील विचित्र होने पर भी भाव-व्यजना के समय उनके साथ पाठक या श्रोता का तादात्म्य हो सकता है।

आश्चर्यपूरण अवसादन शील के अत्यन्त पतन अर्थात् तामसी घोरता के साक्षात्कार से होता है। यदि किसी काव्य या नाटक में हूण-समाट-मिहिरगुल पहाड़ की चोटी पर से गिराए जाते हुए मनुष्य के तड़फने, चिछाने आदि की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं पर भिन्न-भिन्न ढग से अपने आहाद की व्यंजना करे तो उसके आहाद में किसी श्रोता या दर्शक का हृश्य योग न देगा, बल्कि उसकी मनोवृत्ति की विलक्षणता और घोरता पर स्तम्भित, क्षुध या कुपित होगा। इसी प्रकार दुःशीलता की और-और विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चर्य-मिथित विरक्ति, घृणा आदि जगेगी।

जिन सात्त्विकी और तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख ऊर हुआ है, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चर्यजनक विभिन्नता केवल उनकी मात्रा में होती हैं। वे किसी वर्ग-विशेष की सामान्य प्रकृति के भीतर समझी जा सकती हैं। जैसे, भरत आदि की प्रकृति शीलवानों की प्रकृति के भीतर और मिहिरगुल की प्रकृति कूरों की प्रकृति के भीतर मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के अनुसार ऐसी अद्वितीय प्रकृति भी होती है जो किसी वर्ग-विशेष की भी प्रकृति के भीतर नहीं होती। ऐसी प्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट प्रसादन होगा, न स्पष्ट अवसादन—एक प्रकार का मनोरञ्जन या कुतूहल ही होगा। ऐसी अद्वितीय प्रकृति के चित्रण को डंटन (Theodore Watts Dunton) ने कवि की नाटकीय या निरपेक्ष दृष्टि (Dramatic or Absolute-vision) का सूचक और काव्य-कला का चरम उत्कर्ष कहा है। उनका कहना है कि साधारणतः कवि या नाटककार भिन्न-भिन्न पात्रों

एक ही नहीं है—किसी जन-समूह के बीच पूर्ण सभ्य काल है, किसी के बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक। इसी प्रकार उन्हें इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि लोक भिन्न भिन्न व्यक्तियों से बना होता है जो भिन्न-भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के होते हैं। ‘पुनरुत्थान-काल’ से धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, प्राचीनों की भूल प्रकट होती गई। अन्त में इशारे पर आँख मूँदकर दौड़नेवाले बड़े बड़े परिणामों ने पुनरुत्थान की कालधारा को मथकर ‘व्यक्तिवाद’ रूपी नया रत्न निकाला। फिर क्या था? ‘शिक्षित-समाज’ में व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने-दिखाने की चाह बढ़ने लगी।

काव्यक्षेत्र में किसी ‘वाद’ का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को ही चर जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर ‘वाद’ लिखने लगते हैं। कला या काव्य के क्षेत्र में ‘लोक’ और ‘व्यक्ति’ की उपर्युक्त धारणा कहाँ तक स गत है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। लोक के बीच जहाँ बहुत सी भिन्नताएँ देखने में आती हैं वहाँ कुछ अभिन्नता भी पाई जाती है। एक मनुष्य की आकृति से दूसरे मनुष्य की आकृति नहीं मिलती, पर सब मनुष्यों की आकृतियों को एक साथ ले तो एक ऐसी सामान्य आकृति-भावना भी बँधती है जिसके कारण हम सबको मनुष्य कहते हैं। इसी प्रकार सबकी रुचि और प्रकृति में भिन्नता होने पर भी कुछ ऐसी अन्तर्भूमियाँ हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलती है। ये अन्तर्भूमियाँ नर समाज की रागात्मिका प्रकृति के भीतर हैं। लोक-हृदय की यही सामान्य अन्तर्भूमि परखकर हमारे यहाँ ‘साधारणीकरण’ सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। वह सामान्य अन्तर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। काव्य-रचना की रुद्धि या परम्परा, सभ्यता के न्यूनाधिक विकास, जीवन-व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग इत्यादि पर यह स्थित नहीं है। इसकी नींव गहरी है। इसका सम्बन्ध हृदय के भीतरी मूल देश से है, उसकी सामान्य वासनात्मक सत्ता से है।

कथन अर्थवाद के रूप में—कवि और कवि-कर्म की स्तुति के रूप में ही गृहीत हुआ, शास्त्रीय सिद्धान्त या विवेचन के रूप में नहीं। योरप में अलवत् यह एक सूत्र-सा बनकर काव्य-समीक्षा के ज्ञेत्र में भी जा घुसा है। इसके प्रचार का परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस ढंग की भी हो चलीं जिनमें कवि ऐसी अनुभूतियों की व्यंजना की नकल करता है जो न वास्तव में उसकी होती है और न किसी की हो सकती हैं। इस नूतन सृष्टि-निर्माण के अभिनय के बीच 'दूसरे जगत्' के पंछियों की उड़ान शुरू हुई। शोली के पीछे पागलपन की नकल करनेवाले चहुत से खड़े हुए थे; वे अपनी बातों का ऐसा रूप-रङ्ग बनाते थे जो किसी और दुनिया का लगे या कहीं का न जान पड़े॥

यह उस प्रवृत्ति का हृद के बाहर पहुँचा रूप है जिसका आरम्भ योरप में एक प्रकार से पुनरुत्थान-काल (Renaissance) के साथ ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस काल के पहले काव्य की रचना काल को अखण्ड, अनन्त और भेदातीत मानकर तथा लोक को एक सामान्य सत्ता समझकर की जाती थी। रचना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे कि इस काल के आगे आनेवाला काल कुछ और प्रकार का होगा अथवा इस वर्तमान काल का स्वरूप सर्वत्र

'After Shelley's music began to captivate the world certain poets set to work upon the theory that between themselves and the other portion of the human race there is a wide gulf mixed Their theory was that they were to sing, as far as possible, like birds of another world . . . It might also be said that the poetic atmosphere became that of the supreme palace of wonder—*Bedlam*,

Bailey, Dobell and Smith were not Bedlamites, but men of common sense They only affected madness The country from which the followers of Shelley sing to our lower world was named 'Nowhere'

—'Poetry and the Renascence of Wonder' by Theodore Watts Dunton.

इन्हीं दो पर जा जमी। 'कल्पना' काव्य का बोध-पक्ष है। कल्पना में आई हुई रूप-व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को अन्तःसाक्षात्कार या बोध होता है। पर इस बोधपक्ष के अतिरिक्त काव्य का भावपक्ष भी है। कल्पना को रूप-योजना के लिए प्रेरित करनेवाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानेवाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रवानता दी और रस के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में 'कल्पना' 'कल्पना' की पुकार के सामने धीरे-धीरे समीक्षकों का ध्यान भावपक्ष से हट गया और बोधपक्ष ही पर भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनन्द के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनन्द के लिए हम नई-नई, सुन्दर, झड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखानेवाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल-मात्र होता है।

'व्यक्तित्व' ही को ले उड़ने से जो परिणाम हुआ है उसका कुछ आभास ऊपर दिया जा चुका है। 'कल्पना' और 'व्यक्तित्व' पर एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई प्रसिद्ध 'वादों' की इमारतें खड़ी हुईं। इटली-निवासी क्रोसे (Benedetto Croce) ने 'अभिव्य जनावाद' के निरूपण में बड़े कठोर आप्रह के साथ कला की अनुभूति को ज्ञान या बोध-स्वरूप ही माना है। उन्होंने उसे स्वयं-प्रकाश ज्ञान (Intuition)—प्रत्यक्ष ज्ञान तथा बुद्धि-व्यवसाय-सिद्ध या विचार-प्रसूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुई वस्तु-व्यापार-योजना का ज्ञान-मात्र माना है। वे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान और विचार-प्रसूत ज्ञान दोनों से सर्वथा निरपेक्ष, स्वतन्त्र और स्वतःपूर्ण मानकर चले हैं। वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक घसीट ले गये हैं। भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने काव्य की उक्ति का विधायक अवयव नहीं माना है। परन्तु चाहने पर भी, अभिव्यंजना

जिस 'व्यक्तिवाद' का ऊपर उल्जेख हुआ है उसने स्वच्छन्दता के आनंदोलन (Romantic movement) के उत्तर-काल से बड़ा ही विकृत रूप धारणा किया। यह 'व्यक्तिवाद' यदि पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाय तो कविता लिखना व्यथ ही समझिए। कविता इसी लिए लिखी जाती है कि एक ही भावना सैकड़ों, हजारों क्या, लाखों दूसरे 'आदमी' ग्रहण करे। जब एक के हृदय के साथ दूसरे के हृदय की कोई समानता ही नहीं तब एक के भावों को दूसरा क्यों और कैसे ग्रहण करेगा? ऐसी अवस्था में तो यही सम्भव है कि हृदय द्वारा भास्मीक या भीतरी ग्रहण की वात ही छोड़ दी जाय, व्यक्तिगत विशेषता के वैचित्रय द्वारा ऊपरी कुनूदल मात्र उत्पन्न कर देना ही बहुत समझा जाय। हुआ भी यही। और हृदयों से अपने हृदय की भिन्नता और विचित्रता दिखाने के लिए बहुत से लोग एक-एक काल्पनिक हृदय निर्मित करके दिखाने लगे। काव्यक्षेत्र 'नकली हृदयों' का एक कारखाना हो गया।

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य-दृष्टि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से 'सामान्य' के उद्घाटन की ओर बराबर रही है। किसी न किसी 'सामान्य' के प्रतिनिधि होकर ही 'विशेष' हमारे यहाँ के काव्यों में आते रहे हैं। पर योरपीय काव्य-दृष्टि इधर बहुत दिनों से विरल विशेष के विधान की ओर रही है। हमारे यहाँ के कवि उस सच्चे तार की भंकार सुनाने में ही सन्तुष्ट रहे जो मनुष्य-मात्र के हृदय के भीतर से होता हुआ गया है। पर इन्हीं के शताव्दी के बहुत से विलायती कवि ऐसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जो न कहीं होते हैं और न हो सकते हैं। सारांश यह कि हमारी वाणी भावक्षेत्र के बीच 'भेदों में अभेद' को ऊपर करती रही और उनकी वाणी भूठे-सच्चे विलक्षण भेद खड़े करके लोगों को चमकृत करने में लगी।

'कल्पना' और 'व्यक्तित्व' की, पाश्चात्य समीक्षा-क्षेत्र में, इतनी अधिक मुनाफ़ी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर

चलते दिखाई पढ़ने लगे। समालोचना भी अधिकतर हवाई ढंग की होने लगी॥

योरप में इधर पचास वर्ष के भीतर 'रहस्यवाद', 'कलावाद', 'व्यक्तिवाद' इत्यादि जो अनेक 'वाद' चले थे वे अब वहाँ मरे हुए आनंदोलन समझे जाते हैं। इन नाम 'वादों' से ऊबकर लोग अब फिर साफ हवा में आना चाहते हैं। किसी कविता के सम्बन्ध में किसी 'वाद' का नाम लेना अब कौशल के खिलाफ माना जाने लगा है। अब कोई वादी समझे जाने में कठिन अपना मान नहीं समझते।

* Wherever attempts at sheer newness in poetry were made, they merely ended in dead movements x x x x. Criticism became more dogmatic and unreal, poetry more eccentric and chaotic,

— "A Survey of Modernist Poetry" by Laura Riding and Robert Graves (1927)

† The modernist poet does not have to issue a programme declaring his intentions toward the reader or to issue an announcement of tactics. He does not have to call himself an individualist (as the Imagist poet did) or a mystic (as the poet of the Anglo-Irish dead movement did) or a naturalist (as the poet of the Georgian dead movement did) — "A Survey of Modernist Poetry" Laura Riding and Robert Graves (1927).

या उक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व^१ रूप में भावों की सत्ता उन्हे स्वीकार करनी पड़ी है। उससे अपना पीछा वे छुझा नहीं सके हैं॥

काव्य-समीक्षा के चेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, 'विशेष' के स्थान पर सामान्य या विचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का इतना डर समाया कि कहीं-कहीं आलोचना भी काव्य-रचना के ही रूप में होने लगी। कला की कृति की परीक्षा के लिए विवेचन-पद्धति का त्याग-सा होने लगा। हिन्दी की मासिक पत्रिकाओं में समालोचना के नाम पर आज-कल जो अद्भुत और रमणीय शब्द-योजना-मात्र कभी-कभी देखने में आया करती है वह इसी पाश्चात्य प्रगृहिति का अनुकरण है। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि योरप में साहित्य-सम्बन्धी आन्दोलनों की आयु बहुत थोड़ी होती है। कोई आन्दोलन दस-वारह वर्ष^२ से ज्यादा नहीं चलता। ऐसे आन्दोलनों के कारण वहाँ इस बोसवीं शताब्दी में आकर काव्यचेत्र के बीच बड़ी गहरी गडबड़ी और अव्यवस्था कैली। काव्य की स्वाभाविक उमंग के स्थान पर नवीनता के लिए आकुलता मात्र रह गई। कविता चाहे हो, चाहे न हो; कोई नवीन रूप या रंगडंग अवश्य खड़ा हो। पर कोरी नवीनता केवल मरे हुए आन्दोलन का इतिहास छोड़ जाय तो छोड़ जाय, कविता नहीं खड़ी कर सकती। केवल नवीनता और मौलिकता की बढ़ी-चढ़ी सनक में सच्ची कविता की ओर ध्यान कहाँ तक रह सकता है? कुछ लोग तो नए-नए ढंग की उच्छ्वस्ता, खलता, वक्रता, असम्बद्धता, अनगैलता इत्यादि का ही प्रदर्शन करने में लगे। थोड़े-से ही सच्ची भावनावाले कवि प्रकृत मार्ग पर

^१ Matter is emotivity not aesthetically elaborated i. e. impression. Form is elaboration and expression × × × Sentiments of impressions pass by means of words from the obscure region of the soul into the clarity of the contemplative spirit.—‘Aesthetic.’

रूप-प्रतीति स्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप-योजना या मूर्ति-विधान को कल्पना कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतरी रूप-विधानों के मूल हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप-विधान। अतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए—

१ प्रत्यक्ष रूप-विधान,

२ स्मृत रूप-विधान और

३ कल्पित रूप-विधान।

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ सकें, यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। कल्पित रूप-विधान द्वारा जागरित मार्मिक अनुभूति तो सर्वत्र रसानुभूति मानी जाती है। प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है, इसी बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख का उद्देश्य है।

प्रत्यक्ष रूप-विधान

भावुकता की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आधार या उपादान ये ही हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक होती है वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त होते हैं। जो किसी मुख के लावण्य, बनस्थली की सुषमा, नदी या शैलतटी की रमणीयता, कुसुम-विकास की प्रफुल्लता, प्राम दृश्यों की सरल माधुरी देख सुगम नहीं होता; जो किसी प्राणी के कष्ट व्यञ्जक रूप और चेष्टा पर करुणाद्र्व नहीं होता, जो किसी पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से नहीं तिलमिजाता, उसमे काढ़य का सज्जा प्रभाव प्रदण करने की जमता कभी नहीं हो सकती। जिसके लिए ये सब कुछ नहीं हैं, उसके लिए सज्जी कविता की अच्छी से अच्छी उक्ति भी कुछ नहीं है। वह यदि किसी कविता पर बाह्बाह करे तो समझना चाहिए कि या तो वह भावुकता या सहृदयता की नकल कर

रसात्मक-वोध के विविध रूप

संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विभान हुआ है। सौन्दर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, करतां इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पत्र हुई हैं। हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, कोध, करुणा इत्यदि भावों की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं—इसी चारों ओर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी वृत्ति अन्तमुख होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही। सुन्दर, मधुर, भीषण या कूर लगनेवाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौन्दर्य, माधुर्य, भीषणता या कूरता कोई पदार्थ नहीं। सौन्दर्य की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का मन में आना ही है। इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता, भीषणता आदि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है। किसी की द्याशीलता या कूरता की भावना करते समय दया या कूरता के किसी विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना जीव या मन्द होती है। तात्पर्य यह कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

मन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता है। या तो यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यें का त्यों प्रतिबिंब होता है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रङ्ग, गति आदि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर

के भीतर लिये गए हैं और लिये जाते हैं। बात यह है कि काव्य शब्द-व्यापार है। वह शब्द-संकेतों के द्वारा ही अन्तस् में वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति-विधान करने का प्रयत्न करता है। अतः जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध है वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही होते हैं। कवि जिन वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन करने बैठता है वे उस समय उसके सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं। पाठक या ओटा भी अपनी कल्पना द्वारा ही उनका मानस साक्षात्कार करके उनके आलम्बन से अनेक प्रकार के रसानुभव करता है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि कवि कर्म का निरूपण करनेवालों का ध्यान रूप-विधान के कल्पना-पक्ष पर ही रहे; रूपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध और उससे सम्बद्ध वास्तविक भावानुभूति की बात अलग ही रखी जाय।

उदाहरण के रूप में ऊपर लिखी बात यों कही जा सकती है। एक स्थान पर हमने किसी अत्यन्त-रूपवती स्त्री का सिंत आनन और चचल भ्रू-विलास देखा और सुरु दुर्घट हुए अथवा किसी पर्वत के अंचल की सरस सुषमा देख उसमें लीन हुए। इसके उपरान्त किसी प्रतिमालय और चित्रशाला में पहुँचे और रमणी की वैसी ही मधुर मूर्ति अथवा उसी प्रकार के पर्वतांचल का चित्र देख लुब्ध हुए। फिर एक तीसरे स्थान पर जाकर कविता की कोई पुस्तक उठाई और उसमें वैसी ही नायिका अथवा वैसे ही दृश्य का सरस वर्णन पढ़ रसमग्न हुए। पिछले दो स्थलों की अनुभूतियों को ही कलागत या काव्यगत मान प्रथम प्रकार की (प्रत्यक्ष या वास्तविक) अनुभूति का विचार एकदम किनारे रखा गया। यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का कुछ सम्बन्ध ही न समझा जाने लगा। कोरे शब्द-व्यवसायी केशवदासजी को कमल और चन्द्र को प्रत्यक्ष देखने में कुछ भी आनन्द नहीं आता था; केवल काव्यों में उपमा-उत्प्रेक्षा आदि के अन्तर्गत उनका वर्णन या उल्लेख ही भाता था—

“देखे मुख भावै, अनदेखेई कमल चन्द;

ताते मुख मुखै, सखी ! कमलौ न चन्द री ।”

इतने पर भी उनके कवि होने में कोई सन्देह नहीं किया गया।

रहा है अथवा उस रचना के किसी ऐसे अवयव की ओर दक्षिणत्त है जो स्वतः काव्य नहीं है। भावुकता की नकल करनेवाले श्रोता या पाठक ही नहीं, कवि भी हुआ करते हैं। वे सचे भावुक कवियों की वाणी का अनुकरण वही सफाई से करते हैं और अच्छे कवि कहलाते हैं। पर सूदम और मामिक टप्टि उनकी रचना में हृदय की निश्चेष्टता का पता लगा लेती है। किसी काल में जो सैकड़ों कवि प्रसिद्ध होते हैं उनमें सच्चे कवि—ऐसे कवि जिनकी तीव्र अनुभूति ही वाम्तव में कहना को अनुकूल रूप-विधान में तत्पर करती है—दस पाँच ही होते हैं।

'प्रत्यक्ष' से हमारा अभिप्राय केवल चाक्षुप ज्ञान से नहीं है। रूप शब्द के भीतर शब्द, गन्ध, रस आंर स्पर्श भी समझ लेना चाहिए। वस्तु-व्यापार-वर्णन के अन्तर्गत ये विषय भी रहा करते हैं। फूलों और पक्षियों के मनोहर आकार और रङ्ग का ही वर्णन कवि नहीं करते, उनकी सुगन्ध, कोमलता और मधुर स्वर का भी वे धरावर वर्णन करते हैं। जिन लेखकों या कवियों की धारण शक्ति तीव्र होती हैं वे ऐसे स्थलों की गन्धात्मक विशेषता का वर्णन कर जाते हैं जहाँ की गन्ध-विशेष का थोड़ा-बहुत अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं पर उसकी और स्पष्ट ध्यान नहीं देते। खलियाचों और रेलवे-स्टेशनों पर जाने से भिन्न भिन्न प्रकार की गन्ध का अनुभव होता है। पुराने कवियों ने तुरन्त की जोती हुई भूमि से उठी हुई सोधी महँक का, हिरनों के ढारा चरी हुई दृश्य की ताजी गमक का उल्लेख किया है। फरासीसी उपन्यासकार जोला की गन्धानुभूति वही सूक्ष्म थी। उसने योरोप के कई नगरों और स्थानों की गन्ध की पहचान बताई है। इसी प्रकार बहुत से शब्दों का अनुभव भी बहुत सूक्ष्म होता है। रात्रि में, विशेषतः वर्षा की रात्रि में, झंगुरों और मिलियों के भंकार-मिश्रित सीत्कार का बँधा तार सुनकर लड़कन में मैं यही समझता था कि रात बोल रही है। कवियों ने कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है।

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप-विधानों में से अन्तिम (कलिपत) ही काव्य-समीक्षकों और साहित्य-मीमांसकों के विचार-क्षेत्र

पात्र (आश्रय) का ही आलम्बन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोता का भी—एक ही नहीं अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी—आलम्बन हो जाता है। अतः उस आलम्बन के प्रति व्यंजित भाव में पाठकों या श्रोताओं का भी हृदय योग देता हुआ उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि रस-दशा में अपनी पूर्थक सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है अर्थात् काव्य में प्रस्तुत विषय का हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में नहीं है खेते, अपनी योगद्वेष-वासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय द्वारा ग्रहण नहीं करते, बल्कि निविशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी को पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति में अह^१ का विसर्जन और निःसंगता (Impersonality and Detachment) कहते हैं। इसी को चाहे रस का लोकोत्तरस्त्र या ब्रह्मानन्द-सहोदरत्व कहिए, चाहे विभावन-व्यापार का अलौकिकत्व। अलौकिकत्व का अभिप्राय इस लोक से सम्बन्ध न रखनेवाली कोई स्वर्गीय विभूति नहीं। इस प्रकार के केवल भाव-व्यंजक (तथ्य-बोधक नहीं) और स्तुति-परक शब्दों को समीक्षा के क्षेत्र में घसीटकर परिचम में इधर अनेक प्रकार के अर्थशून्य वागाढ़म्बर खड़े किए गए थे। ‘कला कला के लिए’ नामक सिद्धान्त के प्रसिद्ध व्याख्याकार डाक्टर ब्रैडले बोले “काव्य आत्मा है”। डा० सकेल साहब ने फरमाया “काव्य एक अखण्ड तत्त्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है”।^२ बंगभाषा के प्रसाद से हिन्दी में भी इस प्रकार के अनेक मधुर प्रलाप सुनाई पड़ा करते हैं। अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलम्बनों के कल्पना में उपस्थित होने पर साधारणीकरण होता है उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ आलम्बनों के

^१ Poetry is a Spirit,—Bradely

Poetry is a continuous substance or energy whose progress is immortal—Maekail

यही वात योरप में भी बढ़ती बढ़ती दुरी हड़ को पहुँची। कलागत अनुभूति को वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभूति से एकदम पृथक् और स्वतन्त्र निरूपित करके वहाँ कवि का एक अलग “काल्पनिक जगत्” कहा जाने लगा। कला-समीक्षकों की ओर से यह धारणा उत्पन्न की जाने लगी कि जिस प्रकार कवि के ‘काल्पनिक जगत्’ के रूप-व्यापारों की संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत् के रूप व्यापारों से मिलाने की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार उसके भीतर व्यंजित अनुभूतियों का सामंजस्य-जीवन की वास्तविक अनुभूतियों में ढूँढ़ना आवश्यक है। इस टृटि से काव्य का हृदय पर उतना ही और जैसा ही प्रभाव स्वीकार किया गया जितना और जैसा किसी परटे के बेलबूटे, मकान की नकाशी, सरकस के तमाशे तथा भौंडों की लफाजी, उद्घल-कूद या रोने-धोने का पड़ता है। इस धारणा के प्रचार से, जान मे या अनजान में, कविता का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं-कहीं तो वह असीरों के शौक की चीज भमझी जाने लगी। रसिक और गुण प्राहक बनने के लिए जिस प्रकार वे तरह-तरह की नई-पुरानी, भली-दुरी तसवीरें; इकट्ठी करते, कलावन्तों का गाना-बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता की पुस्तकें भी अपने यहाँ सजाकर रखते और कवियों की चर्चा भी दस आदमियों के भीच बैठकर करते। सारांश यह कि ‘कला’ शब्द के प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन-बहलाव। यह ‘कला’ शब्द आजकल हमारे यहाँ भी साहित्य-चर्चा में बहुत जल्दी सा हो रहा है। इससे न जाने कब पीछा हूँटेगा? हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को ६४ कलाओं में गिनना ठीक नहीं भमझा था।

अब यहाँ पर रसात्मक अनुभूति की उस विशेषता का विचार करना चाहिए जो उसे प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से पृथक् करती प्रतीत हुई है। इस विशेषता का निरूपण हमारे यहाँ साधारणीकरण के अन्तर्गत किया गया है। ‘साधारणीकरण’ का अभिप्राय यह है कि किसी काव्य में वर्णित आलम्बन केवल भाव की व्यज्ञना करनेवाले

पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी कल्पना और रुचि के अनुसार आलम्बन का आरोप या आक्षेप किए रहता है।

जैसा कि ऊपर कह आए हैं रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण ठहराए गए हैं—

(१) अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार और

(२) किसी भाव के आलम्बन का सहदय मात्र के साथ साधारणीकरण अर्थात् उस आलम्बन के प्रति सारे सहदयों के हृदय में उसी भाव का उदय।

यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यक्ष उपस्थित आलम्बनों के प्रति जगनेवाले भावों की अनुभूतियों पर घटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भावों में तो ये बातें कुछ ही दशाओं में या कुछ अंशों तक विट्ठ होती हैं और कुछ में बहुत दूर तक या बराबर।

‘रति भाव’ को लीजिए। गहरी प्रेमानुभूति की दशा में मनुष्य रसलोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन-बदन की सुध नहीं रहती, वह सब कुछ भूल कभी फूला-फूला फिरता है, कभी खिन्न पह्ना रहता है। हर्ष, विषाद, स्मृति इत्यादि अनेक संचारियों का अनुभव वह वीच-बीच में अपना व्यक्तित्व भूला हुआ करता है। पर अभिलाष, औत्सुक्य आदि कुछ दशाओं में अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध जितना ही अधिक और घनिष्ठ होकर अन्तःकरण में स्फुट रहेगा प्रेमानुभूति उतनी ही रसकोटि के बाहर रहेगी। ‘अभिलाष’ में जहाँ अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध अत्यन्त अल्प या सूक्ष्म रहता है—जैसे, रूप-अवलोकन मात्र का अभिलाष; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस बात का अभिलाष—वहाँ चास्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुई होती है। आलम्बन के साधारणीकरण के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि रति भाव की पूर्ण पुष्टि के लिए कुछ काल अपेक्षित होता है। पर अत्यन्त मोहक आलम्बन को सामने पाकर कुछ लक्षणों के लिए तो प्रेम के प्रथम अवयव

प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलम्बनों के सम्बन्ध में लोक के माध्य—या कम से कम सहदयों के साथ—हमारा तादात्म्य रहता है। ऐसे विषयों या आलम्बनों के प्रति हमारा जो भाव रहता है वही भाव और भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है। वे हमारे और लोक के सामान्य आलम्बन रहते हैं। साधारणीकरण के प्रभाव से काव्य-श्रवण के समय व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता है वैसा ही प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति के समय भी कुछ दशाओं में होता है। अतः इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अन्तर्गत मानने में कोई वाधा नहीं। मनुष्य-जाति के सामान्य आलम्बनों के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुभूति में योग देंगे और यदि दूसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा हृदय योग देगा। इसके लिए आवश्यक इतना ही है कि हमारी आँखों के सामने जो विषय उपस्थित हो वे मनुष्य मात्र या सहदय मात्र के भावात्मक सत्त्व पर प्रभाव ढालनेवाले हों। रस में पूर्णतया मग्न करने के लिए काव्य में भी वह आवश्यक होता है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक रस में पूर्णतया लीन करने की शक्ति उसमें नहीं होती। किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी अत्यन्त कुरुप और दुःशील खी पर प्रेम हो सकता है, पर उस खी के वर्णन द्वारा शृंगार रस का आलम्बन नहीं खड़ा हो सकता। अतः वह काव्य भाव-व्यंजक मात्र होगा, विभाव का प्रतिष्ठापक कभी नहीं होगा। उसमें विभावन व्यापार हो ही न सकेगा। इसी प्रकार रौद्र रस के वर्णन में जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव-व्यंजक मात्र रहेगा, उसका विभावपक्ष या तो शून्य होगा अथवा अशक्त। पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना रस में पूर्ण मग्नता हो नहीं सकती। अतः केवल भाव-व्यंजक काव्यों में होता यह है कि

दुःखात्मक होती है। रसास्वाद आनन्द-स्वरूप कहा गया है, अतः दुःखरूप अनुभूति रस के अन्तर्गत कैसे ली जा सकती है, यह प्रश्न कुछ गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा। पर ‘आनन्द’ शब्द को व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल अर्थ में ग्रहण करना मुझे ठीक नहीं ज़चता। उसका अर्थ मैं हृदय का व्यक्ति-बद्ध दशा से मुक्त और हलका होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही उपयुक्त समझता हूँ। इस दशा की प्राप्ति के लिए समय समय पर प्रवृत्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं; करण-रस-प्रधान नाटक के दर्शकों के आँसुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि “आनन्द में भी तो आँसू आते हैं” केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुःख ही का अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता है।

अब क्रोध आदि को अलग-अलग देखिए। यदि हमारे मन में किसी ऐसे के प्रति क्रोध है जिसने हमें या हमारे किसी सम्बन्धी का पीड़ा पहुँचाई है तो उस क्रोध में रसात्मकता न होगी।

पर किसी लोकपीड़क या क्रूरकर्मा अत्याचारी को देख-सुनकर जिस क्रोध का संचार हममें होगा वह रसकोटि का होगा जिसमें प्रायः सब लोग योग देंगे। इसी प्रकार यदि किसी भाड़ी से शेर निकलता देख हम भय से कौपने लगे तो यह भय हमारे व्यक्तित्व से इतना अधिक सम्बद्ध रहेगा कि आत्मबन के पूर्ण स्वरूप-ग्रहण का अवकाश न होगा और हमारा ध्यान अपनी ही मुस्तु, पीड़ा आदि परिणामों की ओर रहेगा। पर जब हम किसी वस्तु की भयंकरता को, अपना ध्यान छोड़, लोक से सम्बद्ध देखेंगे, तब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे रहेगे। इसी प्रकार किसी सड़ी गली दुर्गन्धयुक्त वस्तु के प्रत्यक्ष सामने आने पर हमारी संवेदना का जो त्वाभ-पूर्ण सकोच होगा वह तो स्थूल होगा; पर किसी ऐसे वृणित आचरणवाले के प्रति जिसे देखते ही लोक-रुचि के विघात या आकुलता की भावना हमारे मन में होगी, हमारी जुगुप्सा रसमयी होगी।

का उदय एक साथ बहुतों के हृदय में होगा। वह अवयव है, अच्छा या रमणीय लगना।

'हास' में भी यही बात होती है कि जहाँ उसका पात्र सामने आया कि मनुष्य अपना सारा सुख-दुख भूल एक विलक्षण आहाद का अनुभव करता है, जिसमें बहुत से लोग एक साथ योग देते हैं।

अपने निज के लाभवाले विकट कर्म की ओर जो उत्साह होगा वह तो रसात्मक न होगा, पर जिस विकट कर्म को हम लोकरत्याण-कार्य समझते हैं उसके प्रति हमारे उत्साह की गति हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति के संकुचित मण्डल से बढ़ न रहकर बहुत व्यापक होगी। स्वदेश-प्रेम के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस-भरी उमड़ के साथ कोई कठिन या टुक्कर कार्य करने के लिए निकलते हैं, वह वीरत्व की रसात्मक अनुभूति है॥

क्रीध, भय, जुगाप्सा और करणा के सम्बन्ध में साहित्य-प्रेमियों को शायद कुछ अङ्गचन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक अनुभूति

...आज-कल के बहुत गम्भीर अगरेज़ समालोचक रिचर्ड्स (I. A. Richards) को भी कुछ दशाओं में वास्तविक अनुभूति के रसात्मक होने का शामास सा हुश्शा है, जैसा कि इन पक्षियों से प्रकट होता है—

There is no such gulf between poetry and life as over-literary person sometimes suppose. There is no gap between our every day emotional life and the material of poetry. The verbal expression of this life, at its finest, is forced to use the technique of poetry × × × If we do not live in consonance with good poetry, we must live in consonance with bad poetry. I do not see how we can avoid the conclusion that a general insensitivity to poetry does witness allow level of general imaginative life

Practical Criticism. (Summary)

वे भले ही समझे जाते हों। शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु-काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक् कोई अंतर्भृति नहीं है बल्कि उसी का एक रदात्त और अवदात स्वरूप है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित भाव ही रसरूप में जगा करते हैं। यह वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव-परंपरा का मनुष्य-जाति की अन्तःप्रकृति में निहित संचय है।

स्मृत रूप-विधान

जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूपव्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी-कभी रसात्मक होता है। जब हम जन्मभूमि या स्वदेश का, बाल-सखाओं का, कुमार-अवस्था के अतीत दृश्यों और परिचित स्थानों आदि का स्मरण करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ^१ या शरीर-यात्रा के रूपे विधानों से हटकर शुद्ध भाव-केन्द्र में स्थित हो जाती है। नीति-कुशल लोग लाख कहा करें कि “बीती ताहि विसारि दे”, “गड़े मुदे” दखाइने से क्या लाभ ?” पर मन नहीं मानता, अतीत के मधुसूत में कभी-कभी अवगाहन किया ही करता है। ऐसा ‘स्मरण’ वास्तविक होने पर भी रसात्मक होता है। हम सचमुच स्मरण करते हैं और रसमग्न होते हैं।

स्मृति दो प्रकार की होती है—(क) विशुद्ध स्मृति और (ख) प्रत्यक्षाश्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान।

(क) विशुद्ध स्मृति

यों तो नित्य न जाने कितनी बातों का हम स्मरण किया करते हैं, पर इनमें से कुछ बातों का स्मरण ऐसा होता है जो हमारी मनोवृत्ति

‘शोक’ को लेकर विचार करने पर हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट हो जाता है। अपनी इष्ट-हानि या अनिष्ट प्राप्ति से जो ‘शोक’ नामक वास्तविक दुःख होता है वह तो रसकोटि में नहीं आता, पर दूसरों की पीड़ा, चैटना देख जो ‘करुणा’ जगती है उसकी अनुभूति सच्ची रसानुभूति कही जा सकती है। ‘दूसरों’ से तात्पर्य ऐसे प्राणियों से है जिनसे हमारा कोड विशेष मम्बन्ध नहीं। ‘शोक’ अपनी निज की इष्ट-हानि पर होता है और ‘करुणा’ दूसरों की दुर्गति या पीड़ा पर होती है। यही दोनों में अन्तर है। इसी अन्तर को लक्ष्य करके काव्यगत पात्र (‘आश्रय’) के शोक की पूर्ण व्यजना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को आचार्यों ने शोक रस न कहकर ‘करुण-रस’ कहा है। करुण ही एक ऐसा व्यापक भाव है जिसकी प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति सब रूपों में और सब दशाओं में रसात्मक होती है। इसी से भवभूति ने करुण-रस जो ही रसानुभूति का मूल माना और अङ्गरेज कवि शेली ने कहा कि “सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले”।

अब प्रकृति के नाना रूपों पर आइए। अनेक प्रकार के प्राकृतिक हृश्यों को सामने प्रत्यक्ष देख हम जिस मधुर भावना का अनुभव करते हैं क्या उसे रसात्मक न मानना चाहिए? जिस समय दूर तक फैले हरे-भरे टीलों के बीच से घूम घूमकर बहते हुए स्वच्छ नालों, इधर-उधर उभरी हुई बेहौल चट्ठानों और रंग-विरंगे फूलों से गुब्बी हुई माड़ियों की रमणीयता मे हमारा मन रमा रहता है, उस समय स्वार्थ-मय जीवन की शुष्कता और विरसता से हमारा मन कितनी दूर रहता है। यह रसदशा नहीं तो और क्या है? उस समय हम विश्व-काव्य के एक पृष्ठ के पाठक के रूप में रहते हैं। इस अनंत हृश्य-काव्य के हम सदा कठपुतली की तरह काम करनेवाले अभिनेता ही नहीं बने रहते; कभी-कभी सहृदय दर्शक की हैसियत को भी पहुँच जाते हैं। जो इस दशा को नहीं पहुँचते उनका हृदय बहुत संकुचित या निर्मन कोटि का होता है। कविता उनसे बहुत दूर की वस्तु होती है, कवि

का संकेत है; रागात्मक हृदय उसके व्यापक (Immanent) स्वरूप का। ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय ईश्वर है। किसी व्यक्ति या वस्तु को जानना ही वह शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति या वस्तु को हमारी अन्तस्ता में सम्मिलित कर दे। वह शक्ति है राग या प्रेम।

जैसा कह आए हैं, रति, हास और कहणा से सम्बद्ध स्मरण अधिक-तर रसक्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रिय का स्मरण, बालसखा आदि का स्मरण, अतीत-जीवन के दृश्यों का स्मरण प्रायः रतिभाव से सम्बद्ध स्मरण होता है। किसी दीन दुखी या पीड़ित व्यक्ति के, उसकी विवरण आकृति चेष्टा आदि के स्मरण का लगाव कहणा से होता है। दूसरे भावों के आलम्बनों का स्मरण भी कभी रस-सिक्त होता है—पर वहीं जहाँ हम सहृदय द्रष्टा के रूप में रहते हैं अर्थात् जहाँ आलम्बन केवल हमारी ही व्यक्तिगत भावसत्ता से सम्बद्ध नहीं, सम्पूर्ण नर-जीवन की भावसत्ता से सम्बद्ध होते हैं।

(ख) प्रत्यभिज्ञान

अब हम उस प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के सम्बन्ध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति को हमने कहीं देखा और देखने के साथ ही स्मरण किया कि यह वही है जो अमुक स्थान पर उस दिन बहुत से लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था। वह व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसके सहारे से हमारे मन से झगड़े का वह सारा दृश्य उपस्थित हो गया जिसका वह एक अंग था। “यह वही है” इन्हीं शब्दों से प्रत्यभिज्ञान की व्यजना होती है।

स्मृति के समान प्रत्यभिज्ञान में भी रस-संचार की बड़ी गहरी शक्ति होती है। बाल्य-या कौमार जीवन के किसी साथी के, बहुत दिनों पीछे, सामने, आने पर कितने पुराने दृश्य हमारे मन के भीतर

के शगीर-यात्रा के विधानों की उलझन से अलग करके शुद्ध मुक्त भाव भूमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या यीवनकाल के अतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के स्थलों का स्मरण ऐसा ही होता है। 'स्मरण' संचारी भावों में माना गया है जिसका तात्पर्य यह है कि स्मरण रसकोटि में तभी आ सकता है जब कि उसका लगाव किसी स्थायी भाव से हो। किसी को कोई बात भूल गई हो और फिर चाढ़ हो जाय, या कोई वस्तु कहाँ रखी है, यह ध्यान में आ जाय तो ऐसा स्मरण रसक्षेत्र के भीतर न होगा। अब रहा यह कि वास्तविक स्मरण—किसी काव्य में वर्णित स्मरण नहीं—कैसे स्थायी भावों के साथ सम्बद्ध होने पर रसात्मक होता है। रति, हास और करण से सम्बद्ध स्मरण ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है।

"लोभ और प्रीति" नामक निबन्ध में हम रूप, गुण आदि से स्वतन्त्र साहचर्य को भी प्रेम का एक सघल कारण बता चुके हैं। इस साहचर्य का प्रभाव सबसे प्रवल रूप में स्मरण-काल के भीतर देखा जाता है। जिन व्यक्तियों की ओर हम कभी विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम चिढ़ते या लड़ते-फगड़ते थे, देश या फाल लम्बा व्यवधान पढ़ जाने पर हम उनका स्मरण प्रेम के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर आंजाते जीवल हमारी नजर पड़ा करती थी, जिनको सामने पाकर हम किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे, वे भी हमारी स्मृति में मधु में लिपटी हुई आती हैं। इस माधुर्य का रहस्य क्या है? जो हो, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी यह काल-यात्रा, जिसे जीवन कहते हैं, जिन-जिन रूपों के बीच से होती चली आती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक सत्ता के अन्तर्भूत करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से वहाँ तक वह एक भावसत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है। ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ रागात्मिका वृत्ति का यह प्रसार एकीकरण या समन्वयिति की एक प्रक्रिया है। ज्ञान हमारी आत्मा के तटस्थ (Transcendent) स्वरूप

किसी ऐसी बस्ती, प्राम या घर के खंडहर को देखते हैं जिसमें किसी समय हमने बहुत चहल-पहल या सुखसमृद्धि देखी थी तब “यह वही है” की भावना हमारे हृदय को एक अनिर्वचनीय कहण स्रोत में सम करती है। अँगरेजी के परम भावुक कवि गोल्डस्मिथ ने एक अत्यन्त मार्मिक रूप दिखाने के लिए ही ‘ऊजड़ प्राम’ की रचना की थी

स्मृत्याभास कल्पना

अब तक हमने रसात्मक स्मरण और रसात्मक प्रत्यभिज्ञान को विशुद्ध रूप में देखा है अर्थात् ऐसी बातों के स्मरण का विचार किया है जो पहले कभी हमारे सामने हो चुकी हैं। अब हम उस कल्पना को लेते हैं जो स्मृति या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करके प्रवृत्त होती है। इस प्रकार की स्मृति या प्रत्यभिज्ञान में पहले देखी हुई वस्तुओं या बातों के स्थान पर या तो पहले सुनी या पढ़ी हुई बातें हुआ करती हैं अथवा अनुमान द्वारा पूर्णतया निश्चित। बुद्धि और वाणी के प्रसार द्वारा मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष बोध तक ही परिमित नहीं रहता, वर्तमान के आगे पीछे भी जाता है। आगे आनेवाली बातों से यहाँ प्रयोजन नहीं; प्रयोजन है अतीत से। अतीत की कल्पना भावुकों में स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करती है और कभी-कभी अतीत का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप प्रहण करती है। ऐसी कल्पना के विशेष मार्मिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य का आधार लेकर खड़ी होती है। इसका आधार या तो आप शब्द (इतिहास) होता है अथवा शुद्ध अनुमान।

पहले हम स्मृत्याभास कल्पना के उस स्वरूप को लेते हैं जिसका आधार आप शब्द या इतिहास होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है वैसे ही समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। इसकी मार्मिकता भी निज के अतीत जीवन

उमड़ पड़ते हैं और हमारी वृत्ति उनके माधुर्य में किस प्रकार मग्न हो जाती है ! किसी पुराने पेड़ को देखकर हम कहते जाते हैं कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे हम अपने अमुक अमुक साथियों के साथ बैठा करते थे । किसी घर या चबूतरे को देखकर भी अतीत दृश्य इसी प्रकार हमारे मन में आ जाते हैं और हमारा मन कुछ और हो जाता है । कृष्ण के गोकुल से चले जाने पर वियोगिनी गोपियाँ जब जब यमुना-तट पर जाती हैं, तब तब उनके भीतर यही भावना उठती है कि “थह वही यमुना-तट है” और उनका मन काल का परदा फाढ़ अतीत के उस दृश्य-द्वेष में जा पहुँचता है जहाँ श्रीकृष्ण गोपियाँ के साथ उस तट पर विचरते थे —

मन ही जात अंजो वह वा जमुना के तीर ।

प्राचीन कवियों ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का वरावर विधान किया है । हृदय की गूढ़ वृत्तियों के सच्चे पारेखा भावमूर्ति भवभूति ने शम्भूक का वध करके दण्डकारण्य के बीच फिरते हुए राम के मुख से प्रत्यभिज्ञान की बड़ी सामैक व्यंजना कराऊं है—

एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा-

स्तान्येव मत्त-हरिणानि वनस्थलानि ।

आमंजु बगुललतानि च तान्यमूरि

नीरन्ध-नील-निञ्जुलानि सरित्तयानि ॥

एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रसात्मक प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए ही उक्त कवि ने उत्तरराम-चरित में चित्रशाला का समावेश किया है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यभिज्ञान की रसात्मक दशा में मनुष्य मन में आइ दुई वस्तुओं में ही रमा रहता है, अपने व्यक्तित्व को पीछे ढाले रहता है ।

दशा की विपरीतता की भावना लिय हुए जिस प्रत्यभिज्ञान का उदय होता है उसमें करुण वृत्तिक संचालन की बड़ी गहरी शक्ति होती है । कवि और वक्ता बोलावर उसका उपयोग करते हैं । जब हम

संस्कार के रूप में जम गई है जो उन नगरों के ध्रुंसावशेष के प्रत्यक्ष दर्शन से जग जाती है।

एक बात कह देना आवश्यक है कि आप वचन या इतिहास के संकेत पर चलनेवाली कल्पना या मूर्त्त भावना अनुमान का भी सहारा लेती है। किसी घटना का वर्णन करने में इतिहास उस घटना के समय की रीति, वेश-भूषा, संस्कृति आदि का बोरा नहीं देता चलता। अतः किसी ऐतिहासिक काल का कोई चित्र मन में लाने समय ऐसे व्यारों के लिए अपनी जानकारी के अनुसार हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है।

यह तो ही आप शब्द या इतिहास पर आश्रित स्मृति-रूप या प्रत्यभिज्ञान-रूपा कल्पना। एक प्रकार की प्रत्यभिज्ञान-रूपा कल्पना और होती है जो बिलकुल अनुमान के ही सहारे पर खड़ी होती और चलती है। यदि हम एकाएक किसी अपरिचिन स्थान के खंडिरों में पहुँच जाते हैं—जिसके सम्बन्ध में हमने कहीं कुछ सुना या पढ़ा नहीं है—तो भी गिरे पढ़े मकानों, दीवारों, देवालयों आदि को सामने पाकर हम कभी-कभी कह वैठते हैं कि “यह वही स्थान है जहाँ केमी मित्रों की मड़ली जमती थी, रमणियों का हास-विलास होता था, बालकों का क्रीड़ा-खेल सुनाई पड़ता था इत्यादि।” कुछ चिह्न पाकर केवल अनुमान के संकेत पर ही कल्पना इन रूपों और व्यापारों की योजना से तत्पर हो गई। ये रूप और व्यापार हमारे व्यक्तिगत योग-क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं अतः उसकी रसात्मकता स्पष्ट है।

अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थ-परायण लाख कहा करें कि ‘गइ मुदे’ उखाइने से क्या फायदा’, पर हृदय नहीं मानता, बार-बार अतीत की ओर जाया करता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्तिलोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बाधनों से छुटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंथा

की स्मृति की मार्मिकता के ही समान होती है। मानव जीवन की द्विरकाल से चली आती हुई अखण्ड परपरा के साथ ताद्रात्म्य की वह भाद्रना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखण्डता और व्यापकता का आभास देती है। यह स्मृति स्वरूपा कल्पना कभी-कभी प्रत्यभिज्ञान का भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना या हृश्य के व्योरो को कहीं बैठे-बैठे हम मन में लाया करते हैं और कभी-कभी उनमें लीन हो जाते हैं वैसे ही किसी इतिहास-प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना चट उस स्थल पर बढ़ित किसी मार्मिक पुरानी घटना अधिवा उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है, जहाँसे हम फिर वत्तेसान की ओर लौटकर कहने लगते हैं कि “यह वही स्थल है जो कभी सजावट से जगनगता था, जहाँ अमुक सन्नाट सभासदों के बीच मिंहासन पर विराजते थे; यह वही फाटक है जिस पर ये ये बीर अद्भुत पराक्रम के साथ लड़े थे इत्यादि”। इस प्रकार हम उस काल से लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के प्रमार का आरोप क्या अनुभव करते हैं।

सूदम ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी ही गहरी भावुकता होगी, जितनी ही तत्पर कल्पना शक्ति होगी उसके मन में उठने ही अधिक द्योरे आएंगे और पूर्णे चित्र खड़ा होगा। इतिहास का कोई भावुक और कल्पना सम्बन्ध पाठक यदि पुरानी दिल्ली, कन्नौज, यातंपुर, चित्तौड़, उज्ज्यन्नी, विदिशा इत्यर्थद के खूबहरो पर पहले पहल भी जा खड़ा होता है तो उसके मन में वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हे उसने इतिहासों में पढ़ा था या लोगों से सुना था। यदि उसकी कल्पना तीव्र और प्रचुर हुई तो बड़े-बड़े तोरणों से युक्त उन्नत प्रासादों की, उत्तरीय और उष्णीषधारी नागरिकों की, अलक्ष-रजित चरणों में पड़े हुए नूपुरों की झंकार की, कटि के नीचे लटकती हुई कांची की, लड्डियों की, धूप-चासित केश-कलाप और पत्रभंग-मंडित गडस्थल की भावना उसके मन में चित्र सीखड़ी होगी। उच्च नगरों का यह रूप उसने कभी देखा नहीं है, पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की कल्पना उसके भीतर

सत्य-मूलक सजीवता और मार्मिकता का अनुभव करके ही संकृत के पुराने कवि अपने महाकाव्य और नाटक इतिहास-पुराण के किसी वृत्ता का आधार लेकर रचा करते थे।

‘सत्य’ से यहाँ अभिप्राय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं, निश्चयात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली आ रही है वह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न हो तो भी लोगों के विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की सृष्टि-स्वरूपा कल्पना का आधार हो जाती है। आवश्यक होता है केवल इस बात का बहुत दिनों से जमा हुआ विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास सर्वथा विस्त्र ग्रमाण उपस्थित होने पर विचलित हो जायगा तो वैसी सजीव कल्पना न जगेगी। संयोगिता के स्वयंवर की कथा को लेकर कुछ काव्य और नाटक रचे गए। ऐतिहासिक अनुसन्धान द्वारा वह सारी कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अतः इतिहास के ज्ञाताओं के लिए उन काव्यों या नाटकों में वर्णित घटना का ग्रहण शुद्ध कल्पना की वस्तु के रूप में होगा, सृत्याभास कल्पना की वस्तु के रूप में नहीं।

पहले कहा जा चुका है कि मानव जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप देखने के लिए दृष्टि जैसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी अतीत के द्वेष के बीच ही वह होती है। वर्तमान में तो हमारे व्यक्तिगत राग-द्वेष से वह ऐसी बँधी रहती है कि इस बहुत सी बातों को देखकर भी नहीं देखते। प्रसिद्ध प्राचीन नंगरों और गढ़ों के खँडहर, राज-प्रासाद आदि जिस प्रकार सम्राटों के ऐश्वर्य, विभूति, प्रताप, आसोद-प्रमोद और भोग-विलास के स्मारक हैं उसी प्रकार उनके अवसाद, विषाद, नैराश्य और धोर पतन के। मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुख-सौन्दर्य की वासना अभिन्यक्त होकर जगत् के किसी छोटे या बड़े खण्ड को अपने रङ्ग में रँगकर मानुषी सजीवता प्रदान करती है। देखते देखते काल उस वासना के आश्रय मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता है। धीरे धीरे उनका चढ़ाया हुआ ऐश्वर्य-विभूति का वह रङ्ग

बना एं रहता है; अतीत धीच-धीच में हमारी आँखें सोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिसानेवाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है; आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य परदा रहता है। वीती विसारनेवाले 'आगे की सुध' रखने का दावा किया करें, परिणाम अशान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को से भालने और आगे की सुध रखने का ढंका पीटनेवाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग-शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझने उतना ही बढ़ती जाती हैं। वीती विसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन; सहदयता और भावुकता का भंग—केवल अर्थ की निष्ठुर कीड़ा।

कुशल यही है कि जिनका दिल सही-सलामत है, जिनका हृदय मारा नहीं गया है, उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है। क्यों जाती है, क्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता। अतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्न-लोक है, इसमें तो सन्देह नहीं। अतः यदि कल्पना-लोक के सब खंडों को सुखपूर्ण मान लें तब तो प्रश्न टेढ़ा नहीं रह जाता; भट से यह कहा जा सकता है कि वह सुख प्राप्त करने जाती है। पर क्या ऐसा माना जा सकता है? हमारी समझ में अतीत की ओर मुङ्ग मुङ्गकर देखने की प्रवृत्ति सुख-दुःख की भावना से परे है। स्मृतियाँ हमें केवल सुख-पूर्ण दिनों की झाँकियाँ नहीं समझ पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्मस्पद करती हैं, वस इतना ही हम कह सकते हैं। यही बात स्मृत्याभास कल्पना के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए। इविहास द्वारा ज्ञात बातों की मूर्ति भावना कितनी मार्मिक, कितनी लीन करनेवाली होती हैं, न सहदयों से छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अन्तःप्रकृति पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। जैसा कि कहा जा चुका है इसमें स्मृति की सी सजीवता होती है। इस मार्मिक प्रभाव और सजीवता का मूल है सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के कारण ही कल्पना स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करती है। कल्पना के इस स्वरूप की

का भी। जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता है, गिरने पर वह उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शकों को उसके उत्थान की ऊँचाई जितनी कुतूहलपूरण^९ और विस्मयकारिणी होती है उतनी ही उसके पतन की गहराई मार्मिक और आकर्षक होती है। असामान्य की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दौड़ती है और टकटकी भी अधिक लगती है। अत्यन्त ऊँचाई से गिरन का दृश्य कोई कुतूहल के साथ देखता है, कोई गंभीर वेदना के साथ।

जीवन तो जीवन, चाहे राजा का हो चाहे रक का। उसके सुख और दुःख दो पक्ष होंगे ही। इनमे से कोई पक्ष स्थिर नहीं रह सकता संसार और स्थिरता? अतीत के लम्बे-बड़े मैदान के बीच इन उभया पक्षों की घोर विषमता सामने रखकर कोई भावुक जिस भाव-धारा में छवता है उसी से औरो को छुवाने के लिए शब्द-स्रोत भी बहाता है। इस पुनीत भावधारा में अवगाहन करने से चर्त्तमान की—अपने पराए की—लगी-लिपटी मैल छँटती है और हृदय स्वच्छ होता है। ऐतिहासिक व्यक्तियों या राजकुलों के जीवन की जिन विषमताओं की ओर सबसे अधिक ध्यान जाता है वे प्रायः दो ढंग की होती हैं—सुख-दुःख-सम्बन्धिनी तथा उत्थान-पतन-सम्बन्धिनी। सुख-दुःख की विषमता की ओर जिसकी भावना प्रवृत्त होगी वह एक और तो जीवन का भोग-पक्ष—यौवन-मद, विलास की प्रभूत सामग्री, कला-सौंदर्य की जगमगाइट, राग-रंग और आमोद-प्रमोद की चहल-पहल—और दूसरी ओर अवसाद, नैराश्य, कष्ट, वेदना इत्यादि के दृश्य मन में लाएग। बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि की भावना वह इतिहास-विज्ञ पाठक की सहृदयता पर छोड़ देगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सुख और दुःख के बीच का वैषम्य जैसा मार्मिक होता है वैसा ही उत्तराति और अवनति, प्रताप और हास के बीच का भी। इस वैषम्य-प्रदर्शन के लिए एक और तो किसी के पतन-काल के असामर्थ्य, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के दृश्य सामने रखे जाते हैं, दूसरी ओर उसके

चिन्तामणि

भी मिटता जाता है। जो कुछ शेष रह जाता है वह बहुत दिनों तक डॉट पथर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। मंसार का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी समझकर सुनता है, क्योंकि उसके भीतर भलकता है जीवन का नित्य और प्रकृत रूप।

कुछ व्यक्तियों के स्मारक चित तो उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक बन जाते हैं और उसी प्रकार हमारी वृणा या प्रेम के आलम्बन हो जगाते हैं जिस प्रकार लोक के बीच अपने जीवनकाल में वे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति वृणा या प्रेम को अपने पीछे भी बहुत दिनों तक जगत् में जगाते रहते हैं। ये स्मारक न जान कितनी बातें अपने पट में लिये कहीं खड़े, कहीं बैठे, कहीं पढ़े हैं।

किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यो ही—शायद काल की कृपा से—बने रह जाते हैं अथवा जान-बूझकर छोड़े जाते हैं। जान-बूझकर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कामना भी मनुष्य की प्रकृति के अन्तर्गत है। अपनी सत्ता के सर्वथा लोप की भावना मनुष्य को असख है। अपनी भौतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता अत वह चाहता है कि उस सत्ता की सृति ही किसी जन-समुदाय के बीच बर्नी रहे। बाल जगत् में नहीं तो अन्तर्जगत् के किसी खण्ड में ही वह बना रहना चाहता है। इसे हम अमरत्व की आकाश या आत्मा के नित्यत्व का इच्छात्मक आभास कह सकते हैं। अपनी सृति बनाए रखने के लिए कुछ मनस्वी कला का सहारा लेते हैं और उसके आकर्षक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करके विसृति के खड़े में झोकनेवाले काल हाथों को बहुत दिनों तक—सहस्रो वर्षे तक—थामे रहते हैं। इस प्रकार ये स्मारक काल के हाथों को कुछ थामकर मनुष्य की कई पीढ़ियों की आँखों से आँसू बहवाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होनेवाले मनुष्यों को अपने लिए रुलाना चाहता है।

सम्राटों की अतीत जीवन-लीला के ध्वरत रङ्गमञ्च वैषम्य की एक विशेष भावना जगाते हैं। उनमें जिस प्रकार भास्य के ऊँचे से ऊँचे उथान का दृश्य निहित रहता है वैसे ही गहरे से गहरे पतन

होता है जब जगत् या जीवन का कोई सुन्दर रूप, मार्मिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित होता है। ऐसी दशा या तथ्य की चेतना से मन में कोई भाव जगता है जो उस दशा या तथ्य की मार्मिकता का पूण अनुभव करने और कराने के लिए उसके कुछ चुने हुए ज्योरों की मूर्ति भावनाएँ खड़ी करता है। कल्पना का यह प्रयोग प्रस्तुत के सम्बन्ध में समझना चाहिए जो विभाव पक्ष के अन्तर्गत है। शृंगार, रौद्र, वीर, करुण आदि रसों के आलम्बनों और उद्दीपनों के वर्णन, प्राकृतिक वृश्यों के वरण न सब इसी विभाव-पक्ष के अन्तर्गत हैं।

सारा रूप-विधान कल्पना ही करती है अतः अनुभाव कहे जानेवाले व्यापारों और चेष्टाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया जाता है वह भी कल्पना ही द्वारा। पर भावों के द्योतक शारीरिक व्यापार या चेष्टाएँ परिमित होती हैं, वे रुद्र या बँधी हुई होती हैं। उनमें नयेपन की गुंजाइश नहीं, पर आश्रय के वचनों की अनेकरूपता की कोई सीमा नहीं। इन वचनों की भी कवि द्वारा कल्पना ही की जाती है।

वचनों द्वारा भाव-व्यञ्जना के त्रैत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छन्दता रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की कोई सीमा नहीं। उसका प्रसार लोक का अतिक्रमण कर सकता है। उसकी सम्यक् व्यञ्जना के लिए प्रकृति के वास्तविक विधान कभी-कभी पर्याप्त नहीं जान पड़ते। मन की गति का वेग अबाध होता है। प्रेम के वेग में प्रेमी प्रिय को अपनी आँखों में बसा हुआ कहता है, उसके पाँच रखने के लिए पलकों के पाँवड़े बिछाता है, उसके अभाव में दिन के प्रकाश में भी चारों ओर शून्य या अन्धकार देखता है, अपने शरीर की भस्म उड़ाकर उसके पास तक पहुँचाना चाहता है। इसी प्रकार क्रोध के वेग में मनुष्य शत्रु को पीसकर चटनी बना डालने के लिए खड़ा होता है, उसके घर को खोदकर तालाब बना डालने की प्रतिज्ञा करता है। उत्साह या चीरता की उमंग में वह समुद्र पाट देने, पहाड़ों को उत्खाइ फेंकने का हौसला प्रकट करता है।

चिन्तामणि

ऐश्वर्य-काल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किए जाते हैं।

इस दुःखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रवल, कितनी शक्ति-शालिनी निकली! न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छाटती, संसार का काया-पलट करती चली आ रही है। वह शायद अनन्त है, 'आनन्द' का अनन्त प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को साथ लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम 'काम' है। यथापि देस्त्रने में 'अर्थ' और 'काम' अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो 'अर्थ' 'काम' का ही एक साधन ठहरता है, साध्य रहता है काम या सुख ही। अर्थ है संचय, प्रयोजन और तैयारी की भूमि; काम भोग-भूमि है। मनुष्य कभी अर्थ-भूमि पर रहता है, कभी काम-भूमि पर। अर्थ और काम के बीच जीवन बाँटता हुआ वह चला चलता है। दोनों का ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण है। जो अनन्य भाव से अर्थ-साधन में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो आँख मूँदकर कामचर्या में ही लिप्त रहेगा वह किसी अर्थे का न रहेगा। अक्वर के जीवन में अर्थ और काम का सामंजस्य रहा। और गजेव वरावर अर्थ-भूमि पर ही रहा। मुहम्मदशाह सदा काम-भूमि पर ही रहकर रंग बरसाते रहे।

कल्पना

काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी की किया से होता है। आज-कल तो 'भाव' की बात दब सी गई है, केवल इसी का नाम लिया जाता है क्योंकि 'कवि की नृत्न सृष्टि' केवल इसी की कृति समझी जाती है। पर जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हैं, काव्य के प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है और हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श तभी

इस सम्बन्ध में हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि काव्य सर्वथा स्वप्र के रूप की वस्तु नहीं है। स्वप्र के साथ यदि उसका कुछ मेल है तो केवल इतना ही कि स्वप्र भी हमारी बाह्य इन्द्रियों के सामने नहीं रहता और काव्य-वस्तु भी। दोनों के आविर्भाव का स्थान भर एक है। स्वरूप में भेद है। कल्पना में आई हुई वस्तुओं की प्रतीति से स्वप्र में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की प्रतीति भिन्न प्रकार की होती है। स्वप्र-काल की प्रतीति प्रायः प्रत्यक्ष ही के समान होती है। दूसरा बात यह है कि काव्य में शोक के प्रसंग भी रहते हैं। शोक की वासना की तृप्ति शायद ही कोई प्रणी चाहता हो।

उपर्युक्त सिद्धान्त का ही एक अंग काम वासना का सिद्धान्त है जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध और कलाओं के समान काम-वासना की तृप्ति से है। यहाँ पर इतना ही समझ रखना आवश्यक है कि यह मत काव्य को 'ललित कलाओं' में गिनने का परिणाम है। कलाओं के सम्बन्ध में, जिनका लक्ष्य केवल सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है, यह मत कुछ ठीक कहा जा सकता है। इसी से ६४ कलाओं का उल्लेख हमारे यहाँ काम शास्त्र के भीतर हुआ है। पर काव्य की गिनती कलाओं में नहीं की गई है।

अब तक जो कुछ कहा गया है वह प्रस्तुत के सम्बन्ध में है। पर काव्य में प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत भी बहुत अधिक अपेक्षित होता है, क्योंकि साम्य-भावना काव्य का बड़ा शार्क्षशाली अस्त्र है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की योजना भी कल्पना ही द्वारा होती है। आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा-केन्द्र में तो 'कल्पना' शब्द से अधिकतर अप्रस्तुत-विधायिनी कल्पना ही समझी जाती है। अप्रस्तुत की योजना के सम्बन्ध में भी वही बात समझनी चाहिए जो प्रस्तुत के सम्बन्ध में हम कह आए हैं अर्थात् उसकी योजना भी यदि किसी भाव के संकेत पर होगी—सौन्दर्य, माधुर्य, भीपणता, कान्ति, दीप्ति इत्यादि की भावना में वृद्ध करनेवाली होगी—तब तो वह काव्य के प्रयोजन की होगी; यदि केवल रंग, आकृति, छोटाई, बड़ाई आदि का ही हिसाब-किताब बैठाकर

ऐसे लोकोत्तर विधान करनेवाली कल्पना में भी यह देखा जाता है कि ज़हाँ कार्य-कारण-विवेचन-पूर्वक वस्तु-बयंजना का टेहा रास्ता पकड़ा जाता है वहाँ वैचित्र्य ही वैचित्र्य रह जाता है, मार्मिकता दब जाती है। जैसे, यदि कोई कहे कि “कृष्ण के वियोग में राधा का दिन-रात रोना सुनकर लोग वर वर में नावें बनवा रहे हैं” तो यह कथन मार्मिकता की हड़ के बाहर जान पड़ेगा।

विभाव-पक्ष के ही अन्तर्गत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं और व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सौन्दर्य, माझुर्य, दीपि, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हैं। ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करनेवाली प्रतिभा भी विभाव-विधायिनी ही समझनी चाहिए। कवि कभी कभी सौन्दर्य, माझुर्य, दीपि इत्यादि की अनूठी सृष्टि स्वाडी करने के लिए चारों ओर से सामग्री एकत्र करके पराकाष्ठा को पहुँची हुई लोकोत्तर योजना करते हैं। यह भी कविकर्म के अन्तर्गत है, पर सर्वत्र अपेक्षित उसकी कोई नित्य प्रक्रिया नहीं। मन के भीतर लोकोत्तर उत्कर्ष की झाँकियाँ तैयार करना भी कल्पना का एक काम है। इस काम में कविता उसे प्रायः लगाया करती है। कुछ लोग तो कल्पना और कविता का यही काम ही बताते हैं—खास कर वे लोग जो काव्य को स्वप्न का सगा भांड़ मानते हैं। जैसे स्वप्न का वे अन्तस्संज्ञा में निहित अरूप वासनाओं भी अन्तर्भूत जितना कहते हैं, वैसे ही काव्य को भी। संसार में जितना अद्भुत, सुन्दर, मधुर, दीप हमारे सामने आता है; जितना सुख, सनृद्धि, सद्वृत्ति, सज्जाव, प्रेम, आनन्द हमें दिखाई पड़ता है उतने से वृत्त न होने के कारण अविक की इच्छाएँ हमारी अन्तस्संज्ञा में दबी पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार शक्ति, उपता, प्रचड़ता, उथल-पुथल, ध्वस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं उतने बढ़े-चढ़े रूपों में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या संज्ञा के नीचे अज्ञात दृशा में दबी पड़ी रहती है। वे ही इच्छाएँ तृप्ति के लिए कविता के रूप में व्यक्त होती हैं और श्रोताओं को भी उत्स करता हैं।

(५) भूलनि चिन्हारि दोज है न हो हमारे ताते विसरनि रावरी हमै लै विसरति है।

(६) उजरनि बसी है हमारी अँखियानि देखौ, सुवस सुदेस जहाँ भावत बसत हौ।

ऊपर के उद्घरणों के मोटे टाइपों में छपे स्थलों में भाषा की मार्मिक वक्रता एक-एक करके देखिए। (१) बानि धीमी या शिथिल पड़ गई कहने में उतनी व्यञ्जकता न दिखाई पड़ी अतः कवि ने कृष्ण का आलस्य न कहकर उनकी बानि (आदत) का आलस्य करना कहा। (२) अपने को खुले भाग्यवाली न कहकर नायिका ने उस घड़ी को खुले भाग्यवाली कहा, इससे सौभाग्य-दशा एक व्यक्तिही तक न रहकर उस घड़ी के भीतर सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त प्रतीत हुई। विशेषण के इस विपर्यय से कितनी व्यञ्जकता आ गई! (३) मेघ का छाना और उघड़ना तो बराबर बोला जाता है, पर कवि ने मेघ के छाए रहने और श्रीकृष्ण के आँखों में छाए रहने के साथ ही साथ जग का उघड़ना (खुलना, तितर-बितर होना या तिरोहित होना) कह दिया जिसका लक्ष्यार्थ हुआ जगत् के फैले हुए प्रपञ्च का आँखों के सामने से हट जाना, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ना। (४) कृष्ण की अमिलताई (न मिलना) हृदय के धाव में भी भर गई है जिससे उसका मुँह नहीं मिलता और वह नहीं पूजता। भरा भी रहना और न भरना या पूजना में विरोध का चमत्कार भी है। (५) हम कभी-कभी आत्म-विस्मृत हो जाती हैं; इससे जान पड़ता है कि आप हमें लिए-दिए भूलते हैं अर्थात् उधर आप हमें भूलते हैं, इधर हमारी सत्ता ही तिरोहित हो जाती है। (६) हमारी आँखों में उजाड़ बसा है अर्थात् आँखों के सामने शून्य दिखाई पड़ता है। इसमें भी विरोध का चमत्कार अत्यन्त आकर्षक है।

आज-कल हमारी वर्तमान काव्यधारा की प्रवृत्ति इसी प्रकार की लाज्जिक वक्रता की ओर विशेष है। यह अच्छा लक्षण है। इसके द्वारा हमारी भाषा की अभिव्यञ्जना-शक्ति के प्रसार की बहुत कुछ

चिन्तामणि

की जायेगी तो निष्फल ही नहीं वाधक भी होगी। भाव की प्रेरणा से जो अप्रस्तुत लाए जाते हैं उनकी प्रभविणुता पर कवि की दृष्टि रहती है; इस बात पर रहती है कि उनके द्वारा भी वैसी ही भावना जगे जैसी प्रस्तुत के सम्बन्ध में है।

केवल शाष्क-स्थिति-सम्पादन से कवि-कर्म की सिद्धि समझ कुछ लोगों ने खी की कटि की मूँहमता व्यक्त करने के लिए भिड़ या सिंहिनी की कटि सामने रख दी है, चन्द्र-मंडल और सूर्य-मण्डल के उपमान के लिए दो घंटे सामने कर दिए हैं। पर ऐसे अप्रस्तुत-विधान केवल छोटाई-बड़ाई या आकृति को ही पकड़कर, केवल उसी का हिसाव-किताब बैठाकर, हुए हैं, इस मौनशर्य की भावना की प्रेरणा से नहीं जो उस नायिका या चन्द्रमण्डल के सम्बन्ध में रही होगी। यह देखकर सन्तोष होता है कि हिन्दी की वर्तमान कविताओं में प्रभाव-साम्य पर ही विशेष दृष्टि रहती है।

भाषा-शैली को अधिक व्यंजक, मार्मिक और चमत्कारपूर्ण बनाने में भी कल्पना ही काम करती है। कल्पना की सहायता यहाँ पर भाषा की लक्षण और व्यंजना नाम की शक्तियाँ करती हैं। लक्षण के सहारे ही कवि ऐसी भाषा का प्रयोग वेधद्वक कर जाते हैं जैसी सामान्य व्यवहार में नहीं सुनाई पड़ती। ब्रजभाषा के कवियों में घनानन्द इस प्रसङ्ग में सबसे अधिक उल्लेख-योग्य है। भाषा को वे इतनी वशवर्त्तिनी समझते थे कि अपनी भावना के प्रवाह के साथ उसे जिधर चाहते थे उधर वेधद्वक मोड़ते थे। कुछ उदाहरण लीजिए —

(१) अरसानि गही वह बानि कछू सरसानि सो आनि निहोरत हे ।

(२) हैै सोऊ घरी भाग-उवरी अनन्दघन सुरस बरसि, लाल, देखिहौ हमैै हरी ।

(३) उघरो जग, छाय रहे घनआनेंद चातक ज्यों तकिए अब तौं ।

(४) मिलत न कैहूँ भरे रावरी अमिलताई हिये मैं किये बिसाल जे बिछोह-छत हैं ।

या संयोग-काल के लिए मधुमास, शुभ्र के स्थान पर रजत या हंस, दीप के स्थान पर स्वर्ण इत्यादि। यह सारा व्यवसाय कल्पना ही का है।

काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और ओता दोनों के लिए अनिवार्य है। काव्य की कोड़े उक्ति कान से पड़ते समय जब काव्य-वस्तु के साथ साथ वक्ता या वोद्वच्य पात्र की कोइ मूर्त्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूरी तन्मयता प्राप्त होती है।

चिन्तामणि

‘श्रूर्शी है’। श्री सुभित्रानन्दन पन्त की रचना से कुछ उदाहरण लेकर देखिए—

- (१) धूलि की ढेरी मे अनजान। छिपे हैं मेरे मधुमय गान।
- (२) रुदन, कीड़ा, आलिंगन। शशि की सी ये कलित कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर मे।
- (३) मर्म पीड़ा के हास।
- (४) अहह। यह मेरा गीला गान।
- (५) तड़ित ना, सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान
प्रभा के पलक मार, उर चीर
गृह गजेन कर जव गंभीर।
- (६) लाज में लिपटी उपा समान।

यनानन्द की वाचिकेषेपताओं को ध्यान मे रखते हुए इब ऊपर के द्वारणों के मोटे टाइपा म छपे प्रयोगों की लाज्जणिक प्रक्रिया देखिए—

- (१) धूल की ढेरी = तुच्छ या असार कहा जानेवाला स सार।
मधुमय गान = मधुमय गान के विषय = मधुर और सुन्दर वन्नुएँ।
कलाएँ किलक रही हैं = जोर से हैं स रही हैं = आनन्द का प्रकाश कर रही हैं।
- (२) पीड़ा के हास = पीड़ा का विकास या प्रसार।
- (पिंगाव का चमत्कार) (४) गीला गान = आइ हृदय या प्रथ्रुपूर्ण व्यक्ति की वाणी। (सामान्य कथन मे जो उल्ल व्यक्ति का कहा जाता है वह गान का कहा गया; विशेषण-विपर्यय) (५)
प्रभा के पलक मार = पल पल पर चमककर। गृह गर्जन = क्षिप्ति हुई हृदय की धड़कन (६) लाज = लज्जा से उत्पन्न ललाई।

इन प्रयोगों का अधार या तो किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना है अधिका किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप मे ब्रहण। दोनो वासें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उपलक्षणों या प्रतीकों का एक प्रकार का चुनाव है जो मूर्च्छन्ता, मार्भिकता या आतिशय्य आदि की दृष्टि से होता है—जैसे, शोक या विषाद के स्थान पर अश्रु, हृष्ट और आनन्द के स्थान पर हास, प्रिय-प्रेमी के लिए मुकुल मधुप, यौवन-काल